खण्ड २—अंक ३३

९ अप्रैल, १९५५ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(Session IX)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

चार आने (देश में)   एक शिलिंग (विदेश में)

121 LSD

विषय-सूची

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०८५, २०७७, २०७९ से २०८१, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३, २०९४, २०९६, २०९७ और २०९० . २४७१–२५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११० . . . . २५०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२ २५१२–३०

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी आय

*२०७२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में अमरीकी चलचित्रों के भारत में वितरण से अमरीका को कितनी आय हुई है; और

(ख) क्या अमरीका में भारतीय चल-चित्रों का वितरण कर के भारत भी कुछ आय प्राप्त कर सका ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) गत तीन वर्षों में भारत में अमरीकी चलचित्रों के वितरण सम्बन्धी आय निम्नांकित सारणी में बतायी गयी है :—

	(लाख रुपयों में)
१९५२	८०.७०
१९५३	९३.०१
१९५४	७२.०९

इन में से संयुक्त राज्य अमरीका भेजी गयी राशि क्रमश: ३१.९ लाख, ३८.६ लाख और ४.३१ लाख रुपये थी ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह रुपया किन अभिकरणों, संगठित कम्पनियों या व्यक्तियों द्वारा अमरीका जाता है ?

श्री ए० सी० गुह : इन में से कुछ आयातक इन फिल्मों के स्वामी हैं । वे अपना रुपया स्वयं भेजते हैं । कुछ फिल्में यहां किराये पर आती हैं और वे कंपनियों द्वारा भेजी जाती हैं । ये सब सौदे रक्षित बैंक द्वारा विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस काम के लिये कोई अमरीकी कंपनी या अमरीकी और भारतीय पूंजी वाली कोई मिली जुली कंपनी है ?

श्री ए० सी० गुह : इन फिल्मों के आयात करने के लिये ?

श्री हेडा : हां, इन फिल्मों के वितरण के लिये ।

श्री ए० सी० गुह : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल

*२०७४. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल कब से अपना काम शुरू करेगा;

(ख) किन राज्य सरकारों ने इस दल की भर्ती करने के सम्बन्ध में सहायता करने का वचन दिया है और अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) स्वयं सेवक दल की स्थापना और देख भाल पर अनुमानत: कितना व्यय होगा; और

(घ) इस दल को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (घ). विवरण जिस में आवश्यक सूचना दी हुई है सभा-पटल पर रखा है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों में और किन किन केन्द्रों में यह प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : ३३ कैम्प खुलेंगे और यह आंध्र, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन और दिल्ली में खोले जायेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संस्था केन्द्र के अधीन काम कर रही है, यदि हां, तो इस का चीफ़ आर्गेनाइज़र कौन है ?

सरदार मजीठिया : यह संस्था मिनिस्टरी आफ डिफेंस के नीचे काम कर रही है और इस का एक डायरेक्टर है जिस का नाम ब्रिगेडियर कौल है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब तक कुल कितने प्रशिक्षार्थियों ने अर्ज़ियां भेजी हैं इस संस्था में शिक्षा पाने के लिये ?

सरदार मजीठिया : अर्ज़ियां भेजने का कोई सवाल नहीं उठता मगर हर एक कैम्प में ५०० आदमियों को ट्रेनिंग दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन : पहले जो आग्ज़िल्यरी टैरिटोरियल फोर्स थी, जहां तक मैं समझता हूं उस का नाम बदल कर नेशनल वालंटीयर फोर्स कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस नई संस्था में और पहली संस्था में क्या अन्तर है और पहली संस्था का नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी ?

सरदार मजीठिया : जो पहली संस्था थी वह बहुत छोटी सी संस्था थी और जो अब है इस में पांच साल में कोई पांच लाख आदमियों को ट्रेनिंग दी जायेगी पहले जो थी वह टैरिटोरियल आर्मी का एक जज़ थी । इस के साथ ही साथ इस में कोई एसी बात नहीं जिस से कि लाज़मी तौर पर फौज में भरती होना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या २०७६ ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यदि आप को आपत्ति न हो तो प्रश्न संख्या २०८५ भी इस के साथ ही लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं । यह श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा के नाम से है । क्या माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय: हां, दोनों प्रश्न साथ-साथ लिये जा सकते हैं ।

तेल के कुएं, नहरकटिया (आसाम)

***२०७६. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरकटिया (आसाम) में अब तक कितने तेल के कुयें खोदे गये हैं;

(ख) क्या इन में से कुछ कुयें असफल भी रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सात ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक ।

ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल

***२०८५. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल की खोज करने वाली टुकड़ी को अब तक क्या सफलता मिली है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : ब्रह्मपुत्र घाटी में किये गये भूभौतिकीय सर्वेक्षणों के फलस्वरूप मिले संकेतों के अनुसार आसाम तेल कम्पनी ने अब तक नहरकटिया क्षेत्र में सात गहरे कुयें खोदे हैं । इनमें से पांच में तेल के विद्यमान होने का पता चला है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि नहरकटिया क्षेत्र में सरकारी दृष्टिकोण से तेल की खानों की स्थिति क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सुनिश्चित है कि ब्रह्मपुत्र घाटी के इस क्षेत्र में अब नये तेल का पता चला है । प्राप्ति के ठीक ठीक प्राक्कलन के बारे में हमें अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कुयें खोदने में कितनी लागत पड़ती है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि नहरकटिया क्षेत्र में भविष्य में तेल-निक्षेपों के विदोहन के बारे में सरकार ने कोई योजना बनायी है और क्या किसी भारतीय सार्थ को भी उसमें शामिल किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : तेल के खोजने और पड़ताल का काम आसाम तेल कम्पनी के, जो एक विदेशी सार्थ है, विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किया गया है । उनके पास खोजने के काम का हमारे द्वारा दिया गया ठेका है । वे जिस तेल का उत्पादन वहां पर करेंगे वह क्रूड तेल होगा और वे इसे दिगबोई तेल-शोधन कारखानों में भेजेंगे, जहां उसे और आगे उपयोग के लिये शुद्ध किया जायेगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय कुछ उत्पादन हो रहा है, और यदि हां, तो प्रतिमास कितनी मात्रा में ?

श्री के० डी० मालवीय : यह खोजने की स्थिति है । शायद इस खान क्षेत्र में एक ही कुआं खोदा गया है । शेष अभी खोज-पड़ताल की ही स्थिति में है । उसके लिये आसाम तेल कम्पनी खनन सम्बन्धी ठेके के लिये आवेदन पत्र देगी । पर मुझे पता चला है कि उन्हें आजकल जो भी तेल मिल रहा है वह नलों में होकर शोधनार्थ दिगबोई भेजा जा रहा है ।

श्री पी० सी० बोस : मैं जान सकता हूं कि क्या इन खोज-पड़ताल सम्बन्धी कार्यों में भारतीय शिल्पिज्ञों को साथ लिया जा रहा है और यदि हां, तो कितने व्यक्ति वहां काम कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : आसाम तेल कम्पनी की ओर से बहुत से भारतीय शिल्पिज्ञ काम कर रहे हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को भारतीय सार्थों से इन कुओं को खोदने के लिये कोई आवेदन-पत्र मिला है और यदि हां, तो किससे ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं सदन में पहले ही बता चुका हूं कि यदि कोई भारतीय फर्म तेल की खोज-पड़ताल का काम करना

चाहती हो, तो वे अपने को संगठित करके अपने मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिये सरकार से प्रार्थना कर सकती है ।

मनोवैज्ञानिक युद्ध

*२०७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य मनोविज्ञान के बारे में कोई अद्यतन गवेषणा कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन से द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनों द्वारा प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक युद्ध की तकनीक और इस बारे में अमरीकी प्रयत्नों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). आजकल मनोवैज्ञानिक गवेषणा कार्य मुख्यतः व्यक्तिगत चुनने के तरीकों पर किया जाता है ।

(ग) मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सुरक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी निकट भविष्य में गवेषणा करने का विचार कर रही है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक सुरक्षा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सम्बन्ध है, यह सदैव सरकार के समक्ष है । पर जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले बताया हम मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम युद्ध की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते ।

श्री एस० सी० सामन्त : विदेशों के उस गुप्तचर प्रचार का प्रतिरोध करने के लिये जो हमारे सैनिकों पर बुरा प्रभाव डालता है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सरदार मजीठिया : मैं इस बात में माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि इससे हमारे सैनिकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । हमारे सैनिक पूर्णतः योग्य, स्वस्थ और सरकार के प्रति पूर्णतः निष्ठ है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता था कि इस प्रकार के गुप्तचर-प्रचार का पहले विवाचन (सेंसर) करके उसके बाद ही उसे सैनिकों के पास भेजा जाता है या नहीं ?

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न ठीक-ठीक समझा नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता था कि विदेशों से सरकार को प्राप्त होने वाले गुप्तचर-प्रचार का सरकार द्वारा विवाचन किया जाता है और क्या सैनिकों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के लिये केवल सच्ची चीजें ही उनमें वितरित की जाती हैं ?

सरदार मजीठिया : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न से मुश्किल से ही उठता है ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

*२०७९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने भारतीय विद्यार्थी आजकल विदेशी छात्र-वृत्तियां लेकर विदेशों में शिक्षा पा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मांगी गई जानकारी सरकार के पास नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अमेरिकन छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है, जो कि भारतीय छात्रों को दी गयी हैं ?

डा० एम० एम० दास : प्रश्न का सम्बन्ध उन भारतीय छात्रों से है, जो विदेशी छात्र-वृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं और अध्ययन के लिये विदेश गये हुए हैं । विदेशों में ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय तथा संस्थायें हैं, जिन्होंने छात्र-वृत्तियां भारत सरकार के द्वारा होकर नहीं दी हैं बल्कि स्वयमेव दी हैं । मेरे पास केवल पांच मामले ऐसे हैं, जो विदेशों को गये

हैं और विदेशों ने भारत सरकार के द्वारा होकर छात्रवृत्तियां दी हैं । अन्य मामलों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

काश्मीर में पाकिस्तानियों का आगमन

*२०८०. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५४ में कितने पाकिस्तानी काश्मीर गये और वहां जा कर बस गये;

(ख) क्या जनवरी और फरवरी, १९५५ में कुछ दर्शक पाकिस्तान से आये थे; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) रक्षा मंत्रालय द्वारा १५ व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र दिया गया था । इन में से कितने व्यक्तियों को जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने काश्मीर में बसने की अनुमति दी, यह रक्षा मंत्रालय को विदित नहीं है ।

(ख) हां ।

(ग) दो ।

श्री इब्राहीम : मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तानी भारत आते हैं और काश्मीर के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्त करते हैं ?

डा० काटजू : मैं ऐसा नहीं समझता ।

निवृत्ति-वेतन देना

*२०८१. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक ऐसे कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं जिन में सिंध और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत की सरकारों के उन भूतपूर्व कर्मचारियों को जो भारत में रह रहे हैं निवृत्ति-वतन देने की प्रार्थना की गई है ;

(ख) इस योजना के अधीन कितने प्रार्थियों को निवृत्ति-वतन दिया गया है; और

(ग) शेष प्रार्थियों के निवृत्ति-वेतन देने की मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या ३८३ है जो ३१ मार्च १९५४ तक अतिव्यस्कता की आयु प्राप्त कर चुके थे ।

(ख) ४८ व्यक्ति ।

(ग) विलम्ब मुख्यत: पाकिस्तान में की गई सेवा के सम्बन्ध में पूरे जांच किये गये अभिलेखों के न होने के कारण है । ऐसे अभिलेखों के न होने पर प्रार्थियों को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को संतोष दिलाने के लिये तत्सम्बन्धी साक्ष्य देना पड़ता है । ऐसा साक्ष्य देने में प्राय: समय लग जाता है ।

श्री गिडवानी : क्या गत मास कराची में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक में निवृत्ति-वेतन के विषय के बारे में कोई बातचीत हुई थी ?

श्री दातार : मुझे पता नहीं यह बातचीत हुई थी अथवा नहीं ।

श्री गिडवानी : सरकार कब तक इस मामले का अन्तिम रूप से विनिश्चय करेगी और जब तक अन्तिम विनिश्चय नहीं किया जाता, तब तक क्या उन्हें अस्थायी निवृत्ति-वेतन दिया जायगा क्योंकि पहले ही बहुत वर्ष बीच चुके हैं ?

श्री दातार : सरकार इस विषय का शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न कर रही है । परन्तु कुछ मामलों में पदाधिकारी स्वयं देर कर देते हैं क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार जब तक उन के निवृत्ति-वेतन के पत्र अन्तिम रूप से तैयार न हों वे सेवायुक्त रहते हैं और

कुछ मामलों में प्रलोभन के कारण वे पत्र प्रस्तुत करने में देर कर देते हैं ।

पंच वर्षीय योजना

*२०९१. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना तथा अन्य निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने के लिय चालू वर्ष में सेना ने असैनिक पदाधिकारियों को किस प्रकार का सहयोग दिया ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : कुछ असैनिक कार्यों के लिये, सामान और फौजी गाड़ियों के रूप में अथवा कार्यों का निष्पादन कर के सहायता दी गई ।

डा० सत्यवादी : यह जो आर्मी काम करती है उस का प्रोग्राम वह खुद बनाती है या सिविल हुक्काम की दरखास्त पर यह काम किया जाता है ?

डा० काटजू : पहले तो ख्वाहिश होती है । उस ख्वाहिश के पूरा करने में पूरी मदद दी जाती है और कुछ सड़कें वगरह बनाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि बहुत बार प्रान्तीय सरकारों ने अथवा स्थानीय संस्थाओं ने मांग की कि उन्हें सड़कें बनाने में सहायता दी जाय । लेकिन वह नहीं दी गयी इस का क्या कारण है ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे मालूम है यह सही नहीं है ।

सोदेपुर का शीशे का कारखाना

*२०९२. **श्री मुहीउद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोदेपुर के शीशे के कारखाने को खरीदने या चलाने के लिये टेंडर मांगे गये थे;

(ख) (१) कारखाने को खरीदने के लिये और (२) उस को चलाने के लिये कितने टेंडर आये; और

(ग) क्या कोई टेंडर स्वीकार किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). टेंडर केवल सोदेपुर ग्लास वर्क्स लिमिटिड की सम्पत्ति खरीदने के लिये मांगे गये थे और ऐसे टेंडर जो प्राप्त हुए हैं उन की संख्या ५ है ।

(ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या निगम ने कारखाने पर कब्ज़ा कर लिया है या अभी तक समवाय इस का प्रबन्ध कर रहा है ।

श्री ए० सी० गुह : निगम ने तो बहुत समय से इस समवाय पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या यह सच है कि सोदेपुर के बहुत समीप शीशे की चादर निर्माण के लिये एक और कारखाना स्थापित करने की अनुज्ञा दी गई थी और वह कारखाना बहुत संतोषजनक रूप से काम कर रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को नाम के बारे में कुछ घपला है । शीशे का दूसरा कारखाना सोदेपुर के पास नहीं वरन मारकेडा स्थान के समीप स्थापित किया गया है जहां पर सोदेपुर ग्लास वर्क्स का वर्तमान कारखाना है । यह कुछ मील की दूरी पर है और इस का औद्योगिक वित्त निगम से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह बहुत पहले स्थापित किया गया था ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सोदेपुर के शीशे के कारखाने में अब भी उत्पादन होता है ?

श्री ए० सी० गुह : खेद है कि वहां एक वर्ष से अधिक समय से उत्पादन नहीं हो रहा ।

उड़ीसा को ऋण

*२०९५. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने भूमि सुधार योजना के अधीन जमींदारों और अन्य मध्यवर्ती व्यक्तियों को प्रतिकर देने के हेतु ४ करोड़ रुपयेके ऋण के लिए प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना पर क्या निश्चय किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

श्री संगण्णा : क्या उड़ीसा सरकार ने कोई निधि बनाई है जिससे इस सहायता में अभिवृद्धि हो सके ?

श्री ए० सी० गुह : श्रीमान्, मैं समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उड़ीसा सरकार ने कोई निधि बनाई है जिसमें से यह प्रतिकर दिया जायेगा ।

श्री ए० सी० गुह : उड़ीसा सरकार ने कतिपय ऋण के लिए प्रार्थना की है और मेरा विचार है कि सरकार इस विषय के पक्ष में विचार कर रही है । मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस निधि की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उड़ीसा सरकार न स्वयं लोगों से निधि एकत्र की है ।

श्री ए० सी० गुह : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । परन्तु यदि ऋण दिया जायगा तो उड़ीसा सरकार से कहा जायगा कि वे ऋण वापस करने के लिए पृथक् विधि बनायें ।

श्री संगण्णा : ज़मींदारों और मध्यवर्ती लोगों को प्रतिकर देने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री ए० सी० गुह : यह तो उड़ीसा सरकार बता सकती है । मुझे खेद है कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : उड़ीसा में ज़मींदारों और अन्य मध्यवर्ती लोगों को दिए जाने वाले प्रतिकर की कुल अनुमित राशि क्या है?

श्री ए० सी० गुह : इस सम्बन्ध में भी मेरे पास जानकारी नहीं है । उड़ीसा सरकार ने ४ करोड़ रुपये का ऋण मांगा है । मैं समझता हूं कि उन्हें दिए जाने वाला प्रतिकर इस राशि से कहीं अधिक है ।

श्री एस० एन० दास : क्या कुछ और सरकारों ने भी ऐसे ऋण मांगे हैं, यदि हां, तो वे कौन हैं ?

श्री ए० सी० गुह : और ऐसी सरकार केवल मध्य भारत है । इसने दो करोड़ रुपये का ऋण मांगा है और उस पर भी बातचीत हो रही है । केन्द्रीय सरकार ने उन्हें कुछ शर्तें लिखी हैं और हम उस सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : सरकार ऐसे मामलों में ब्याज की क्या दर लगाती है ?

श्री ए० सी० गुह : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को जितने ऋण देती है उन पर सामान्यतः जो ब्याज लिया जाता है वही इन मामलों में लिया जाता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

*२०९९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वह नीति और सिद्धान्त अन्तिम रूप से तैयार कर लिए है जिनके आधार पर

विश्वविद्यालयों को अनुदान दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो वह सिद्धांत क्या हैं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उन सामान्य सिद्धान्तों का एक विवरण, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकृत किए हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २]**

डा० राम सुभग सिंह : विवरण की पहली मद में यह लिखा है कि "शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये गए वचनों को पूरा करने के लिए और उन वचनों के अनुसार अनुदान देते रहने के लिए।" ये वचन किस आधार पर दिये गए थे और यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह देखे कि वे दिए गए वचन सामान्यतः उपबन्धित सिद्धान्तों के अनुसार नहीं हैं तो क्या वह उनमें परिवर्तन कर सकता है ?

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गत वर्ष ही बनाया गया है और इस आयोग को बनाने से पूर्व शिक्षा मंत्रालय ने वचन दिए थे। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा जिस के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह समझेगा कि शिक्षा मंत्रालय ने ऐसे वचन दिये हैं जिन्हें वे लागू नहीं कर सकते।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): जनाब, मैं इसे और साफ कर दूं। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कायम नहीं हुआ था तो एजूकेशन मिनिस्ट्री ग्रांट्स देती थी। जब यह कायम हुआ तो इससे कुछ पहले एजूकेशन मिनिस्ट्री कुछ फैसले कर चुकी थी। उस वक्त यह बात तय की गई कि क्योंकि ग्रांट्स कमीशन कायम कर दिया गया है इसलिए इन ग्रांटों का मामला भी इसी के सुपुर्द कर दिया जाय।

डा० राम सुभग सिंह : क्या कालिज के अध्यापकों और कालिजों के अन्य कर्मचारियों के वेतन क्रम और भत्तों की समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास आई है और यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को कुछ सिफारिशें भेजी हैं कि वेतन-क्रम और भत्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कर दिया जाये ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और प्रोफेसरों का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतन-क्रमों का निश्चय किया है और उन्होंने उन वेतन-क्रमों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दे दिए हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक प्रवर समिति के पास है सरकार ने नीतियां और सिद्धांत तैयार करने से पूर्व प्रवर समिति के प्रतिवेदन और विधान के बनने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की ?

मौलाना आज़ाद : पिछले वर्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फैसला किया था कि यह काम बहुत जरूरी है। पारलियामेंट में बिल पेश करने और उसके पास होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए कमीशन फौरन कायम कर दिया जाये और कमीशन को वही पावर दिया जाय जो बिल में रखा गया है। चुनाचे कमीशन कायम हुआ और काम कर रहा है। गवर्नमेंट का यह इरादा नहीं है कि इसके काम में अड़चन और रुकावट डाली जाये।

श्री टी० के० चौधरी : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति की मृत्यु

हो जाने से पैदा हुई रिक्ति पर नियुक्ति कर ली गई है या यह नियुक्ति शीघ्र ही करनी है ?

मौलाना आज़ाद : कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हो जाये ।

सामुदायिक परियोजनाओं में सेना का अंशदान

*२१००. **श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सामुदायिक परियोजना योजनाओं को सफल बनाने के लिये सेना ने यदि कोई काम किया हो तो वह क्या है;

(ख) यह किन स्थानों पर किया गया था; और

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में कितना व्यय करना पड़ा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). सेना ने सामुदायिक परियोजना योजनाओं के सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया । राष्ट्रीय छात्र सेना ने कुछ काम किया था जो सभा-पटल पर रखे गये विवरण में देखा जा सकता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री इब्राहीम : क्या रक्षा विभाग सेना को बिहार की कोसी परियोजना जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में लगाने का विचार कर रहा है ?

सरदार मजीठिया : इस समय नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बारे में कम्यूनिटी प्राजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कभी कोई दरखास्त डिफेन्स मिनिस्ट्री को पहुंची है कि उन्हें सहायता दी जाय या इस बारे में क्या कोई प्रश्न विचाराधीन है ?

सरदार मजीठिया : नहीं ऐसी कोई दरखास्त नहीं आई ।

श्री के० सी० देशमुख : क्या यह कार्य सामुदायिक परियोजना पदाधिकारियों के आमंत्रण पर किया गया था या राष्ट्रीय छात्र सेना ने स्वेच्छा से किया था ?

सरदार मजीठिया : सामान्यतः ऐसा होता है कि हम किसी शिविर की योजना बनाते हैं । हम ऐसी जगह की योजना बनाते हैं जहां सामुदायिक परियोजनाओं का काम हो रहा है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या बुल-डोज़रों जैसी इंजीनियरिंग की मशीनों के कारण भूमिहीन श्रमिक बेकार हैं और क्या सरकार इन मशीनों को भारत में सामुदायिक योजनाओं के निष्पादन के लिये राज्य सरकारों को उधार देने का विचार कर रही है ?

सरदार मजीठिया : पहले तो वे बेकार नहीं हैं; दूसरे जैसा मैं ने पहले बताया है जब कभी राष्ट्रीय महत्व का कार्य होता है सेना पूरा सहयोग देती है ।

राजनैतिक पेंशनें

*२१०२. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को देश में कुल कितनी राजनैतिक पेंशनें दी जाती थीं;

(ख) इस रूप में वर्ष १९५३–५४ में कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या सरकार का इन पेंशनों को बन्द करने का कुछ विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) लगभग ५,६०१ ।

(ख) २७,५६,६३१ रुपये ।

(ग) निम्नलिखित मामलों के सिवाय अन्य राजनतिक पेंशनों को वर्तमान पेंशनरों की मृत्यु पर बन्द कर दिया जायेगा :

(१) भारत के भूतपूर्व शासक परिवारों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों को जो पेंशनें दी जाती हैं, उन में सिवाय

सम्बन्धित अनुदानों को वर्तमान शर्तों के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(२) सरकार द्वारा लिये गये क्षेत्र, भूमि या पूंजीगत राशियों के लिये प्रतिकर स्वरूप दी जाने वाली पेंशनें; ये भी वर्तमान अनुदानों की शर्तों के अनुसार जारी रखी जायेंगी ।

(३) पूर्त प्रयोजनों अर्थात् मन्दिरों, मस्जिदों हेतु दिये जाने वाले अनुदान विद्यमान शर्तों और निबन्धनों के अनुसार जारी रखे जायेंगे यदि वे विहित शर्तों को पूरा करते रहेंगे ।

श्री गिडवानी : पूर्त प्रयोजनों को निकाल कर क और ख श्रेणियों को किन शर्तों पर पें नें देना जारी रखा जा रहा है ?

श्री दातार : जहां तक 'क' और 'ख' श्रेणियों का सम्बन्ध है उन्हें प्रायः दया भाव के आधार पर पेंशनें दी गई हैं और शर्तों के अनुसार ये पेंशनें जारी रखी जानी ह ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कभी इस सुझाव पर भी विचार किया गया है कि भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में जिन राजनैतिक पीड़ितों ने कष्ट उठाया है और आज अपंग हो चुके हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाय और इस बारे में क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ?

श्री दातार : इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

विदेशों में टेक्निकल शिक्षा

*२१०३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४–५५ के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनीलोजी (भारतीय शिल्प विज्ञान संस्था), खड्गपुर के अध्यापकों और विद्यार्थियों को चुन कर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा गया था;

(ख) क्या इस संस्था ने किसी व्यक्ति को "भगिनीत्व सम्बन्ध कार्यक्रम" के अन्तर्गत अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में भेजा गया है; और

(ग) इस "भगिनीत्व संबंध कार्यक्रम" के अधीन अन्य क्या सुविधाएं प्राप्त की गई हैं या दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के संसद-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५४–५५ में विभिन्न योजनाओं के अधीन १८ अध्यापकों को चुना गया था । वर्ष के दौरान उन में से १४ अध्यापक विदेश चले गये ।

(ख) जी, हां । उक्त चौदह अध्यापकों में से दस अध्यापकों को "भगिनीत्व सम्बन्ध' योजना के अधीन संयुक्त राज्य अमरीका के इलीनुआ विश्वविद्यालय में भेजा गया है ।

(ग) "भगिनीत्व" प्रबन्धों के अधीन प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं ये हैं :—

(१) अमरीकी विशेषज्ञ इस संस्था में अतिथि प्रोफेसरों के रूप में काम करेंगे ।

(२) अतिथि प्रोफेसरों के लिये आवश्यक सामान और सज्जा का प्रबन्ध ।

श्री एस० सी० सामन्त : "भगिनीत्व" योजना के अधीन भेजे गये दस अध्यापकों का व्यय कौन देगा ?

डा० एम० एम० दास : टैक्निकल सहकारी मिशन ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अनुदान में सरकार का भाग नहीं होगा ?

डा० एम० एम० दास : नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या "भगिनीत्व सम्बन्ध कार्यक्रम" के अनुसार कोई प्रोफेसर इस टेक्निकल संस्था में आये हैं, और यदि हां, तो वे कितनी देर यहां ठहरेंगे ?

डा० एम० एम० दास : इलीनुआ विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर इस देश में आये हैं और वे भारतीय शिल्प विज्ञान संस्था खड़गपुर में काम कर रहे हैं । वे कितनी देर यहां ठहरेंगे, इस की जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उन दस अध्यापकों पर कोई शर्त लगाई गई है कि उन को कब वापस आना चाहिये ?

डा० एम० एम० दास : वे इस संस्था के कर्मचारी हैं । वे इसी संस्था में काम करते रहेंगे ।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

*२१०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के खड़गवासला स्थानान्तरित हो जाने के कारण देहरादून में कितने भवन खाली हुए हैं; और

(ख) आजकल उन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३४० ।

(ख) इन में इस समय वह फौजें हैं जो ज्वांट सर्विसिज़ विंग के खड़गवासला चले जाने के बाद देहरादून भेजी गई ।

श्री भक्त दर्शन : इस अफवाह में कहां तक सत्य है कि कुछ ही दिनों के बाद वहां से तमाम सेनायें हटा दी जायंगी और वह सब बैरकें, चूंकि वह लड़ाई के जमाने में बनी थीं इसलिये डिस्मैन्ट्ल कर दी जायंगी ?

सरदार मजीठिया : सरकार के ध्यान में ऐसी अफवाह नहीं आई है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जितने भवन आज कल वहां क्लीमंट टाउन में हैं उन का कुल कितना मूल्य आंका गया है ?

सरदार मजीठिया : मुझे इस की पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई इस तरह का विचार किया जा रहा है कि वहां पर स्थायी रूप से कोई ट्रेनिंग सेन्टर रखा जाय, ताकि उन बिल्डिंगों का अच्छी तरह से उपयोग हो सके ?

सरदार मजीठिया : उस इमारत का रक्षा मंत्रालय के अधीन किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग उठाया जाये, यह प्रश्न सदा सरकार के विचाराधीन रहता है ।

मनोवैज्ञानिक गवेषणा पार्श्व

*२१०६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विज्ञान संगठन के मनोवैज्ञानिक गवेषणा पार्श्व में कुल कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन में से किसी अधिकारी ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और यदि हां, तो कितने अधिकारियों ने; और

(ग) उन्होंने किन किन स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तेरह ।

(ख) जी, हां; दो अधिकारियों ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया था ।

(ग) इंग्लिस्तान में ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार ने कभी इन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे

काम के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन या उन के काम का संक्षिप्त विवरण सभा-पटल पर रखा है ?

सरदार मजोठिया : नहीं श्रीमान् । ऐसा नहीं किया गया । परन्तु, चूंकि माननीय मंत्री इस में दिल्चस्पी ले रहे हैं, इसलिये मैं बता सकता हूं कि अन्य काम के अतिरिक्त इस पार्श्व ने लगभग ३३ पत्र तैयार किये हैं, जिन में कर्मचारियों के चुनाव के सम्बन्ध में नियम आदि दिये गये हैं कि उन्हें किस प्रकार सर्वोत्तम रीति से प्रशिक्षण दिया जाये, आदि ।

श्री के० सी० सोधिया : यदि संभव हो, क्या सरकार एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगी ताकि सभा को यह विदित हो सके कि यह किस प्रकार का काम है ?

सरदार मजोठिया : नहीं, श्रीमान् । इस की कोई आवश्यकता नहीं है । यह सरकार के पास है और यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय में दिलचस्पी लेता है, तो वह अवश्य ही इस पार्श्व से परामर्श कर सकता है और इस के कर्मचारी प्रसन्नतापूर्वक सदस्य की सहायता करेंगे ।

नौ-सेना प्रशिक्षण केन्द्र, हामला

*२१०७. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौ-सेना प्रशिक्षण केन्द्र, हामला (बम्बई) से अब तक कितने नौजवानों ने शिक्षा प्राप्त की है; और उन में से कितने अनुसूचित जाति के हैं;

(ख) आजकल इस प्रकार की कितनी और संस्थायें हैं; और

(ग) क्या नौ-सेना की आवश्यकता के लिये वे काफी हैं ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया) : (क) जिन अफसरों और रेटिंग्स ने शिक्षा प्राप्त की है उन की कुल संख्या बताना लोक हित में नहीं है, लेकिन इन में से ५ अनुसूचित जाति के हैं ।

(ख) और (ग). आई० एन० एस० "हामला" भारतीय नौ-सेना का अकेला ही सप्लाई और सेक्रिट्रियेट स्कूल है और इस की आवश्यकता के लिये काफी है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित करने पर विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजोठिया : जी नहीं, मगर जो कोई भी यहां ट्रेनिंग ले सकता है और ट्रेनिंग लेने का अधिकार रखता है उस को ट्रेनिंग दी जाती है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन संस्थाओं में उम्मीदवारों के चुनाव का क्या तरीका है और इन उम्मीदवारों के दाखिले के लिये ज़रूरी काबलियत क्या रखी गई है ?

सरदार मजोठिया : इस के लियेए एक सीलेक्शन बोर्ड है और नेवल हैडक्वार्टर्स भी हर तरीके से देखता है और जो शिक्षा पाने के लिये बेहतर समझा जाता है उस को शिक्षा दी जाती है ।

श्री थानू पिल्ले : इन में से कितने व्यक्ति मछुआ जाति से संबंधित हैं ?

सरदार मजोठिया : मुझे खेद है कि हम मछुवों के पृथक् आंकड़े नहीं रखते । मैं ने यह कह दिया है कि पांच व्यक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या समुद्री सेनाओं में अनुसूचित जातियों के स्वस्थ और देशभक्ति की भावना वाले नवयुवकों को भरती करने के लिये भरसक

प्रयत्न किये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मछुवों के लड़कों को जो मेट्रिक या एफ० ए० है भरती किया गया है ?

सरदार मजीठिया : उपयुक्त व्यक्तियों को समुद्री सेना और अन्य रक्षा सेवाओं में भरती करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है और अभी तक हमारी इन सेवाओं में कमी नहीं हुई है ।

एम० ई० एस० कर्मचारी संघ

*२१०९. **श्री गिडवानी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर के एम० ई० एस० कर्मचारी संघ की क्षेत्रीय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रक्षा संगठन मंत्री से भेंट की थी और उन के समक्ष चिकित्सा कर्मचारियों की छंटनी, औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों में असमानता, आदि सम्बन्धी शिकायतें पेश की थीं;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिनिधि-मण्डल की मांगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : एम० ई० एस० कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि १२ फरवरी, १९५५ को रक्षा संगठन मंत्री से अम्बाला में मिले थे, जब कि मंत्री महोदय वहां गये थे, और उन्होंने मंत्री महोदय के समक्ष अपनी कुछ मांगें प्रस्तुत की थीं । कर्मचारियों की छंटनी तथा औद्योगिक और अनौद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों में असमानता के बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कोई मांग प्रस्तुत नहीं की ।

(ख) तथा (ग). कर्मचारियों की मांग का सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री गिडवानी : ये मांगें किस प्रकार की थीं और उन पर कितना विचार किया गया है ?

सरदार मजीठिया : मांगें ये हैं :— मासिक डाक्ट्री परीक्षा की पुरानी पद्धति को हटाना, कमचारियों के लिये आवास का प्रबन्ध, जम्मू तथा काश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा, एम० ई० एस० कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियम, आदि ।

श्री गिडवानी : सरकार उन पर कब विचार करेगी और निश्चय करेगी ?

सरदार मजीठिया : सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है और हमें निकट भविष्य में ही निर्णय करना चाहिये ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*१७३५. **श्री केशवैयंगार** : क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ अगस्त, १९५३ के पश्चात् सरकार द्वारा केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड को सन् १९५३–५४ और १९५४–५५ के लिये कुल कितनी धन-राशि मंजूर की गई है;

(ख) उस राशि में से वास्तव में कितना धन खर्च हुआ है और कितना धन व्यपगत हुआ है;

(ग) इस काम के लिये अब तक मैसूर सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) मैसूर में अब तक लोगों या संस्थाओं द्वारा नक़दी या जिनसे में इच्छापूर्वक जो दान दिया गया है, वह कितना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । [देखिय परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४]

श्री केशवैयंगार : इस स्वेच्छापूर्वक दान मे कितना धन इकट्ठा हुआ है और स्थापना का व्यय कितना है ?

डा० एम० एम० दास : १९५३–५४ के कुल व्यय में से, स्वयंसेवी संगठनों को ६,९६,७७५ रुपये का सहाय्य-अनुदान मिला था । अन्य स्थापना व्यय ८८,३०१ रुपये ६ आने ३ पाई था । १९५४–५५ में स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये १३,५०,८३२ रुपये ३ आने ९ पाई का सहाय्य अनुदान था और अन्य स्थापना व्यय २६६,८३८ रुपये १० आने था ।

श्री हेडा : जब उस मांग पर विचार किये जाने से पूर्व राज्य बोर्ड का परामर्श मांगा जाता है, और बोर्ड विलम्ब करता है अथवा किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं देता, तो इन स्वयंसेवी संस्थाओं के पास इस का क्या उपचार है ?

डा० एम० एम० दास : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : विभिन्न राज्य-बोर्डों को कितने प्रार्थना-पत्र भेजे गये थे और कितने मामलों में परामर्श प्राप्त हुआ था ?

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न इस बात से उत्पन्न नहीं होता । यह नितान्त भिन्न प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : सूची में जितने भी प्रश्न थे वे सब समाप्त हो चुके हैं । अब हम उन सदस्यों के प्रश्नों को लेंगे, जो बुलाने पर अनुपस्थित थे और अब उपस्थित हैं ।

सरकारी कर्मचारी

*२०८२. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की सेवाओं के बारे में सरकार ने कोई निश्चय कर लिया है, जिन्होंने अन्तिम रूप म पाकिस्तान जाने का विकल्प किया था और जो बाद में भारत आ गये;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है;

(ग) इस से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिन्होंने अन्तिम रूप में पाकिस्तान जाने का विकल्प दिया था, और जो बाद में भारत आये अथवा पाकिस्तान में होने वाले दंगों के कारण वहां नहीं गये, यथासंभव, सरकारी नौकरी पर लगा दिये गये हैं और उन के साथ सामान्यतया उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त और सिन्ध के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का सा बर्ताव किया जाता है । पारस्परिक आधार पर विकल्प-परिवर्तन के कार्यरूप अंगीकार करने का प्रश्न पाकिस्तान सरकार के परामर्श के साथ विचाराधीन है ।

(ग) १९५१ तक लगभग ऐसे १३० व्यक्ति फिर से नौकरी पर लगा लिये गये थे ।

खेल संगठन

*२०९३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री निम्न जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय खेल परिषद् ने भारत के विभिन्न खेल-संगठनों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं, और कितनी सहायता की सिफारिश की गई है; और

(ग) अब तक किस प्रकार यह सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्री भागवत झा आजाद : किस आधार पर विभिन्न संगठनों को धन दिया गया था ?

डा० एम० एम० दास : आधार यह था :

(१) भारतीय खिलाड़ी दलों को विदेश भेजना;

(२) अन्य देशों के खिलाड़ी दलों को भारत में बुलाना;

(३) प्रशिक्षण के लिये शिक्षा देना ;

(४) सामान के लिये अनुदान;

(५) राज्य के या स्थानीय खेल संगठन; और

(६) स्कूलों, कालिजों और विश्व-विद्यालयों के बीच टूर्नामेन्ट ।

श्री भागवत झा आजाद : खेल के विभिन्न संगठनों से कितने प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिये गये थे ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् की स्थायी समिति द्वारा दी गई मंत्रणा के अनुसार कार्यवाही की थी ।

श्री भागवत झा आजाद : किन कारणों से कुछ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये थे ?

डा० एम० एम० दास : मैं ने कहा है कि सरकार ने खेल परिषद् की स्थायी समिति की मंत्रणा के अनुसार कार्यवाही की थी । केवल उन संगठनों को सरकारी अनुदान दिये गये थे, जिन के लिये स्थायी समिति ने सिफारिश की थी ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय खेल क्लब की सरकारी अनुदान देने के प्रश्न पर खेल परिषद् ने विचार किया था, और यदि हां, तो इस के अस्वीकृत होने के क्या कारण थे ?

डा० एम० एम० दास : प्रार्थना-पत्र भारतीय खेल मंत्रणा परिषद् के पास भेजा जाना चाहिये था । मुझे मालूम नहीं है कि उस परिषद् के पास कोई प्रार्थना पत्र भेजा भी गया था । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यह केवल उन्हीं संगठनों को अनुदान देती है जिन के लिये सिफारिश की जाती है । मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि यदि राइफल क्लब का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुआ था, तो इस का ठीक कारण क्या था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केशव मंदिर, सोमनाथ पुर

*२०९४. **श्री एन० राचय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला मैसूर, सोमनाथपुर में केशव मन्दिर टूटी फूटी हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो इस की मरम्मत के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर राज्य में बहुत से ऐतिहासिक स्मारक टूटी फूटी हालत में हैं, यदि ऐसा है तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० एम० एम० दास : सब प्राचीन स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं । उन सब स्मारकों की, जो केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन ले लिये गये हैं और जिन के नाम राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में

सम्मिलित हैं, पूरी देख रेख की जाती है और जब आवश्यक होता है उन की मरम्मत की जाती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय सभा-सचिव ने कहा था कि मन्दिर टूटी फूटी हालत में नहीं हैं । मैं उसी स्थान का रहने वाला हूं जहां यह मन्दिर है । यह बड़ी टूटी फूटी हालत में है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या यह संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित है । यदि ऐसा है तब तो यह पुरातत्व विभाग के अधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रश्न यह है कि क्या इस मन्दिर का नाम उस में सम्मिलित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पत्रों को देख सकते हैं । अभिलेख से यह जानकारी उपलब्ध हो सकती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह सम्मिलित है ।

अध्यक्ष महोदय : सम्भव है । अगला प्रश्न ।

बीमा कर्मचारी संघ

*२०९६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीमा कर्मचारी संघ, बम्बई से उन की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य मांगें क्या ह; और

(ग) उपरोक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संघ ने १७ मार्च, १९५५ के अन्तिम अभ्यावेदन में निम्नलिखित मांगें की हैं :

(१) अब तक छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करना और आगे के लिये छंटनी पर रोक;

(२) उन बीमा समवायों के मामलों की जांच जहां छंटनी की नीति अपनाई गई है; और

(३) कर्मचारियों के हितों के संरक्षण का आश्वासन ।

(ग) अभ्यावेदन की जांच की जा रही है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार उन की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है और क्या यह सब मामले किसी न्यायाधिकरण को भेजने का विचार है ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं ने बताया है अभ्यावेदन का परीक्षण किया जा रहा है । यदि कर्मचारियों को कोई शिकायत हो तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २५ (च) और (छ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है । पहले भी कई बार ऐसा किया गया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : गत वर्ष श्रम मंत्री ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि एक अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जा रहा है और अन्तिम स्वीकृति के लिये उच्चतम स्तर पर बातचीत चल रही है । अब यह बातचीत कहां तक पहुंच गई है ?

श्री एम० सी० शाह : दी गई जानकारी सम्भवतः ठीक नहीं है । यदि वह श्रम मंत्रालय द्वारा ९ अगस्त, १९५४ को जारी की गई

विज्ञप्ति को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि उन का अखिल भारतीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

अनुसूचित जातियां

*२०९७. **श्री बालकृष्णन्** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५४-५५ तक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कितनी राशि खर्च की गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनायें अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और उन्हीं के संसाधनों से उन्हें पूरा किया जाता है । भारत सरकार केवल अस्पृश्यता निवारण की योजनाओं के लिये सहायता देती है । सूचना मिली है कि वर्ष १९५३-५४ में इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों में से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा १६ लाख रुपया खर्च किया गया था । १९५४-५५ में किये गये व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं पर इस वर्ष के दौरान में भारत सरकार ने ५८ लाख रुपया स्वीकार किया था ।

श्री बालकृष्णन् : गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि दी गई थी ?

श्री दातार : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

बैंकों का परिसमापन

*२०९०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वित्त मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) पश्चिमी बंगाल में बैंकों के खिलाफ़ परिसमापन कार्यवाही में अब तक क्या प्रगति हुई है और वह कितने समय में पूरी होगी;

(ख) कुल कितनी राशि और कितने लोग अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) इस कार्यवाही पर अभी तक सरकार ने कितना व्यय किया है; और

(घ) क्या सम्बन्धित बैंकों से खर्च वापस लिया जा सकता है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री के० सी० सोधिया : इस लम्बे विवरण में यह नहीं बताया गया कि कार्यवाही कब आरम्भ हुई ?

श्री ए० सी० गुह : सब बैंकों के लिये मैं ठीक-ठीक तिथि नहीं बता सकता । १९३० से ले कर १९५४ तक भिन्न भिन्न तिथियों को विभिन्न बैंकों की कार्यवाही शुरू हुई ।

श्री के० सी० सोधिया : इस में ७१ बैंक अन्तर्ग्रस्त हैं । यह बताया गया है कि केवल ७ के लाभांश घोषित किये गये हैं । इस रफ्तार से सरकार को सारे मामले का निबटारा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० सी० गुह : इन बैंकों की परिसमापन कार्यवाही की असन्तोषजनक हालत के बारे में सभा जानती है । इसी लिये एक विशेष अधिनियम पारित किया गया था । न्यायालय की ओर से बैंकों की परिसमापन कार्यवाही के लिये एक परिसमापन नियुक्त किया गया है जिस ने एक वर्ष से कुछ अधिक समय हुआ कार्य संभाला । उस के पश्चात् सन्तोषजनक प्रगति हुई है । अधिक वसूली की गई है और इस पर लागत में भी कमी हो गई है ।

श्री के० सी० सोधिया : उन व्यक्तियों की लगभग संख्या क्या है जिन पर इन बैंकों के फेल हो जाने से कुप्रभाव पड़ा है ?

श्री ए० सी० गुह : जितने बैंक हैं उतने ही प्रबन्ध निदेशक हैं । रुपया जमा कराने वालों की संख्या कुछ हज़ार होगी

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार को इन लोगों की हालत से सहानुभूति होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कलकत्ते में नौसेना की गोदी

*२०७५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में नौसेना की गोदी के विकास कार्य पर कितने खर्च का अनुमान है; और

(ख) क्या कार्य आरम्भ हो गया है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) कलकत्ता में नौसेना की कोई गोदी नहीं है और न ही इस की व्यवस्था करने का विचार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिछड़ी जातियों के लिये विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां

*२०७८. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री पिछड़ी जातियों के उन छात्रों के नाम बतायेंगे जिन्हें १९५४ में विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियां दी गईं और वह छात्र किन राज्यों के रहने वाले थे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ७**]

मेवाड़ भील कोर

*२०८३. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५३ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवाड़ भील कोर को केन्द्रीय रक्षित पुलिस बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव मिले हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विन्ध्य प्रदेश द्वारा अनुदानों का उपयोग

*२०८४. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में विन्ध्य प्रदेश को दिये गये कुल अनुदान में से जिस धन का उपयोग नहीं हुआ और जो व्यपगत हो गया था क्या विन्ध्य प्रदेश सरकार को वह धन योजना के शेष काल के लिये फिर से उपलब्ध किया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पंच-वार्षिक योजनाओं में शामिल की गई योजनाओं पर जिस धन का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, या जो व्यपगत हो गया है, उन के लिये १९५५-५६ के बजट में से धन मिलेगा । किसी भी स्वीकृत योजना को धन की कमी के कारण नुकसान नहीं होगा ।

पुस्तकालय आन्दोलन का विकास

*२०८६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिये किये गये आवंटन का भिन्न भिन्न राज्यों ने किस ढंग से और कहां तक उपयोग किया ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : अभी राज्य सरकारों ने अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी है ।

नासिक प्रेस

*२०८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नासिक प्रेस के लिये वार्षिक सामग्री खरीदने पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इस के खरीदने का उत्तरदायित्व किस अभिकरण पर था ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

खरीदने वाला अभिकरण	वार्षिक सामग्री की खरीद पर खर्च की गई राशि		
	१९५१-५२ रु०	१९५२-५३ रु०	१९५३-५४ रु०
१	२	३	४
(१) महा निदेशक, भारतीय भंडार विभाग, लंदन .	८१,७९,४८५	१३७,३८,१२२	७३,५८,५८८
(२) महा निदेशक, संभरण तथा उत्सर्जन, नई दिल्ली .	३५,१७,९२९	४९,३४,५४३	४३,२३,८७२
(३) मास्टर इंडिया सीक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड	५४,२५,२१४	३४,१२,०४९	४५,०३,७३२
कुल . .	१७१,२२,६२८	२२०,८४,७१४	१६१,८६१,९२

सीमा सम्बन्धी झगड़े

*२०८८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर बहने वाली नदियों के किनारे स्थित गांवों की जो भूमि धारा परिवर्तन के दूसरे राज्यों में कट कर चली जाती है उन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है;

(ख) क्या जिन राज्यों में नदियों के बहाव में परिवर्तन के कारण सीमा सम्बन्धी झगड़े हैं, उन को तय करने के लिये समितियां बनाई गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उन समितियों ने क्या निर्णय किये; और

(घ) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमायें तय हो गई हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अलावा जिन के विषय की स्थिति निम्न उत्तर के (घ) भाग में बताई गई है, किसी अन्य राज्य ने भारत सरकार से इस प्रकार के झगड़े निबटाने का अनुरोध नहीं किया । इसलिये सीमा समिति या कोई आम नीति बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठा है ।

(घ) मार्च १९५० में बिहार राज्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, दोनों

राज्यों की सीमा निश्चय करने के लिये भारत सरकार द्वारा सीमा समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था। जब इस प्रकार की समिति बनाने की कार्यवाही लगभग समाप्ति पर थी, उसी समय दोनों राज्य सरकारों ने आपस में इन झगड़ों को तय करने की संभावना पर विचार आरम्भ किया और निश्चयों पर सहमत हो गये। भारत सरकार को आगे इस विषय में राज्य सरकारों से कोई समाचार नहीं मिला।

आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन

*२०८९. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों ने गत पांच वर्ष में आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन का उपयोग बोनस के अंश देने में किया था और यदि हां, तो क्या वे अंश पुनर्मूल्यांकन में से ही दिये गये या उस लाभ में से भी जो पूंजी के रूप में लगाया जा चुका था; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये भारत से बाहर पंजीकृत विदेशी मिलकीयत के समवायों को भारत सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान्। बोनस के अंश देने के लिये पूंजी निर्गम (नियन्त्रण जारी रखना) अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है और गत पांच वर्ष में सरकार ने निश्चित आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित रक्षित निधियों पर अधिकार करके बोनस के अंश देने की सम्मति नहीं दी है।

(ख) यदि एक ऐसा समवाय जो भारत में संस्थापित नहीं होता भारत में पूंजी लगाना चाहता है तो उसे भारत सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करनी होती है और इस मामले में भी वैसी ही जांच पड़ताल होती है जैसी भारत में संस्थापित किसी समवाय के सम्बंध में होती है।

राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय

*२०९८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में कितनी लड़कियां राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय में सम्मिलित हुई हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ५,२७०।

ग्रामीण प्रत्यय सर्वेक्षण समिति

*२१०५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री ११ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५० के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) ग्रामीण प्रत्यय सर्वेक्षण समिति की सिपारिशों पर सविस्तार विचार करने के लिये राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य किन लोगों का परामर्श लिया जा रहा है; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक राज्यों अथवा अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की हैं ?

राजस्व और सैनिक व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). सहकारी व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में अखिल भारतीय ग्रामीण प्रत्यय सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई सिपारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के अतिरिक्त रक्षित बैंक के कृषि प्रत्यय संगठन विभिन्न अखिल भारतीय संगठनों और केंद्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों से परामर्श लिया जा रहा है। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा निमन्त्रण दिया गया है कि वे इस महीने की १४, १५ और

१६ को केन्द्रीय सरकार से इस उद्देश्य से भेंट करें कि इन सिफारिशों को जांचा जा सके और राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रेतर कार्यवाही के हेतु उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके ।

आस्ट्रेलिया में विद्यार्थी

*२१०८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया के प्राधिकारियों द्वारा उन पर कोई शर्तें लगाई गई हैं; तथा

(ग) वे वहां किन किन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ८३ ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय नमूना परिमाप

*२११०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नमूना परिमाप संगठन के कृषि-भूखण्डों के नमूना-परिमाप के कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : कृषि-भूखण्डों के नमूना परिमाप का क्षेत्रीय कार्य जो अगस्त १९५४ के बीच में आरम्भ हुआ था फरवरी १९५५ की समाप्ति तक सर्वेक्षण के लिये चुने गये ४,५०० ग्रामों में से ४,००० ग्रामों में पूरा हो चुका है । आशा थी कि मार्च १९५५ की समाप्ति तक, जम्मू तथा काश्मीर के कुछ भागों के अतिरिक्त जहां मौसम खराब होने के कारण सर्वेक्षण का कार्य गरमी के मौसम तक निलम्बित कर दिया गया, शेष सब स्थानों पर क्षेत्रीय कार्य समाप्त हो जायेगा ।

सरकारी कर्मचारी

६५६. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को सेवा-निलम्बित किया जाता है; और

(ख) एक सरकारी कर्मचारी का कितने समय तक के लिये निलम्बन किया जा सकता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम (नियम ४९), में और उन सेवाओं के लिये, जिन पर सी० एस० (सी० सी० ए०) नियम लागू नहीं होते, तत्सम्बन्धी नियमों में संगत उपबन्ध दिये गये हैं । असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद १९४ और १९४-क तथा ए० जी० पी० एंड टी० द्वारा तयार की गई फन्डामेंटल एण्ड सप्लीमेन्ट्री रूल्स (आधारभूत तथा पूरक नियम) के खंड २ के परिशिष्ट ३ में दिये गये प्रशासनिक अनुदेशों की धारा ४ की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है ।

(ख) किसी भी सरकारी कर्मचारी को जितना आवश्यक तथा उपयुक्त हो, उतने ही समय के लिये निलम्बित किया जा सकता है ।

निवृत्ति-वेतन

६५७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ (अब तक) में उन निवृत्ति वेतनों की पेशगी के रूप में, जो पाकिस्तान से भेजी जानी हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों

के विस्थापित सेवानिवृत्त कर्मचारियों में कुल कितनी राशि बांटी गई है;

(ख) उन के निवृत्ति-वेतन पाकिस्तान से भारत लाने में कितना समय लगेगा; और

(ग) इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

भारतीय विमान बल की विधि शाखा

६५८. **श्री चिनारिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल की विधि शाखा के कर्मचारियों, विशेषकर मुख्य विधि सम्बन्धी मंत्रणाकार का विधि व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी नहीं । विधि सम्बन्धी कार्य के लिये नियुक्त किये लोगों के पास विधि सम्बन्धी अर्हतायें हैं ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम

६५९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वोडयार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रम लागू किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने विश्व-विद्यालयों में ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). राज्य विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय के सब श्रेणियों के अध्यापकों के लिये विश्व-विद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन-क्रम लागू करने का काम राज्य सरकारों का है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जिन वेतन-क्रमों की सिफारिश की है वे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं लागू किये गये हैं ।

डकैतियां

६६०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तथा ३१ जनवरी, १९५५ तक विभिन्न राज्यों में कुल कितनी डकैतियां पड़ीं;

(ख) उन में कितने व्यक्ति मरे, तथा कितने घायल हुए;

(ग) इन डकैतियों में कितनी सम्पत्ति की हानि हुई अथवा नष्ट हुई;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुख्यात डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिये अन्तर्राज्यीय पुलिस के विशेष दस्ते बहुत दिनों से कार्यरत हैं, किन्तु अपने प्रयत्नों में वे अब तक असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन असफलताओं के क्या कारण हैं, और इन बढ़ती हुई विधि-विहीन शक्तियों के दमन के लिये आज कल क्या कार्यवाही की जा रही है;

(च) डाकुओं की गिरफ्तारी और डाकू विरोधी अन्य कार्यवाहियों के लिये विभिन्न राज्यों में रखी गई पुलिस पर कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय हुआ है; और

(छ) डाकुओं से हुई मुठभेड़ में कितने पुलिस कर्मचारी तथा कितने डाकू मारे गये तथा घायल हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग), (च) और (छ). सभा-पटल पर

एक विवरण रखा हुआ है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ८]

(घ) और (ङ). कुछ अंतर्राज्यीय पुलिस दस्ते हैं जो कि डकैतियां रोकने में कार्यरत हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारें इस प्रकार के जुल्म को दबाने का सम्भव प्रयत्न कर रही हैं और आवश्यकतानुसार, डकैतियां रोकने को, अतिरिक्त दस्ते और सामग्री भेजी जा रही है।

ब्रिटिश वज्ञानिकों का आगमन

६६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस सन्था के इक्तालीसवें सत्र में, जो जनवरी १९५४ में हैदराबाद में हुआ था, दर्शकों के रूप में कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक आये थे; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कौन कौन सी संस्थायें देखीं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ९]

कोलम्बो योजना

६६२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि १९५४ में भारत को इंगलैंड से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की और कितनी सहायता मिली थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : १९५४ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हमें इंगलैण्ड से हस्पतालों और गवेषणा संस्थाओं के लिये २,०७,००० रुपये का सामान मिला है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना

६६३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना सम्बन्धी नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के लिये भर्ती शुरू हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इस सेना में कितने व्यक्ति हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) योजना के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है। नियम तब बनाये जायेंगे जब संसद् के सामने शीघ्र ही लाया जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना विधेयक पारित हो जायगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाल अपचार

६६४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी हो :

(क) दिल्ली राज्य में १९५३ और १९५४ में बालकों ने निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कितने अपराध किये:—(१) हत्या (२) चोरी (३) हमला जिस में आपराधिक हमला भी सम्मिलित है और (४) डकैती;

(ख) कितने प्रतिशत अपराधों का पता नहीं चला और कितने प्रतिशत अपराधियों के दोष सिद्ध हुए; और

(ग) दिल्ली राज्य में कितने अपराधी गृह खुल चुके हैं और उन में रहने वालों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १०**]

ठेकेदारों के बिल चुकाना

६६५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में शिक्षा निदेशक ने बहुत समय से ठेकेदारों के बिल रोक रखे हैं ;

(ख) १९५३ और १९५४ से कितने बिल रुके पड़े हैं; और

(ग) ठेकेदारों की कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में क्लबों को सहायता

६६६. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में त्रिपुरा में किन किन क्लबो को व्यायाम-स्वास्थ्य सुधार के लिये सरकारी सहायता मिली; और

(ख) यह सहायता किन आधारों पर दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) त्रिपुरा में किसी क्लब को इस प्रकार की सहायता नहीं मिली ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नासिक प्रेस

६६७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नासिक प्रेस में भारतीय और विदेशी पदाधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ख) उन कर्मचारियों के क्या नाम है जिन्होंने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ग) क्या प्रेस में सब भारतीय कर्मचारी रखने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कितने समय में हो जायेगा;

(ङ) क्या चित्रकारों, एंग्रेवरों (ब्लाक को खुदाई करने वालों), फोटोग्राफरों, मशीन की मरम्मत करने वालों और हेड-चेकरों को दैनिक मजूरी मिलती है; और

(च) यदि हां, तो क्या उन के लिये दैनिक मजूरी की बजाये मासिक वेतन का तरीका जारी करने का सरकार का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) मार्च १९५५ को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, में काम करने वाले पदाधिकारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :—

भारतीय	३६२४	(३१६९ श्रमिकों सहित)
विदेशी	१	
कुल	३६२४	

(ख) प्रेस के इन कर्मचारियों ने विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया है :—

(१) श्री जे० सी० दत्त गुप्त

(२) श्री वी० आर० गोडबोले

(३) श्री एस० के० बोस

(४) श्री सी० डी० सूज़ा

(ग) और (घ). हां, श्रीमान् । प्रेस में विदेशी कर्मचारियों के स्थान पर भारतीय

कर्मचारी रखे गये हैं। फिर भी प्रेस कर्मचारियों को स्टाम्प छापने के नये तरीके, जिस का नाम 'फोटोग्रेव्योर' है, का प्रशिक्षण देने के लिये १९५० में एक विदेशी विशेषज्ञ को ठेके पर लिया गया था। उस के ठेके की अवधि २-११-१९५५ को समाप्त हो जायेगी।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मथुरा में खुदाई का काम

६६८. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मस्थान के निकट खुदाई का काम आरम्भ किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : हां, श्रीमान्।

लाथाबाड़ी सरकारी एल० वी० स्कूल (त्रिपुरा)

६६९. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अप्रैल, १९५४ के पश्चात् त्रिपुरा सरकार ने लाथाबाड़ी सरकारी एल० वी० स्कूल (त्रिपुरा) में कोई अध्यापक नियुक्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है। उपलब्ध होने पर उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा।

राजस्थान के महाराज प्रमुख

६७०. **डा० रामा राव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि उस के द्वारा राजस्थान के महाराज प्रमुख तथा राजप्रमुख को देय वार्षिक भत्ते उस के क्षीण संसाधनों पर एक अनुचित भार थे और महाराज प्रमुख के पद की कोई संविधानिक स्थिति नहीं है; और

(ख) उन को इस समय दिये जा रहे वार्षिक भत्तों की रक़म क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में १९५२ में राजस्थान सरकार से प्रतिनिधान प्राप्त हुए थे। यह विषय वित्त आयोग के ध्यान में भी लाया गया था, जिस ने, राजस्वों के प्रक्रामण सम्बन्धी उस की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सहायता की परिमात्रा को ध्यान में रखने के पश्चात्, यह निर्णय किया कि उक्त राज्य को विशेष सहायता की आवश्यकता होने की स्थिति में नहीं समझा जा सकता था।

(ख) महाराजप्रमुख ६ लाख रुपये प्रति वर्ष
उपराजप्रमुख १ लाख रुपये प्रति वर्ष।

पूर्वी पंजाब विशेष न्यायाधिकरण

६७१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पंजाब विशेष न्यायाधिकरण ने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है;

(ख) न्यायाधिकरण के परिक्षाधीन मामलों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इस न्यायाधिकरण पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) उसे अपना कार्य समाप्त करने में और कितना समय लगने की संभावना है ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : (क) और (ख). उस को जांच के लिये सौंपे गये ८१ मामलों में से पूर्वी पंजाब विशेष न्यायाधिकरण, शिमला ने अब तक ६४ मामले निपटाये हैं ।

(ग) १३,३१,८०० रुपये ।

(घ) कोई एक वर्ष ।

खनिजों के मितव्ययी एककों सम्बन्धी नियम

६७२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के खनिजों के मितव्ययी एककों सम्बन्धी नियमों को निर्धारित करने वाली सिफ़ारिशों को जो योजना आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय २७ में दी हुई हैं कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) यदि उन को कार्यान्वित न किया गया हो तो सरकार कब उन को कार्यान्वित करने की प्रस्थापना करती है; और

(घ) इन शक्तियों का उपयोग इस समय कौन सा प्राधिकार कर रहा है ।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ). खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९४८ (१९४८ का ५३ वां) की धारा ५ के अन्तर्गत जारी किये गये खनिज समनुदान नियमों, १९४९ में यह उपबन्ध है :

(क) कोई भी पट्टेदार स्वयं अथवा अपने हितों में सहभागी किसी व्यक्ति के साथ किसी राज्य में किसी एक खनिज के सम्बन्ध में अथवा खनिजों के सम्बद्ध वर्ग के सम्बन्ध में कुल मिला कर दस वर्ग मील से अधिक अपने पट्टे में नहीं रखेगा ।

(ख) कोयले के मामले में, पट्टे पर या उप-पट्टे पर दिया गया क्षेत्र १०० एकड़ से कम का नहीं होगा ।

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ५३वां) की धारा ६ के अन्तर्गत खनिज परिरक्षण तथा विकास नियम १९ मार्च, १९५५ को प्रख्यापित किये गये थे, और १ अप्रैल, १९५५ से लागू हुए थे । विभिन्न खनिजों के मामले में मितव्ययी एककों के प्रश्न का अध्ययन नये नियमों के अन्तर्गत एकत्रित की जाने वाली सूचना के उपलब्ध होने पर भारतीय खान कार्यालय द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा ।

बम्बई विद्युत् तापीय शक्ति परियोजना

६७३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) ट्रौम्बे तापीय विद्युत् शक्ति परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ; और

(ख) क्या उक्त स्वीकृत ऋण प्राप्त कर के काम में ले आया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १० अनुबन्ध संख्या ११]

कैन्टीन भांडार विभाग

६७४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों को वर्ष में कितने दिन की बीमारी की छुट्टी मिलती है;

(ख) क्या ऐसा कोई उपबन्ध है कि बीमारी के कारण मिलने वाली छुट्टी जमा होती हो;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को बीमारी के समय में बीमारी के कारण दी जाने वाली जमा हुई छुट्टी का लाभ उठाने नहीं दिया जाता है किन्तु उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे पहले अर्जित छुट्टी ले लें; और

(घ) यदि हां, तो उस के लिये क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार भजोठिया) : (क) पंद्रह दिन ।

(ख) नहीं ।

(ग) तथा (घ). विभाग के छुट्टी के नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, जो बीमार हो, पहले आकस्मिक तथा अर्जित छुट्टी जो उस के नाम में जमा हो लेनी पड़ती है । यदि ऐसी कोई छुट्टी उस के नाम में जमा नहीं हो तो उसे एक पत्री वर्ष में पन्द्रह दिन की छुट्टी डाक्टरी सार्टिफिकेट पेश करने पर पूरे वेतन पर मिलती है ।

आय पर दोहरा कर

*६७५. **श्री तुलसी दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर अधिनियम की धारा ४९घ के १९५१ में हुए संशोधन के पहले और पीछे इंगलिस्तान से प्राप्य दोहरे कर के बारे में दी गई सहायता की स्थिति;

(ख) क्या १९४९–५० से १९५१–५२ तक की निर्धारण अवधि में १०० प्रति शत तक एक-पक्षीय सहायता देने के लिये सरकार ने धारा ४९-घ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन कोई अधिसूचना निकाली है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) भारतीय आय का अधिनियम की धारा ४९-घ का संशोधन १९५३ में हुआ था, १९५१ में नहीं । १९५२–५३ और उस से आगे के वर्षों के कर निर्धारण के सम्बन्ध में इंगलिस्तान में होने वाली आय के सम्बध में, एक पक्षीय छट, जैसी कि दूसरे देशों के, जिन के साथ भारत का दोहरे करारोपण के सम्बन्ध में कोई करार नहीं है, प्राप्त आय पर जिस पर इंगलिस्तान में दोहरा कर लगा हो, भारतीय अथवा इंगलिस्तान के कर में से जो कम हो, पर उस शत प्रतिशत के हिसाब से दी जाती है । इस से पहले के कर निर्धारणों के सम्बन्ध में १९४९–५०, १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के लिये ऐसी सहायता, दोनों करों में से जो कम हो, उस क ५० प्रति शत पर ग्राह्य है । यह इंगलिस्तान तथा दूसरे विदेशों की आय के बारे में लागू है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) इस सक्षमकारी शक्ति को प्रयोग में लाने के लिये पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

भारतीय नौ-सेना

६७६. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विभिन्न दशों से भारतीय नौ-सेना के लिये कितने जलयान मंगाये गये;

(ख) किन किन देशों से वे खरीदे गये थे तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ;

(ग) उन में से नये तथा पुराने जल-यानों की अलग अलग संख्या कितनी है;

(घ) नौ-सेना के कितने पुराने जलयानों के स्थान पर नये जलयान मंगाये गये हैं; और

(ङ) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में और अधिक जलयान मंगाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया) (क) और (ख) —

जलयान की किस्म		देश जिस से खरीदा	राशि जो अब तक व्यय हुई
क्रूज़र	२	यू० के०	लगभग १·८२ करोड़
'आर' किस्म के डेस्ट्रायर	३	यू० के०	१५५ लाख
हंट किस्म के डेस्ट्रायर	३	एडमिरेल्टी से लोन पर लिये हुए	दुबारा फिट करने और मरम्मत की लागत १२४·६० लाख
सामान और मरम्मत का जहाज़	१	कैनेडा	४३·११ लाख
टकर	१	इटली	४८·८ लाख

(ग) नये जलयान १ (टेंकर)

पुरान जलयान ९ (एडमिरेल्टी से लोन पर लिये तीन जलयानों सहित)

(घ) अभी तक कोई नहीं।

(ङ) जी हां ।

तीस हजारी में जिला न्यायालय भवन

६७७. **श्री राधा रमण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस हजारी में न्यायालय भवन के निर्माण का कार्य कब पूरा होगा और न्यायालय कब तक अपन नये स्थान पर जायेंगे ;

(ख) जब न्यायालय पुराने स्थान को खाली करेंगे तो क्या वह किसी काम के लिए इस्तमाल किया जायेगा और यदि हां, तो किस काम के लिए;

(ग) क्या नये भवन दिल्ली के न्यायालयों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा कर सकेंग; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बंध में सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तीस हज़ारी में नये भवनों का निर्माण कार्य फरवरी १९५७ के अंत तक पूरा होने की आशा है और ज्यों ही भवन तैयार हो जायेंगे, जिला न्यायालय नये स्थान पर चले जायेंगे ।

(ख) हां, श्रीमान्, दिल्ली सरकार के दूसरे कार्यालयों के इस्तेमाल के लिए।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

दिल्ली ज़िला जेल

६७८. **श्री राधा रमण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब तक तिहार में ज़िला जेल तैयार होगा; और

(ख) नए जेल में कितने व्यक्ति रह सकेंगे और इस की देख-रेख संघ सरकार करेगी या दिल्ली राज्य सरकार ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५६ के मध्य तक ।

(ख) नये ज़िला जेल में १,५०० बन्दी रह सकेंगे और इस की देख-रेख दिल्ली राज्य सरकार करेगी ।

घरोंडा के ऐतिहासिक भवन

६७९. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरोंडा, ज़िला करनाल, पंजाब के ऐतिहासिक भवनों की, जो आज कल पुरातत्व विभाग के अधीन हैं, देखभाल तथा मरम्मत पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है;

(ख) १९५४–५५ में उन की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन स्मारकों की देख भाल करने के लिये कोई चौकीदार न होने के कारण इन की बड़ी खराब दशा है और इस से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ३०० रुपय ।

(ख) ३००–९–६ रुपये ।

(ग) घरोंडा में मुगल सराय के केवल दरवाज़े के रास्तों की रक्षा की जाती है । केवल इस छोटी सी पुरानी इमारत के लिये एक अलग चौकीदार नहीं लगाया जा सकता । इस इमारत के जिस भाग की रक्षा होती है वह अच्छी दशा में है और यह पास की बड़ी सड़क से मिला हुआ है ।

जम्मू तथा काश्मीर को अनुदान

६८०. { **श्री अशोक मेहता** :
श्री विश्व नाथ राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत नवम्बर १९४७ से ३१ जनवरी १९५५ तक वर्षवार. जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई :—

(१) ऋण,
(२) सहायक अनुदान,
(३) विकास कार्य,
(४) अधिक अन्न उपजाओ,
(५) पशु पालन,
(६) खाद्य सहायता,
(७) पंच वर्षीय योजना,
(८) सामुदायिक परियोजनाएं,
(९) राष्ट्रीय विस्तार सेवा,
(१०) वैज्ञानिक गवेषणा,
(११) सीमा शुल्क अनुदान,
(१२) प्रसारण,
(१३) सड़क विकास,
(१४) स्वास्थ्य,
(१५) पुनर्वास, और
(१६) उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य ऋण अथवा आवास-सम्बन्धी और अन्य अनुदान;

(ख) इन ही शीर्षकों के अन्तर्गत १९५५–५६ में दी जाने वाली कुल राशि कितनी है;

(ग) नवम्बर १९४७ से दिये गये ऋण में से जम्मू तथा काश्मीर राज्य से वसूल की गई धनराशि और आज तक उस पर लिया गया ब्याज क्या है; और

(घ) ३१ मार्च १९५५ तक इन ऋणों पर कुल देय ब्याज कितना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). चूंकि पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है अतः सम्बद्ध प्राधिकार से वह प्राप्त की जा रही है । जितना जल्दी हो सके इसे पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर को दिये गये किसी भी प्रकार के ऋण को अभी तक उन से वापिस वसूल नहीं किया गया । राज्य सरकार

की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में वापिस लिये जाने वाले ऋण जो कुल ४५२·७५ लाख रुपये बनते हैं और पांच वर्ष के लिये पुनः दिये जा चुके हैं । अभी तक इन ऋणों पर कुल ८६,९७,००० रुपये ब्याज के रूप में उन से वसूल किये जा चुके हैं ।

(घ) १,१३,८०,००० रुपये

भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी

६८१. **श्री एन० राचय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक मैसूर राज्य के कितने पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की सूचियों में सम्मिलित किया गया है;

(ख) उन में से कितने वस्तुतः नियुक्त किये जा चुके हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य सम्बन्धी भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की पात्रतासूचियां विगत तीन वर्षों से सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारतीय प्रशासनिक/पुलिस सेवा (राज्यों तक विस्तार) योजना के अन्तर्गत विविध सूचियों में सम्मिलित मैसूर राज्य असैनिक/पुलिस सेवा पदाधिकारियों की संख्या इस प्रकार हैं :—

	सूची १	सूची २	सूची ३
भारतीय प्रशासनिक सेवा . .	२६	१४	१०†
भारतीय पुलिस सेवा . . .	१०	७	८‡

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा–४७, जिन में से तब से ८ सेवानिवृत्त हो/मर चुके हैं ।

भारतीय पुलिस सेवा–२०, जिन में से तब से २ सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

(ग) जी नहीं । भारत सरकार द्वारा इन विशेष पात्रतासूचियों को स्वीकृत किया जा चुका है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'अमरुतर सनातन' पर पुरस्कार

६८२. **श्री संगण्णा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "अमरुतर सनातन" नामक उड़िया पुस्तक के लेखक श्री गोपीनाथ मोहन्ती को पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुस्तक का भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). साहित्य अकादमी इस मामले पर विचार कर रही है ।

† इस संख्या में सूची २ में रखा गया १ पदाधिकारी भी सम्मिलित है ।

‡ इस संख्या में सूची २ में रखे गये ३ पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं ।

लोक-सभा

वाद- विवाद

(भाग २——प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड ३, १९५५)

(२ से २१ अप्रैल, १९५५)

1st Lok Sabha

(Session IX)

त्यमेव जयते

नवम सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

zettes & Debates Unit
rliament Library Building
om No. FB-025
Block 'G'

सभा सचिवालय

दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, संख्या ३१ से ४५—२ अप्रैल से २१ अप्रैल, १९५५ तक)

संख्या ३१—शनिवार, २ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांग—	३१०१—५४
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	३१०१—५४
मांग संख्या ६३—प्रसारण	३१०१—५४
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३१०१—५४
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३१०१—५४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३१५३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
परिचालन का प्रस्ताव—स्वीकृत .	३१५३—६९
श्री भागवत झा आजाद . .	३१५३—५५
श्री रघुवीर सहाय . .	३१५५—५७
श्री मूल चन्द दुबे . . .	३१५७
श्री राघवाचारी . . .	३१५८—५९
श्री अच्युतन	३१५९—६०
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . .	३१६०—६१
श्री वी० जी० देशपांडे	३१६१—६३
श्री दातार	३१६३—६९
श्री यू० सी० पटनायक	३१६९
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . .	३१७०—३२०४
सेठ गोविन्द दास	३१७०—७४, ३२०१—०२
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३१७५—९५
श्री एन० सी० चटर्जी	३१९५—९७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३१९७—३२०१

संख्या ३२—सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति के बारे में विवरण . . .	३२०५
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना .	३२०५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३२०५—३२०६
सभा का कार्य	३२०६

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	३२०६—३३०२
मांग संख्या ६२—सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६३—प्रसारण . . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ६४—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या १२६—प्रसारण पर पूंजी व्यय . .	३२०६—३२४६
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें . .	३२४५—३३०२
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३२४५—३३०२
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३२४५—३३०२
भारतीय ढोर परिरक्षिण विधेयक—	
मत-विभाजन के अंकों में शुद्धि . . .	३७५
संख्या ३३—मंगलवार, ५ अप्रेल १९५५	
पटल पर रखे गय पत्र—	
प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना इत्यादि	३३०३
सभा का कार्य—	३३०४—३३०५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . .	३३०५
मांग संख्या ८५—उत्पादन मंत्रालय . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८६—नमक . . .	३३०५—३०
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन	३३०५—३०
मांग संख्या ८८—सरकारी कोयला खानें .	३३०५—३०
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या १३१—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	३३०५—३०
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय .	३३२९—३४०५
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बन्ध तथा जल-निस्सारण कार्य (राजस्व से देय)	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६७—बहु-योजनीय नदी योजनायें .	३३२९—३४०४
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२७—बहु-योजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३३२९—३४०४
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३२९—३४०४

संख्या ३४—बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३४०५
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम-बोर्ड	३४०५—३४०७
सभा का कार्य—	३४०७—३४०८
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३४०८—३५१८
मांग संख्या ६५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६६—सिंचाई (कार्य-वहन व्यय सहित) नौ परिवहन, बंध तथा जल निस्सारण कार्य (राजस्व से देय) .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६७—बहु प्रयोजनीय नदी योजना . .	३४०८—३४२८
मांग संख्या ६८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२७—बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या १२८—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४०८—३४२८
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५४—जनगणना. . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समह .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५७—कच्छ . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३४२९—३५१८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३४२९—३५१८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४२९—३५१८
मांग संख्या १२५—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३४२९—३५१८

संख्या ३५—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
अन्तर्राज्यिक व्यापार पर बिक्री कर	३५१९—३५२२
पटल पर रखा गया पत्र—	
बलात् श्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभिसमय (संख्या २९) का अनुसमर्थन	३५२२

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . .	३५२३—३६२२
मांग संख्या ५०—गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५१—मंत्रिमण्डल	३५२३—३५९९
मांग संख्या ५२—दिल्ली	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५३—पुलिस	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५४—जनगणना	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५५—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५६—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५७—कच्छ	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५८—मनीपुर	३५२३—३५९८
मांग संख्या ५९—त्रिपुरा . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६०—राज्यों से सम्बन्ध . . .	३५२३—३५९८
मांग संख्या ६१—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५२३—३५९८
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या २—उद्योग	३५९९—३६२२
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३५९९—३६२२
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३५९९—३६२२
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३५९९—३६२२

संख्या ३६—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य व्यक्तियों पर आक्रमण ३६२३

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३६२४—३६४१

श्री डाभी . . . . . ३६२४—३६२५

श्री तुलसीदास . . . . ३६२५—३६२७

श्री के० सी० सोधिया . . . . ३६२७—३६२९

श्री बंसल . . . . . ३६२९—३६३१

श्रीमती जयश्री . . . . ३६३१—३६३२

श्री टेक चन्द . . . . ३६३२—३६३३

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी . . . ३६३३—३६३४

श्री ए० सी० गुहा . . . . ३६३४—३६४१

खंड २ से १४ . . . . . ३६४२—३६७४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . ३६७४—३६७५

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . ३६७५—३७२०

बाटों और नाप के बारे में संकल्प—असमाप्त . . ३७२०—३७२४

संख्या ३७— सोमवार, ११ अप्रैल १९५५

	स्तम्भ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३७२५
पटल पर रखे गये पत्र—	
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या १६३ और १६४, दिनांक १८-१२-५४ और संख्या २८, दिनांक २६-२-५५ .	३७२५—३७२६
समिति के लिये निर्वाचन—	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	३७२६
गणपूर्ति के बारे में प्रथा	३७२६—३७२७
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३७२७—३८०५
श्री जवाहरलाल नेहरू	३७२८—३७४२
श्री ए० के० गोपालन	३७४३—३७४७
श्री फ्रेंक ऐंथनी	३७४७—३७५०
श्री टी० के० चौधरी	३७५०—३७५२
श्री एन० पी० नथवानी	३७५२—३७५४
डा० कृष्णस्वामी	३७५४—३७५६
श्री एम० पी० मिश्र	३७५६—३७६२
श्री एन० सी० चटर्जी	३७६३—३७६९
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३७६९—३७७१
श्री जयपाल सिंह	३७७१—३७७४
श्री बी० पी० सिंह	३७७४—३६८१
श्री ए स० वी० रामस्वामी . . .	३७८१—३७८४
स्वामी रामानन्द तीर्थ	३७८४—३७८९
श्री जी० डी० सोमानी . . .	३७८९—३७९२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	३७९२—३७९६
श्री आर० डी० मिश्र	३७९६—३८०४
श्री वेंकटरामन्	३८०४—३८०५

संख्या ३८—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
डा० लोहिया तथा अन्य व्यक्तियों की इम्फाल में गिरफ्तारी .	३८०७
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . . .	३८०८
प्रधान सेनापति (पदनाम में परिवर्तन) विधेयक—पुरःस्थापित .	३८०८
औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३८०८—३८०९

	स्तम्भ
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८०९—३८२३
श्री वेंकटारमन . . .	३८१४—३८१७
पंडित जी० बी० पन्त	३८१७—३८२२
खड १ से ५	३८२३—३८७२
संशोधित रूपमें पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	३८७२—३८८८
श्री एच० एन० मुकर्जी	३८७२—३८७५
श्री वी० जी० देशपांडे	३८७५—३८७८
श्री एस० एल० सक्सेना . . .	३८७८—३८७९
श्री जवाहरलाल नेहरू	३८७९—३८८८
संख्या ३९—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
गोलपाड़ा से बंगला-भाषी लोगों का निष्क्रमण . .	३८८९—३८९२
पटल पर रखे गये पत्र—	
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५१-५२ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ और उस का वाणिज्यिक परिशिष्ट . . .	३८९२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण-चीन-सागर में इंडियन-एयर-लाइन्स-कांस्टेलेशन का गिर जाना .	३८९२—३८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या २—उद्योग	३८९५—३९६४
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . . .	३८९५—३९६४
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३८९५—३९६४
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	३८९५—३९६४
संख्या ४०— शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५	
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	३९६५—४०२४
मांग संख्या २—उद्योग . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	३९६५—३९८५
मांग संख्या १०७—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय .	३९६५—३९८५
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय . .	३९८७—४०२४

	स्तम्भ
मांग संख्या २६—सीमा शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	३९८७—४०२४
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर .	३९८७—४०२४
मांग संख्या २९—अफीम	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३३—चलमुद्रा . . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३४—टकसाल	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३९८७—४०२४
मांग संख्या ४०—विभाजन पूर्व के भुगतान . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११५—चलमुद्रा पर पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य .	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३९८७—४०२४
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३९८७—४०२४
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन .	३९८७—४०२४
जाति भेद उन्मूलन विधेयक—	
विचार करने, परिचालित करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४०२४—४०७६
डा० एम० एम० दास . . .	४०२४—४०२७
श्री डाभी	४०२७—४०३१
श्री एन० बी० चौधरी . . .	४०३२—४०३३
श्रीमती ए० काले . . .	४०३३—४०३४
श्री एन० राचय्या . . .	४०३४—४०३६
श्री केशवैयंगार . .	४०३६—४०३७
श्री साधन गुप्त	४०३७—४०३९
श्री एस० सी० सामन्त . .	४०३९
श्री जांगड़े	४०३९—४०४२
डा० सुरेश चन्द्र . . .	४०४३

	स्तम्भ
श्री राम दास . . .	४०४३—४०४४
श्री एस० सी० सिंघल	४०४४—४०४७
श्री वाल्मीकि	४०४७—४०५४
श्री भक्त दर्शन	४०५४—४०५७
सरदार हुक्म सिंह	४०५७—४०५९
श्री नवल प्रभाकर	४०५९—४०६१
श्री एन० सोमना . . .	४०६१—४०६२
पंडित ठाकुर दास भार्गव . .	४०६२—४०६७
पंडित एस० सी० मिश्र . .	४०६७—४०६८
सरदार ए० एस० सहगल .	४०६८—४०७०
श्री वीरस्वामी . . .	४०७०—४०७२
श्री आर० के० चौधरी . .	४०७२—४०७४
श्री जी० एल० चौधरी .	४०७४—४०७६
राज्य-सभा से सन्देश . .	४०७६
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूपमें पटल पर रखा गया .	४०७६

संख्या ४१—शनिवार, १६ अप्रैल १९५५

भारत का राज्य बैंक विधेयक—पुरःस्थापित .	४०७७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	४०७८
मांग संख्या २५—वित्त मंत्रालय .	४०७८, ४१५०, ४१७३, ४१७४
मांग संख्या २६—सीमा-शुल्क .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २७—संघ उत्पादन शुल्क	४०७८—४१५०
मांग संख्या २८—निगम कर तथा सम्पदा-शुल्क सहित आय पर कर .	४०७८—४१५०
मांग संख्या २९—अफीम .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३०—स्टाम्प	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३१—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३२—लेखा परीक्षा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३३—चल मुद्रा	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३४—टकसाल . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३५—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३६—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३७—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३८—राज्यों को सहायक अनुदान . . .	४०७८—४१५०
मांग संख्या ३९—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४०७८—४१५०

स्तम्भ

मांग संख्या ४०—विभाजन-पूर्व के भुगतान . . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११४—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११५—चल-मुद्रा पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११६—टकसालों पर पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११७—निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११८—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान . ४०७८—४१५०
मांग संख्या ११९—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४०७८—४१५०
मांग संख्या १२०—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन ४०७८—४१५०
मांग संख्या १६—शिक्षा मंत्रालय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १७—पुरातत्व . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १८—अन्य वैज्ञानिक विभाग . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १९—शिक्षा . . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या २०—शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ११२—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७४—विधि मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ७५—न्याय व्यवस्था . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ८४—संसद-कार्य विभाग . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९३—परिवहन मंत्रालय . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९४—पत्तन तथा पोत-मार्ग प्रदर्शन . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९५—प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाश-पोत . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९६—केन्द्रीय सड़क निधि . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९७—संचार (राष्ट्रीय राज-पथों सहित) . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या ९८—परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३३—पत्तनों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३४—सड़कों पर पूंजी व्यय . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १३५—परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०४—संसद . . . . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०५—संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय . ४१७३—४१७४
मांग संख्या १०६—उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . . ४१७३—४१७४

वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—पारित ४१४९—४१५१

श्री एम० सी० शाह . . . ४१४९—४१५१

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त . . ४१५१—४१७३
खंड १४ . . . . . ४१५१—४१७३

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित . ४१७५—४१७६

संख्या ४२—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५४ (भाग १) . .	४१७७
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	४१७७—४१७८
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक— . . .	४१७८—४१८३
खंड १४ से १७ और १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	४१७८—४१८३
पंडित ठाकुर दास भार्गव	४१८३—४१९२
श्री आर० के० चौधरी	४१८३—४१८७
पंडित एस० सी० मिश्र	४१८७—४१८८
श्री ए० सी० गुहा	४१८८—४१९२
विनियोग (संख्या २) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४१९२—४१९८
डा० लंका सुन्दरम्	४१९३—४१९५
श्री सी० डी० देशमुख	४१९५—४१९७
पारित	४१९८
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४१९८—४२६६
श्री सी० डी० देशमुख	४१९८—४२१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	४२१९—४२२३
श्रीमती मायदेव	४२२४—४२२६
श्री के० के० बसु	४२२६—४२३१
श्री यू० सी० पटनायक	४२३१—४२३२
पंडित एस० सी० मिश्र . . .	४२३२—४२३४
श्री एस० सी० सामन्त	४२३४—४२३६
श्री के० एल० मोरे	४२३६—४२३९
श्री एन० सी० चटर्जी . .	४२३९—४२४४
श्री वाई० एम० मुक्णे . .	४२४४—४२४६
श्री बंसल	४२४६—४२४९
श्री नेवटिया	४२४९—४२५०
श्री जी० डी० सोमानी	४२५१—४२५३
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . .	४२५३—४२६६

संख्या ४३—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

वित्त विधेयक-याचिका उपस्थापित	४२६७
वित्त विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२६७

	स्तम्भ
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४२६७—४२७१
श्री विमला प्रसाद चालिहा	४२७१—४२७५
श्री बासप्पा	४२७५—४२७८
श्री एन० बी० चौधरी	४२७८—४२८१
श्री तुलसीदास	४२८१—४२८५
डा० कृष्णस्वामी	४२८५—४२८८
श्री रघुनाथ सिंह	४२८८—४२९४
श्री विश्वनाथ रेड्डी	४२९४—४२९७
श्री रिशांग किशिंग	४२९७—४३००
श्री जजवाड़े	४३००—४३०८
पंडित के० सी० शर्मा	४३०८—४३११
बाबू राम नारायण सिंह	४३११—४३१६
श्री मात्तन	४३१६—४३१८
श्रीमती सुषमा सेन	४३१८—४३२०
श्रीमती इला पालचौधरी	४३२०—४३२३
श्री बोगावत	४३२३—४३२५
श्री थानू पिल्ले	४३२५—४३२७
श्री वी० जी० देशपांडे	४३२८—४३३४
श्री डी० डी० पन्त	४३३४—४३३६
श्री ईश्वर रेड्डी	४३३६—४३३८
श्री टी० सुब्रह्मण्यम्	४३३८—४३४०
श्री एम० आर० कृष्ण	४३४०—४३४१
श्री शिवनजप्पा	४३४१—४३४४
श्री डी० सी० शर्मा	४३४४

संख्या ४४— बुधवार, २० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ४३४५—४३४६

सभा का कार्य— ४३४६—४३५०

समय-नियतन का आदेश ४३५०—४३५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठाट्इसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ४३५१

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४३५१—४३८०

श्री डी० सी० शर्मा ४३५१—४३५४

श्री टंडन ४३५४—४३६२

श्री एम० सी० शाह ४३६२—४३८०

खंड २ से ३० ४३८०—४५८६

संख्या २५— गुरुवार, २१ अप्रैल, १९५५

श्री डी० डी० पन्त का निधन ४५८७—४५९०

लोक सभा

शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५ ।

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

११-४७ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान तथा अन्य लोगों पर आक्रमण

अध्यक्ष महोदय : श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि भारत सरकार गोआ राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रधान श्रीमती सुधाबाई जोशी और अन्य लोगों की पुर्तगालियों द्वारा किये गये आक्रमण से रक्षा करने में असफल रही है । यह घटना भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर हुई है और यह समय समय पर होने वाले गोआ आन्दोलन से सम्बन्ध रखती है । इसलिये भारत सरकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं हो सकती । यह प्रस्ताव अस्पष्ट और अग्राह्य है । अतः मैं ने इस की अनुमति नहीं दी है । माननीय सदस्य इस के विषय में अल्प-सूचना प्रश्न पूछ कर वैदेशिक कार्य के प्रभारी मंत्री से चर्चा कर सकते हैं ।

समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, इस के खण्ड १४ के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । इस खण्ड के अनुसार चोरी छिपे लाई गई वस्तु जिस किसी व्यक्ति के पास भी मिलेगी, उसे पकड़ लिया जायगा और उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह माल चोरी छिपे नहीं लाया गया है । भला कोई व्यक्ति यह बात कैसे सिद्ध कर सकता है ? वह तो केवल इतना कह सकता है कि उस ने अमुक व्यक्ति से वह वस्तु खरीदी है । किन्तु इतना बताने पर भी उसे छोड़ नहीं दिया जायगा । यदि उस दुकानदार पर अभियोग चलाया जाय, तब तो इस बात को सिद्ध करने का भार दुकानदार पर डाला जा सकता है, परन्तु खरीदने वाले व्यक्ति के लिये यह बात सिद्ध करना सर्वथा असंगत है । वास्तव में इस का भार अभियोक्ता पर डालना चाहिये । यह उपबन्ध न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों से विरोध रखता है । ऐसा उपबन्ध करना अनुचित है । यह बात तो समझ में आ सकती है कि उस व्यक्ति से पूछा जाय कि उसने वह वस्तु कहां से और कैसे प्राप्त की है ।

इस उपबन्ध को हटाने के पक्ष में एक और बात कही जा सकती है । रेलवे भण्डार (अवैध कब्जा) विधेयक के अनुसार अभियोक्ता को यह बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसके पास वह वस्तु अवैध रूप में है, और

[श्री डाभी]

इस बात के सिद्ध हो चुकने के पश्चात् ही अभियुक्त को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उस के पास वह वस्तु वैध रूप से आई है। निर्दोष व्यक्तियों को कोई हानि या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिये।

इन दोनों विधेयकों का एक ही उद्देश्य है। इसलिये एक ही मामले में सरकार की दो नीतियां नहीं होनी चाहियें। अतः मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस विषय में कतिपय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन संख्या २० और २१ को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री तुलसीदास (मेहसाना–पश्चिम) : इस विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि जो लोग तस्कर व्यापार के द्वारा सरकारी प्रशुल्क देने से बचने का प्रयत्न करते हैं, वे सहानुभति अथवा पक्षपात के पात्र कदापि नहीं हो सकते। परन्तु सीमा शुल्क अधिकारियों को इतनी शक्तियां दी जाने के परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तियों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

यह उपबन्ध न केवल न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है अपितु संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों का भी अतिक्रमण करने वाला है। जब आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम तथा विदेशीय विनिमय विनियम अधिनियम के अधीन सरकार को ये शक्तियां दी हुई हैं, फिर इस अधिनियम के अधीन वही शक्तियां लेने की क्या आवश्यकता है ?

सीमा शुल्क अधिकारियों को इन सब मामलों की जांच और पड़ताल करने की शक्तियां भले ही दी जायें, परन्तु हमारा अनुभव यह है कि सीमा शुल्क अधिकारी लोगों को परेशानी या कठिनाई पहुंचाये बिना इन शक्तियों का उत्तम रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिये मैं उन को बहुत अधिक शक्तियां देने के पक्ष में नहीं हूं, जिस के परिणामस्वरूप सामान्य व्यापार-क्रिया में विघ्न पड़े।

खण्ड १३ में निषिद्ध वस्तुओं विषयक अभिलेखों सम्बन्धी उपबन्ध से व्यापारियों को बड़ी कठिनाई हो जायगी। यदि स्पष्ट रूपेण कोई व्यक्ति चोरी छिपे माल ले जा रहा है, या सन्देह का कोई पक्का आधार है तब इस प्रकार की असाधारण शक्तियां सीमा शुल्क अधिकारियों को दी जा सकती हैं।

विदेशों में सीमा शुल्क अधिकारी व्यापारयों या यात्रियों को अनावश्यक तंग नहीं करते। परन्तु भारत में इसकी बड़ी शिकायत है कि यहां के सीमा शुल्क अधिकारी लोगों को बहुत परेशान करते हैं और अनावश्यक अवसरों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। उन को और अधिक शक्तियां देने से बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी और व्यापारियों तथा पर्यटकों को कष्ट होगा।

किसी व्यक्ति के ऊपर, जिस के पास कोई वस्तु है, यह सिद्ध करने का भार डालना, कि वह वस्तु चोरी छिपे लाई गई वस्तु नहीं है, उचित नहीं है। परन्तु अधिकारी भी उस व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि वे चोरी छिपे लाई गई वस्तुयें नहीं हैं। इसलिये ये शक्तियां यदि दी भी जायें, तो बचाव के उपबन्ध अवश्य किये जाने चाहियें ताकि विभाग लोगों को अनावश्यक कष्ट न पहुंचा सके।

कई सदस्यों ने बचाव के उपबन्ध करने के बारे में संशोधन रखे हैं। मैं समझता हूं कि यदि श्री बंसल के संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय तो इन शक्तियों के दुरुपयोग से

बचने का उपबन्ध हो सकेगा, और जनता को परेशानी से छुटकारा मिल जायगा ।

अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इन शक्तियों के दुरुपयोग से बचाव का उपबन्ध करने का विचार करेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैंने इस सी कस्टम्स टैक्स को ध्यान से पढ़ा है । मेरी राय में इस बिल को बनाने में काफी ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि खुद मिनिस्टर साहब ने दस बारह अमेंडमेंट अपनी तरफ से रखे हैं अगर यह बिल ध्यान से बनाया होता तो यह अमेंडमेंट रखने की जरूरत ही न आती । तो एक तो यह बात निश्चित है कि यह बिल ध्यान से नहीं बनाया गया ।

दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट में बड़ी अन्धाधुन्धी हो रही है। इस सिलसिले में मुझे एक किस्सा याद आता है । कुछ डाकू लोग थे, उन्होंने कुछ कौवों को ऐसा सिखा रखा था कि अगर किसी यात्री के पास कुछ पैसा होता था तो वे कौवे झाड़ पर बैठ कर कांव कांव करने लगते थे और डाकू लोग समझ लेते थे कि इस आदमी के पास पैसा है और वे उस की नंगाझोली ले कर उस से पैसा ले लेते थे । एक बार एक आदमी परदेस गया, वहां पर उसने बहुत पैसा पैदा किया । वह उस पैसे को घर लाना चाहता था । पर वह जानता था कि रास्ते में डाकू लोग पैसा छीन लेते हैं । तो उसने उस पैसे से कुछ लाल खरीदे और उन को अपनी जांघ का चमड़ा काट कर उस में भर दिया, और भर कर सी दिया और सी कर वह चला । जब वह जंगल में आया और कौवों ने उसे देखा तो वे कांव कांव करने लगे । इस पर डाकू लोग आ गये । उन्होंने कहा कि "नंगा-झोली दो" उसने अपने कपड़े उतार कर रख दिये । वह तो जानता था कि जो कुछ उस के पास है वह तो भीतर रखा है। उस ने कहा कि "देख लो मेरे पास कुछ नहीं है" । डाकू बोले "नहीं, हमारे कौवे सच बोलते हैं । वे ८०० वर्ष से बराबर ऐसा करते आये हैं । कभी एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कांव कांव की हो और आदमी के पास कुछ न कुछ पैसा न निकला हो । इसलिये हम तो तुम्हारा शरीर चीरेंगे और देखेंगे कि कहीं न कहीं कुछ छिपा तो नहीं रखा है ।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

आज किस्सा यह है कि जो आदमी आते हैं उनको रेडियोलाजिस्ट के पास ले जाया जाता है और वह देख लेता है कि यह अपने शरीर में माल लाये हैं या नहीं । न मालूम ये लोग किस तरह से अपने शरीर के भीतर माल रख कर लाते हैं इसका हिसाब तो कभी मिनिस्टर साहब ने बताया नहीं । उन्होंने यह नहीं बताया कि इतने आदमी आते हैं और उनमें से इतने चोरी का माल लाते हैं। इसलिये जब कि रेडियोलाजिस्ट ने उसको देख लिया तो फिर एक जगह यह क्यों लिखा है कि रडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट पर या अदरवाइज भी कार्रवाई चलाई जा सकती है । इसमें लिखा है :

"जब उपधारा (५) के अधीन रेडियोलाजिस्ट से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर अथवा अन्यथा....."

जब वह रेडियोलाजिस्ट के पास हो आया और उस ने रिपोर्ट दी तो फिर इस "अदरवाइज" का क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आता । वह मजिस्ट्रेट

[श्री के० सी० सोधिया]

क्या उस आदमी के पेट से माल निकाल कर देखेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह "आर अदरवाइज" "(अथवा अन्यथा)" बिल्कुल गलत है ।

तीसरी बात यह है कि एक बेचारा व्यापारी है और उसने माल रखा हुआ है वह उसे बेच रहा है अब अगर कस्टम आफिस के किसी अफसर के दिमाग में यह आया कि यह माल तो ड्यूटी बचा कर लाया गया है, और उस ने यह कह दिया तो बेचारे व्यापारी को फांसी लग गई अब वह बेचारा साबित करता फिरे तो यह बहुत भारी धांधलेबाजी है । इन धांधलेबाजियों को रोकना चाहिये और तब इस बिल को ठीक तरह से बनाना चाहिये ।

एक दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े सरकारी अफसर या बड़े बड़े पूंजीपति यूरोप के दौरे पर जाते हैं तो खर्चा पूरा करने के लिये कुछ घड़ियां या इसी तरह की चीजें लाते हैं। इसकी निगरानी की जाये । ये लोग हवाई जहाजों से आते हैं लेकिन आप ने यह जिक्र नहीं किया कि यह कानून हवाई जहाज से यात्रा करने वालों पर भी लागू है या केवल समुद्र से आने वालों पर । यह हवाई जहाज से आने वालों पर भी लागू है या नहीं इसका कुछ पता नहीं इसलिये मेहरबानी करके मिनिस्टर साहब इन सब बातों को सोच लें और फिर कानून बनायें।

श्री बंसल (झज्जर रेवाड़ी) : जिस ढंग से अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है और इनके बारे में जो शीघ्रता की जाती है मैं उसकी पद्धति का विरोध करता हूं । इस विधेयक विशेष के लिये बहुत से संशोधन आये हैं और स्वयं मंत्री महोदय ने कई संशोधन रखे हैं । जिस से प्रतीत होता है कि यह विधेयक बड़ी शीघ्रता में तैयार किया गया है । मेरा मत है कि यदि विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता तो इसमें बहुत सुधार हो सकता था ।

मुझे खण्ड १२ में "या अन्य व्यक्ति" रखने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती ।

सभापति महोदय : सरकार ने इन शब्दों को हटाने का संशोधन रख दिया है।

श्री बंसल : हम सब मानते हैं कि तस्कर व्यापार करने वालों के साथ सहानुभूति नहीं की जानी चाहिये परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ सोना है और सीमा-शुल्क अधिकारी उसे पकड़ लेता है तो वह बेचारा किस प्रकार सिद्ध करेगा कि उस के पास अपना सोना है और चोरी छिपे लाया हुआ सोना नहीं ।

घड़ियों का आयात होता रहता है परन्तु उस वस्तु के बारे में अधिक कठिनाई होगी जो अब नहीं मंगवाई जाती । निश्चय ही हमें तस्कर व्यपार को रोकने के लिये अन्य उपाय ढूंढने चाहियें, और निर्दोष लोगों पर इस बात को सिद्ध करने का भार नहीं डालना चाहिये ।

मंत्री महोदय कहेंगे कि इसी प्रकार के उपबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका और इंगलिस्तान में भी हैं परन्तु मैं कहूंगा वहां उन वस्तुओं के बारे में उपबन्ध हैं जो जहाजों से पकड़ी जाती हैं न कि उन वस्तुओं के बारे में जो पहले ही देश में आ चुकी हों । इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे संशोधन पर विचार करें कि यदि वह व्यक्ति, जिस के पास वस्तु पकड़ी गई है, यह सिद्ध करे कि उस ने पूरा मूल्य चुका कर वस्तु खरीदी है और उसे यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वह वस्तु चोरी छिपे

लाई गई है, तो उस व्यक्ति को सिद्ध करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देना चाहिये ।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन पर विचार करेंगे और तदनुसार न केवल यथार्थ आयातकों को अपितु निर्दोष व्यक्तियों को भी कष्ट और कठिनाई से बचाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर) : इस विधेयक के संशोधनों का स्वागत करते हुए, मैं माननीय मंत्री का ध्यान बम्बई जैसे स्थानों पर निष्कासन एजंटों की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहती हूं । उदाहरणतः मुझे मालूम हुआ है कि व्यापार वस्तु चिन्ह अधिनियम और दंड के मामलों में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, उस के कारण बहुत विलम्ब होता है । मुझे हर्ष है कि इस संशोधक विधेयक के द्वारा इस प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा ।

एजेंटों को एक शिकायत यह थी कि विलम्ब के कारण उन्हें बहुत सा विलम्ब शुल्क और माल रखने का शुल्क देना पड़ता है । इस सम्बन्ध में भी इस विधेयक के द्वारा कुछ सुधार होगा ।

विलम्ब का दूसरा कारण यह है कि यदि मूल्यक बीमार पड़ जायें , तो भी एजेंटों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि इस काम के लिये उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जायें । यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जायें, तो इस कारण माल के निष्कासन में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

एक और बात जिस की ओर श्री बंसल और अन्य सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, यह है कि विदेशी पर्यटकों के प्रति सीमा-शुल्क पदाधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं करते और उन्हें बहुत कठिनाइयां पेश आती हैं । मुझे हर्ष है कि इस शिकायत की भी जांच की जायेगी ।

वर्तमान समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम में किसी सीमा-शुल्क पदाधिकारी के निर्णय या आदेश के विरुद्ध किसी स्वतंत्र न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की व्यवस्था नहीं है । अब खंड १६ में यह उपबन्ध किया गया है कि मुख्य सीमा-शुल्क प्राधिकारी इन मामलों की जांच कर सकेगा और एजेंटों की सहायता कर सकेगा । मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि कुछ संशोधनों से व्यापारियों को सहायता मिलेगी ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा । यदि मैं उन पर यह आरोप लगाऊं कि उन्हों ने जो चश्मा लगाया हुआ है और इस के जो शीशे हैं, वह चोरी से लाया हुआ माल है, तो वह क्या सफाई देंगे । वह कैसे सिद्ध करेंगे कि उन के शीशे चोरी से नहीं लाये गये ? क्या वह चाहते हैं कि इस बात का प्रमाण न मिलने पर कि हमने जो माल खरीदा है, वह चौर्यानयन का माल नहीं है, हम सब को अपराधी और दंड के योग्य समझा जाये । चौर्यानयन करने वाले का पहला काम यह होता है कि वह चोरी से लाये गये माल को किसी निर्दोष व्यक्ति को सौंप दे और खरीदने वाले के हाथों में पहुंचने से पहले यह कई और हाथों से गुजर चुका होता है । अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के द्वारा आप चौर्यानयन करने वाले को नहीं, अक्षम सीमा-शुल्क पदाधिकारी को नहीं बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, क्योंकि वास्तविक अपराधी तो चौर्यानयन का माल बेच कर भाग गया है, और आप अपनी अन्तरात्मा को संतुष्ट करने के लिये उस निर्दोष व्यक्ति को जिस के पास वह माल है, दंड देते हैं । मैं इस का जोरदार विरोध करता हूं ।

[श्री टेक चन्द]

जिन लोगों को सीमा-शुल्क पदाधिकारियों से वास्ता पड़ता है, वे जानते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी, अपमान और अनादर का सामना करना पड़ता है । विदेशी पर्यटकों को इसका विशेष रूप से अनुभव है । भारत पहुंचने पर सब से पहले वे सीमा-शुल्क पदाधिकारियों के सम्पर्क में आते हैं और वे अपनी राय उन के व्यवहार को देख कर कायम करते हैं । सीमा-शुल्क विभाग में अनादर और तिरस्कार की भावना सबसे अधिक पाई जाती है । इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : इस विधेयक के सम्बन्ध में, मैं उन अतिरिक्त शक्तियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जोकि चौर्यानयन को रोकने के लिये आवश्यक समझी गई हैं । इस पर और भी बहुत से सदस्य बोल चुके हैं । मेरे विचार में यदि इस संशोधन को बिना पर्याप्त संरक्षणों के स्वीकार कर लिया गया, तो अन्त में इस से बहुत परेशानी होगी । मैं चौर्यानयन पर नियंत्रण को ढीला करने के पक्ष में नहीं हूं । मैं तो चाहता हूं कि इसे रोकने के लिये कड़े उपाय किये जायें । किन्तु मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम का, जोकि सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है, प्रशासन संतोषजनक रूप से किया गया है और क्या इन पदाधिकारियों ने इन शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया । माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसा दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और इसका कारण सीमा-शुल्क प्राधिकारियों में प्रचलित भ्रष्टाचार है । जब तक इस भ्रष्टाचार को दूर न किया जाये, इस अधिनियम को संतोषजनक रूप से प्रशासित नहीं किया जा सकता और चौर्यानयन को रोका नहीं जा सकता वर्तमान शक्तियों का प्रयोग चौर्यानयन रोकने के लिये नहीं किया गया । केवल छोटे छोटे ऋणों को पकड़ा गया । बड़े बड़े प्रभावशाली और धनी लोगों पर हाथ नहीं डाला गया । सरकार तो सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को थोड़ा वेतन देती है, इनका अधिकांश खर्च यही बड़े बड़े व्यापारी और धनी लोग पूरा करते हैं । इसलिये ये पदाधिकारी पहले इन लोगों को संतुष्ट करते हैं ।

दूसरी बात यह है कि वर्तमान संशोधन बहुत सीमित है । वास्तव में इस समय सारे अधिनियम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है । मैं जानना चाहता हूं कि यह आज तक क्यों नहीं किया गया और केवल एक छोटा सा संशोधन क्यों प्रस्तुत किया गया है ।

अन्त में मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को ऐसे पग उठाने चाहियें जिन के द्वारा सीमा-शुल्क प्राधिकारी इन का उचित प्रयोग कर सकें ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री **ए० सी० गुह**) : मुझे हर्ष है कि अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक का या इसके उद्देश्यों का स्वागत किया है । इसके उपबन्धों की आलोचना का उत्तर देने से पहले मैं श्री एच० एन० मुकर्जी के १२ मार्च के भाषण की ओर निर्देश करना चाहता हूं । उन्होंने कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय में कुछ तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया था । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने इस मामले की पूरी जांच करवाई थी और इसके फलस्वरूप लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान रोक लिया गया है । अब जांच से यह ज्ञात हुआ है कि इसमें पदाधिकारियों के या कम्पनी के भ्रष्टाचार का मामला नहीं है संभवतः

प्रक्रियाओं में कुछ अनियमिततायें की गई हैं किन्तु इससे सरकार को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई । अतः अब श्री मुकर्जी यह नहीं कह सकते कि उन की शिकायत पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

[श्री **बर्मन** पीठासीन हुए]

सीमा शुल्क कार्यालय में माल के निष्कासन में विलम्ब होने और पदाधिकारियों के अशिष्ट और अनादरपूर्ण व्यवहार के बारे में जो शिकायत की गई है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से स्थिति में काफी सुधार हो रहा है । अब उतना विलम्ब नहीं होता जितना पहले होता था और पदाधिकारियों को भी बार बार हिदायतें दी गई हैं कि वे पर्यटकों और देश के व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार करें ।

विधेयक के उपबन्धों की चर्चा करते हुए, सब से अधिक विरोध खंड १४ का किया गया है । मैं श्री टैक चन्द को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के उपबन्ध अन्य अधिनियमों में भी हैं अफीम अधिनियम के अन्तर्गत यदि अफीम रखने वाला व्यक्ति संतोषजनक रूप से यह सिद्ध न कर सके कि उसके पास जो अफीम है, वह वैध है, तो उसे दंडित किया जा सकता है ।

श्री टेक चन्द : क्या अफीम की तुलना फाउंटेन पेन से की जा सकती है ?

श्री ए० सी० गुह : न हो सकती हो । किन्तु कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब में कोई निर्दोष व्यक्ति अफीम रखने के कारण दोष सिद्ध हुआ हो । किन्तु निश्चय ही मैं यह नहीं चाहता कि श्री टेक चन्द किसी ऐसे संकट में पड़ें ।

श्री **बंसल** : माननीय मंत्री क्या सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुह : यही कि इस प्रकार की शक्तियां सरकारी प्राधिकारियों के पास पहले भी हैं और इनके दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं की गई । सैनिक सामान के बारे में भी यही उपबन्ध है । अत्यावश्यक प्रदाय अधिनियम, कारखाना अधिनियम और टेलीग्राफ़, तार अधिनियम के अन्तर्गत भी यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व माल रखने वाले व्यक्ति पर होता है, कि उस के पास जो माल है, वह उस के पास वैध रूप से आया है । यदि वह यह नहीं सिद्ध कर सकता तो उसे दंड मिल सकता है । इसके अतिरिक्त भयंकर औषध अधिनियम और रेलवे सामान अधिनियम भी हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) अभी पारित नहीं हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : प्रवर समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । हमने प्रवर समिति का प्रतिवेदन आने के पूर्व ही एक संशोधन प्रस्तुत किया था । मेरे विचार से किसी भी आशंका का कोई कारण नहीं । ऐसा सोचने का भी कोई कारण नहीं कि सीमा-शुल्क पदाधिकारियों के द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जायेगा । मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि प्रशासनिक अनुदेशों के द्वारा हम इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे । मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि वह विवेक रहित हो कर इन उपबन्धों का आश्रय लेगी । पकड़ने वाले पदाधिकारी को यह निश्चित कर लेना होगा कि उसके पास इस बात का पर्याप्त आधार है कि पकड़ा गया माल चोरीछिपे लाया गया माल ही है ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १८१ के अधीन, पकड़ने वाले पदाधिकारी

[श्री ए० सी० गुह]

को उस पकड़े गये माल के सभी कारण लिख कर देने पड़ते हैं । सरकार सीमा-शुल्क के समाहार करने वालों को ऐसे कार्यकारी अनुदेश जारी करने का विचार कर रही है जिससे इन अधिकारों का बड़ी सतर्कता से प्रयोग किया जाय, ताकि सामान्य नागरिक द्वारा कम मात्रा में खरीदी गई घरेलू उपयोग की चीजें इनके अन्तर्गत न आयें । मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अधिकारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध की विश्वस्त सूत्र से प्राप्त शिकायतों की सरकार तत्परता से जांच करेगी ।

कुछ सदस्यों को इन उपबन्धों का विरोध करते हुए व्यर्थ की भ्रान्ति हुई है । यह उपबन्ध दोषसिद्धि का निर्देश नहीं करता । श्री डाभी ने कई बार यह कहा है कि यह दोषसिद्धि तथा दंड का निर्देष करता है । इस खंड में केवल माल पड़ेन का निर्देश है । यदि श्री टेक चन्द कुछ सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को यहां ला कर, मेरा चश्मा पकड़वाने की व्यवस्था कर लें तो वह मेरा अभियोजन कर मुझे दंड नहीं दे सकते । यह धारा १७८क के उपबन्धों की सीमा से बाहर है । उसके अनुसार केवल माल ही पकड़ा जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या ऐसा माल जब्त नहीं किया जायेगा और उस पर अर्थ दंड नहीं देना होगा ?

श्री ए० सी० गुह : जब्ती को भी अर्थ दंड कहा जा सकता है, किन्तु चोरी-छिपे लाया गया माल जब्त किया जाना चाहिये । श्री डाभी ने यह कहा है कि अभियोग के पूर्व कुछ सीमा तक दोष सिद्ध करने का दायित्व सरकार पर होना चाहिये । उन्होंने 'कन्विक्शन' (दोषसिद्ध) या अभियोग लगाने का उपयोग किया है । इस खंड का अभियोग लगाने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री तुलसीदास : इसका अभिप्राय यह है कि चोरीछिपे लाया गया माल होने पर भी उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जायेगा । तब सामान की जब्ती के सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री ए० सी० गुह : यह खंड केवल पकड़ने की ओर निर्देश करता है । जब्ती इसके उपरान्त होगी । इसके लिये दूसरी प्रक्रिया हो सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब्ती के लिये ही नहीं । जब यह पूर्वानुमान हो कि माल चोरीछिपे लाया गया है, तो उन की ज़ब्ती होगी ।

श्री ए० सी० गुह : जब्ती बाद में हो सकती है, और नहीं भी हो सकती । श्री तुलसीदास ने खंड १० के अधीन दिये जाने वाले अधिकारों का निर्देश किया है । ये बातें एक्स-रे लेने तथा अन्य बातों से सम्बन्धित हैं । उन्होंने स्वीकार किया है कि ये अधिकार सरकार को पहिले से ही प्राप्त हैं । हम कुछ समय से एक्स-रे तथा दूसरी चीजों का उपयोग कर रहे हैं । किन्तु तस्कर-व्यापार के विरोध करने पर हम नहीं कह सकते कि हमारे पास उसे विवश करने का कहां तक अधिकार है । सौभाग्य से अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया । मैं माननीय सदस्यों को कुछ आंकड़े दे सकता हूं । १९४९ में हमने ८ लाख रुपये के मूल्य का ७१०८ तोला सोना तस्कर व्यापारियों के शरीर के भीतर से बरामद किया । १९५१ में हम ने एक तस्कर-व्यापारी के शरीर के भीतर से ३।। लाख रुपये के मूल्य के हीरे बरामद किये । अपराधियों की चतुराई जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है और वे विधि से बचने के लिये नये मार्गों को अपनाते जा रहे हैं वैसे

ही सरकार भी आगे बढ़ रही है और अधिनियम के उपबन्धों को कड़ा कर रही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या सरकार उन के समकक्ष होना चाहती है ?

श्री ए० सी० गुह : जी हां, न केवल अपराधियों के प्रत्युत उन अपराधी वकीलों के भी जो उनकी सहायता करते हैं ।

श्री बंसल ने खंड १२ के "अथवा अन्य व्यक्ति" तथा खंड १४ का भी निर्देश किया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने इस मामले की चर्चा उन से तथा एक अन्य व्यक्ति से भी की तथा हम ने "अथवा अन्य व्यक्ति" शब्दों के निरसन करने का सुझाव स्वीकार कर लिया है । हमने एक सरकारी संशोधन रखा है जिससे कि यह विधेयक, रेलवे सामान विधेयक के सम्बन्ध में रखे गये प्रवर समिति के प्रस्तावों के समकक्ष आ जायेगा किन्तु हमारे संशोधन प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बहुत पहिले आ गये थे । मैं एक दूसरी बात का भी जिक्र करना चाहता हूं । श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने पूछा है कि हमने सम्पूर्ण सीमा-शुल्क अधिनियम का संशोधन क्यों नहीं किया । यह अधिनियम बहुत बड़ा है तथा इस पूरे अधिनियम का संशोधन करने में कुछ समय की अपेक्षा होगी । हमें करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन तक प्रतीक्षा करनी है । इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के उपरान्त ही हम समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम का संशोधन हाथ में ले रहे हैं । इस बीच हमें कुछ अत्यावश्यक उपाय करने हैं । मेरा विचार है कि मुझे सभा में स्पष्टवादी होना चाहिये । सर्वाधिक कठिनाई सोना-चांदी के बाजार के सम्बन्ध में है । हमारे प्राक्कलनों के अनुसार देश के भीतर की सोने की खानों में सोना २,००० तोला प्रतिदिन निकाला जाता है । किन्तु सोना-चांदी के बाजार में प्रतिदिन ६,००० तोला सोने का लेन देन होता है—अर्थात् देश के उत्पादन का तीन गुना । स्पष्ट है कि यह ४,००० तोला अथवा उसका अधिकांश चोरीछिपे लाया गया सोना है । मुख्यतः इसी कारण हमें इस विधेयक की धारा १७८क अथवा खंड १४ के उपबन्धों को कड़ा कर देना पड़ा है । श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने यह भी कहा है कि हम छोटा शिकार ही पकड़ पाते हैं बड़ा तो साफ बच निकलता है । किन्तु मेरे विचार से, हमारे पिछले दो तीन वर्षों का सोने तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के प्रेष्यों को पकड़ने का कार्य प्रसंशनीय रहा है, तथा मान्यता प्राप्त करने के योग्य है । वर्ष १९५२ में जनवरी से दिसम्बर तक हमने १४९ लाख रुपये के मूल्य का सोना तथा बहुमूल्य वस्तुयें पकड़ी थीं । १९५३ में जनवरी से दिसम्बर तक ८० लाख रुपये के मूल्य की वस्तुयें पकड़ी गईं । वर्ष १९५४ में जनवरी से दिसम्बर तक हमने २०८ लाख रुपये की वस्तुयें पकड़ी थीं ।

इतनी बड़ी राशि छोटे शिकार से प्राप्त नहीं हो सकती है । हाल ही में हमने कलकत्ता के एक विदेशी जहाज में १० अथवा १२ लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा । हमने हाल ही में दिल्ली तथा बम्बई में कुछ माल पकड़ लिया । उनका मूल्य भी कई लाख रुपये था । बम्बई में कुछ माल पकड़ा गया । उसका मूल्य कई लाख रुपये था । ये ही ज़ब्ती और पकड़ के बड़े बड़े मामले हैं । यह सच नहीं है कि बड़ा शिकार सदैव हमारे चंगुल से बच निकला है । कुछ अवश्य ही बच निकले होंगे इसीलिये हम इस विधेयक के द्वारा अपने जाल को मजबूत कर रहे हैं । यदि हमें विश्वास होता कि सभी बड़े शिकार हमारे जाल में हैं तो जाल को अधिक कसने की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : व तुम्हारे जाल को काट देंगे ।

श्री ए० सी० गुह : कदाचित् श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी का बुद्धिमत्तापूर्ण परामर्श लेकर भी उनके लिये जाल काटना सरल नहीं होगा ।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है । मेरे कुछ संशोधन हैं । एक बात और है । कुछ सदस्यों ने पूछा है कि इस विधेयक का मसविदा इतना त्रुटिपूर्ण क्यों था कि स्वयं मंत्री को इतने संशोधन करने पड़े । इसका कारण यह है कि सरकार ने जनता के सुझावों का प्रत्युत्तर दिया है । जब कभी भी हमें सभा के सदस्यों तथा व्यापारियों से अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त हुए, हमने स्वयं भी सुधार किये तथा सुझाव दिये । इस के लिये हमें सरकार का तिरस्कार नहीं अपितु उस का समर्थन करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बंसल : इसे प्रवर समिति को सौंपने में क्या कठिनाई थी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं इसे अनावश्यक समझता हूं, क्योंकि कई विधेयकों में, सिद्ध करने का प्रभार अपराधी के ऊपर डालने का मुख्य सिद्धान्त स्वीकृत हो चुका है ; तथा हाल ही में इस प्रश्न का समर्थन करने वाले दो विधेयक इस सभा द्वारा पारित भी हो चुके हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(२९क तथा २९ख, आदि नई धाराओं का रखना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ पर,

(१) पंक्ति ७ में 'real value' ("वास्तविक मूल्य") के पश्चात् 'or quantity' ("अथवा मात्रा") शब्द रखे जायें ।

(२) पंक्ति १० में 'real value' ("वास्तविक मूल्य") के पश्चात् 'or quantity' ("अथवा मात्रा") शब्द रखे जायें ।

(३) पंक्ति ४८ में 'real value' ("वास्तविक मूल्य") के पश्चात् 'or quantity' ("अथवा मात्रा") शब्द रखे जायें ।

यह सरकार के अभिप्राय की व्याख्या अथवा उसका स्पष्टीकरण है । कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनका मूल्य-निर्धारण सरलता से नहीं हो सकता है । इसलिये 'quantity' ("मात्रा") शब्द रखा गया है ।

सभापति महोदय द्वारा तीनों संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर) : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न

के हेतु) जहां तक मुझे याद है, स्पीकर साहब का यह आर्डर है कि १ बजे से ले कर ढाई बजे तक किसी कोरम (गणपूर्ति) की जरूरत नहीं है और न ही इस दौरान में किसी चीज पर वोट लिये जा सकते हैं । इस वक्त दोनों ही बातें हैं । कोरम भी नहीं है और वक्त भी मुकर्रेरा वक्त है । वोट भी आप लेते जा रहे हैं ।

सभापति महोदय : हमने यह स्वीकार कर लिया है कि इस समय अर्थात् १ बजे म० प० से २-३० बजे म० प० तक गणपूर्ति के लिये नहीं कहा जायेगा । इसलिये यदि मत विभाजन का कोई अवसर आयेगा तो हम उसे रोक लेंगे ।

मौलाना मसूदी : मुझे आप का विनिर्णय मान्य है ।

खंड ५ – (धारा ३९, आदि का संशोधन)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ पर खंड ५ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :

'5. *Substitution of new section for section 39 in Act VIII of 1878*.—For section 39 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

'*39. Payment of duties not levied, short levied or erroneously refunded.*—(1) When customs duties or charges have not been levied or have been short-levied through inadvertence, error, collusion or misconstruction on the part of the officers of customs, or through misstatement as to real value, quantity or description on the part of the owner,

or when any such duty or charge, after having been owing to any such cause, erroneously refunded,

the person chargeable with the duty or charge which has not been levied or which has been so short-levied or to whom such refund has erroneously been made, shall pay such duty or charge or the deficiency or repay the amount paid to him in excess, on a notice of demand being issued to him within three months from the relevant date as defined in sub-section (*2*) ;

and the Customs Collector may refuse to pass any goods belonging to such person until the said deficiency or excess be paid or repaid.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the expression "relevant date" means :—

(a) in a case where the duty or charge has not been levied, the date on which the Customs Officer makes on order for

[श्री ए० सी० गुह]

clearance of the goods ;

(b) in a case where the duty is re-assessed under section 29A, the date of re-assessment ;

(c) in a case where the duty is provisionally assessed under section 29B, the date of final adjustment of duty ;

(d) in a case where the duty or charge has been erroneously refunded, the date of refund; and

(e) in any other case, the date of the first assessment'."

["५. १८७८ के अधिनियम ८ में धारा ३९ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना—मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर, निम्न धारा रखी जायगी, अर्थात्:—

'३९. उन शुल्कों की अदायगी जो नहीं लगाये गये, कम लगाये गये अथवा गलती से वापिस किये गये.—(१) जबकि सीमा-शुल्क अथवा कर, सीमा-शुल्क पदाधिकारियों की असावधानी, गलती, अभिसन्धि अथवा षड्यंत्र से अथवा माल के मालिक के वास्तविक मूल्य, मात्रा अथवा व्याख्या सम्बन्धी गलत विवरण से नहीं लगाये गये अथवा कम लगाये गये ।

अथवा जब ऐसा शुल्क अथवा कर लगाये जाने के उपरान्त भी, किसी भी उक्त कारण से गलती से वापिस किये गये हों,

तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे शुल्क अथवा कर जोकि नहीं लगाया गया हो, अथवा कम लगाया गया हो अथवा जिस को, गलती से ऐसी राशि वापिस की गई हो, उपधारा (२) की परिभाषा के अनुसार संगत तारीख से तीन महीने के भीतर मांग की सूचना जारी किये जाने पर ऐसे शुल्क, कर अथवा उस कमी को चुकायेगा अथवा अधिक दी गई राशि को पुनः चुकायेगा ;

तथा सीमा शुल्क कलेक्टर उक्त शुल्कों, करों अथवा कमी को चुकाये और आधिक्य को वापस किये बिना ऐसे व्यक्ति के माल को ले जाने की स्वीकृत नहीं दे ।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये "संगत तारीख" का अभिप्राय यह है कि :—

(क) ऐसे मामले में जहां शुल्क अथवा कर नहीं लगाया गया है, वह तारीख जब सीमा शुल्क पदाधिकारी माल उठाने का आदेश जारी करता है ;

(ख) ऐसे मामले में जहां धारा २९क के अधीन शुल्क का पुनःनिर्धारण किया गया है, पुनःनिर्धारण की तारीख ;

(ग) ऐसे मामले में जहां धारा २९ख के अधीन शुल्क का अस्थायी निर्धारण किया गया है, अन्तिम समायोजन की तारीख;

(घ) ऐसे मामले में जहां शुल्क अथवा कर गलती से वापस हो गया है, वापसी की तारीख ; तथा

(ङ) किसी अन्य मामले में प्रथम निर्धारण की तारीख ।' "]

मैं इस सम्बन्ध में एक शब्द कहूंगा । इस परिवर्तन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई । उद्देश्य यह था कि 'कम

लगा हुआ शुल्क' भी नहीं लगे हुए में सम्मिलित हो जाय । किन्तु इस के सम्बन्ध में कुछ सन्देह था कि यदि 'कम लगाये गये' में शायद 'न लगाया गया' न आ सके । इस लिये हमने 'नहीं लगे हुएं' 'कम लगे हुए' अथवा 'गलती से वापस किए गये' शब्द रखे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : पदाधिकारियों की अभिसन्धि, आदि से क्या तात्पर्य है ।

श्री ए० सी० गुह : यदि पदधिकारी की समाज विरोधी तत्वों के साथ अभिसन्धि करते हुए अथवा कुछ गलत अथवा अवैध कार्य करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे दंडित किया जायेगा ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ ३ पर खंड ५ के स्थान पर निम्न अंश रखा जाये :—

"5. *Substitution of new section for section 39 in Act VIII of 1878.*—For section 39 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

'*39. Payment of duties not levied, short levied or erroneously refunded.*—(*1*) When customs duties or charges have not been levied or have been short-levied through inadvertence, error, collusion or misconstruction on the part of the officers of Customs, or through mis-statement as to real value, quantity or description on the part of the owner,

or when any such duty or charge, after having been levied, has been, owing to any such cause, erroneously refunded,

the person chargeable with the duty or charge which has not been levied or which has been so short-levied, or to whom such refund has erroneously been made, shall pay the duty or charge or the deficiency or repay the amount paid to him in excess, on a notice of demand being issued to him within three months from the relevant date as defined in sub-section (2) ;

and the Customs Collector may refuse to pass any goods belonging to such person until the said duties or charges or the said deficiency or excess be paid or repaid.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the expression "relevant date" means:—

(a) in a case where the duty or charge has not been levied, the date on which the Customs Officer makes an order

[सभापति महोदय]

for clearance of the goods ;

(b) in a case where the duty is re-assessed under section 29A, the date of re-assessment ;

(c) in a case where the duty is provisionally assessed under section 29B, the date of final adjustment of duty ;

(d) in a case where the duty or charge has been erroneously refunded, the date of refund ; and

(e) in any other case, the date of the first assessment."

["५. १८७८ के अधिनियम ८ में धारा ३९ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना —मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर, निम्न धारा रखी जायगी, अर्थात् :—

'३९.—उन शुल्कों की अदायगी जो नहीं लगाये गये, कम लगाये गये अथवा गलती से वापस किये गये (१) जबकि सीमा-शुल्क अथवा कर सीमा-शुल्क पदाधिकारियों की असावधानी, गलती, अभिसन्धि अथवा षड्यंत्र से अथवा माल के मालिक के वास्तविक मूल्य, मात्रा अथवा व्याख्या सम्बन्धी गलत विवरण से नहीं लगाये गये अथवा कम लगाये गये;

अथवा जब ऐसा शुल्क अथवा कर, लगाये जाने के उपरान्त भी उक्त कारण से गलती से वापिस किये गये हों;

तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे शुल्क अथवा कर जोकि नहीं लगाया गया हो, अथवा कम लगाया गया हो अथवा जिस को, गलती से ऐसी राशि वापिस की गई हो, उपधारा (२) की परिभाषा के अनुसार संगत तारीख से तीन महीने के भीतर माँग की सूचना जारी किए जाने पर ऐसे शुल्क कर अथवा उस कमी को चुकायेगा अथवा अधिक दी गई राशि को पुनः चुकायेगा ;

तथा सीमा शुल्क कलेक्टर उक्त शुल्कों, करों अथवा कमी को चुकाये और आधिक्य को वापस किये बिना ऐसे व्यक्ति के माल को ले जाने की स्वीकृत नहीं दे ।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये "संगत तारीख" का अभिप्राय यह है कि :—

(क) ऐसे मामले में जहां शुल्क अथवा कर नहीं लगाया गया है, वह तारीख जब सीमा शुल्क पदाधिकारी माल उठाने का आदेश जारी करता है ;

(ख) ऐसे मामलों में जहां धारा २९क के अधीन शुल्क का पुनः निर्धारण किया गया है, पुनःनिर्धारण की तारीख ;

(ग) ऐसे मामले में जहां धारा २९ख के अधीन शुल्क का अस्थायी निर्धारण किया गया है, अन्तिम समायोजन की तारीख ;

(घ) ऐसे मामले में जहां शुल्क अथवा कर गलती से वापस हो गया है, वापसी की तारीख ; तथा

(ङ) किसी अन्य मामले में प्रथम निर्धारण की तारीख ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६ से १० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ११—[१७०क, आदि नई धारा का रखा जाना ।]

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति ५२ में "has reason to believe" ["विश्वास करने का कारण हो"] शब्दों के स्थान पर "has credible information or reasonable suspicion" ["विश्वसनीय जानकारी या युक्तियुक्त संदेह हो"] शब्द रख दिये जायें ।

(२) पृष्ठ ५, पंक्ति ४ और ५ में, "until he can bring him before the nearest Magistrate" ["जब तक कि वह उसे निकटतम दण्डाधिकारी के सामने पेश न करे"] शब्दों के स्थान पर "and produce him without unnecessary delay before the nearest Magistrate" ["और बिना अनावश्यकविलम्ब के निकटतम दण्डाधिकारी के सामने उसे पेश करे"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ५, पंक्ति ४३ में, "out of moneys provided by Parliament" ["संसद् द्वारा दिये गये धन में से"] शब्दों के स्थान पर "by the Government ["सरकार द्वारा"] शब्द रख दिये जायें ।

प्रथम दो संशोधनों के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन पर विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यावहारिक प्रक्रिया सम्बन्धी सभी अधिनियम और दण्ड-विधियों को दण्डप्रक्रिया संहिता के आधार पर बनाया जाना चाहिये क्योंकि वह संहिता एक मान्य संहिता है । चोरी छिपे माल ले जाने की रोक थाम के लिये सीमा-शुल्क विभाग के पदाधिकारियों को वैसे ही अधिकार होने चाहियें जैसे पुलिस के सब-इन्स्पेक्टरों के होते हैं ।

खण्ड ११ में प्रयुक्त शब्दों के अनुसार सीमाशुल्क पदाधिकारी द्वारा किसी बात पर विश्वास कर लेना ही पर्याप्त है । पर यह उपबन्ध अस्पष्ट और अनिश्चित है और स्वतंत्रता का अपहरण कर सकता है । इसके विपरीत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५४ में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को तभी पकड़ा जा सकता है जब उसके विरुद्ध उचित शिकायत हो या विश्वसनीय सूचना हो या किसी मामले से उस के सम्बन्धित होने का युक्ति-युक्त सन्देह हो ।

अतः किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर योंही सन्देह होना और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी के पास समुचित विश्वसनीय सूचना होना दो भिन्न बातें हैं । यदि आप सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को ऐसे अधिकार देंगे तो भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा । हत्या और चोरी के माल के मामलों में भी विधि की दृष्टि से केवल उसी अवस्था में किसी को पकड़ा जा सकता है जब उसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना या युक्तियुक्त सन्देह हो । दण्डाधिकारी केवल सन्देह मात्र पर पकड़े गये व्यक्तियों को मुक्त कर देता है पर इस से भी जनता को परेशानी होती है और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की परेशानी उठाना पसन्द नहीं करेगा । मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार के अधिकार सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को दिये गये तो वह अवश्य ही उनका दुरुपयोग करेंगे । अतः मैं चाहता हूं कि इस विधि को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के समान ही बनाया जाय और सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को भी पुलिस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सब-इन्सपेक्टरों के-से ही अधिकार दिये जायें ।

दूसरे उपबन्ध, जिस के सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है, में कहा गया है कि यह सीमा-शुल्क पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकते हैं जब तक कि वह उसे निकटतम दण्डाधिकारी के सामने पेश न करें । इस का अर्थ यह है कि वह उस व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक निरुद्ध रख सकता है । मैं समझता हूं कि उसे २४ घंटे से अधिक समय के लिये निरुद्ध नहीं रखा जाना चाहिये । मैं तो चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी सीमा-शुल्क पदाधिकारियों को दण्डप्रक्रिया संहिता के अधीन सब-इंस्पेक्टरों की भांति अभियुक्त को शीघ्रातिशीघ्र दण्डाधिकारी के सामने पेश करना चाहिये । अतः मैं निवेदन करता हूं कि यदि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम में इन दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा हो ।

तीसरे मामले के सम्बन्ध में उपखण्ड (८) में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि व्यय संसद् द्वारा दिये गये धन से किया जायेगा । पर सामान्यतया ऐसे व्यय सरकार द्वारा दिये गये धन में से किये जाते हैं । फिर सरकार और संसद् में कोई अन्तर क्यों माना जाता है । अतएव मैं निवेदन करता हूं कि इन दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय ।

सभापति महोदय : पर उपखण्ड (२) के शब्द वही हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि दण्डाधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया जाय । इसी कारण मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया ।

सभापति महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं चर्चाधीन खण्ड के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं । सर्वप्रथम, जैसाकि प्रस्तावक ने कहा, किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर छिपी कोई आपत्तिजनक वस्तु है, इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता । किसी पंजीकृत डाक्टर को बुलाने की बात तो बाद में पैदा होती है ।

सर्वप्रथम सीमा-शुल्क अधिकारी किस आधार पर कह सकता है कि उसे किसी विशेष व्यक्ति पर इस प्रकार का सन्देह है ।

दूसरे, उस व्यक्ति को दण्डाधिकारी के सामने पेश करने के सम्बन्ध में कोई समय निश्चित नहीं किया गया है । वह समय २४ घंटे से भी कम होना चाहिये । क्योंकि इस के बिना, सीमा-शुल्क अधिकारी या दण्डाधिकारी किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्द रखं सकते हैं ।

फिर यह भी कहा गया है कि जहाज से उतरने के बाद तुरन्त ही । क्या इसका मतलब यह है कि उतरने के बाद तुरन्त ही या दो तीन दिन बाद तक भी ? अतः 'उतरने' शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय ।

श्री ए० सी० गुह : मेरे लिये यह एक बहुत नाजुक बात है कि मैं अपने मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव से वैधानिक मामलों पर वाद-विवाद करूं । वह एक प्रसिद्ध वकील हैं और मैं कभी भी वकील नहीं था । पर मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा २६ में "विश्वास करने का कारण" की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि : "एक व्यक्ति को किसी बात के विश्वास करने का कारण तभी हो सकता है जब वह उस बात पर पर्याप्त कारण से विश्वास करता हो, अन्यथा नहीं ।"

यह उस की स्पष्ट परिभाषा और व्याख्या की गई है और मैं समझता हूं कि इस परिभाषा के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव से अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

द्वितीय संशोधन के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझता कि केवल शब्दों में परिवर्तन करने से क्या सुधार होगा । आवश्यक और अनावश्यक विलम्ब का निर्णय कौन करेगा ? क्या कार्य सीमा-शुल्क अधिकारी ही करेगा । हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद २२ के अनुसार उस व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर ही दण्डाधिकारी के सामने पेश करना आवश्यक है । कठिनाई यह है कि यदि एक व्यक्ति कलकत्ता या बम्बई में गिरफ्तार नहीं होता बल्कि कहीं दूर स्थान में पकड़ा जाता है जहां निकट में कोई दण्डाधिकारी नहीं होता । फिर भी, संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर किसी दण्डाधिकारी के सामने पेश करने का दायित्व तो होता ही है, अतः मैं यह नहीं समझता कि इस संशोधन से स्थिति में क्या सुधार होगा । पंडित ठाकुर दास जी ने भी कोई कालावधि निश्चित नहीं की है । इस बात का निर्णय करना सीमा-शुल्क पदाधिकारी पर ही छोड़ दिया जायगा कि आवश्यक विलम्ब कितना है और अनावश्यक विलम्ब कितना ।

तृतीय संशोधन के विषय में मैं यह कहूंगा कि हम अभी तक "संसद् द्वारा दिये गये धन में से," इस वाक्य का ही प्रयोग करते आये हैं । सरकार ने इस प्रकार का कोई धन प्राप्त नहीं किया है । सरकार केवल संसद् द्वारा दी गई भेंटों को प्राप्त करती है । हम ने बहुधा प्रयुक्त किये जाने वाले और रूढ़िगत इस वाक्य को अभी अभी रखा है । अतः मैं नहीं कह सकता कि यह संशोधन किस प्रकार स्थिति को सुधारेगा । मुझे आशा है कि मैं उन के सन्देहों को दूर कर सकूंगा, और वे अपने संशोधनों के लिये मुझे बाध्य नहीं करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने संशोधन पर अधिक बल इसलिये दे रहा हूं कि यदि उस अभियुक्त को दण्डाधिकारी के सामने शीघ्र ही प्रस्तुत न किया गया तो धारा ३४२ के अधीन उस व्यक्ति को हिरासत में रखना अवैध होगा ।

श्री ए० सी० गुह : यदि माननीय सदस्य इस बात पर आग्रह करते हैं तो मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब इसमें देर नहीं हुआ करेगी ।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री इस द्वितीय संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : यदि माननीय सदस्य इस बात पर आग्रह करते हैं तो इसे स्वीकार करने में मुझ कोई आपत्ति नहीं । इससे न तो हमारे मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई आयगी, और न ही दूसरे पक्ष की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार हो सकेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति ४ और ५ में, "Until he can bring him before the nearest Magistrate" ["जब तककि वह उसे निकटतम दण्डाधिकारी के सामने पेश न करे"] शब्दों के स्थान पर "and produce him without unnecessary delay before the nearest Magistrate" ["और विना अनावश्यक विलम्ब के निकटतम दण्डाधिकारी के सामने उसे पेश करे"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अपने प्रथम संशोधन पर अधिक जोर देता हूं, और तृतीय संशोधन पर अधिक जोर नहीं देता ।

श्री ए० सी० गुह : मैं यह बता देना चाहता हूं कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा १६९ तथा १७१ में भी बिल्कुल यही वाक्य है कि "विश्वास करने का कारण हो" ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना प्रथम तथा तृतीय संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इन्हें लेना चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, लिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेय में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२–(नई धारा १७१क, आदि का रखा जाना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ६ पर,

(१) पंक्ति १२ से १४ में "Any duty empowered officer of customs or other person duly employed in the prevention of smuggling".

["तस्कर व्यापार की रोक थाम करने के लिये नियुक्त किया गया कोई भी अधिकार-सम्पन्न सीमा-शुल्क पदाधिकारी, अथवा अन्य अधिकार-सम्पन्न व्यक्ति"] के स्थान पर "Any officer of customs duly employed in the preventing of smuggling".

["तस्कर व्यापार की रोक-थाम करने के लिये उचित रूप से नियुक्त कोई भी सीमा-शुल्क पदाधिकारी] शब्द रख दिये जायें ।

(२) पंक्ति १७ में, "or person" (अथवा व्यक्ति) शब्द हटा दिये जायें ।

(३) पृष्ठ ६ पर, पंक्ति २५ से पंक्ति २६ में, "or other person" ["अथवा अन्य व्यक्ति"] शब्द हटा दिये जायें ।

हम "अथवा अन्य व्यक्ति" शब्द हटा रहे हैं और श्री बंसल के संधशोन का भी यही आशय है ।

सभापति महोदय द्वारा ये दोनों संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये और स्वीकृत हुए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

(१) पृष्ठ ६, पंक्ति २७ में "state the truth" ["सचाई बताए"] के स्थान पर "make a statement" ["वक्तव्य दे"] शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ६ में, पंक्ति ३३ से पंक्ति ३५ तक हटा दी जायें ।

इन दो संशोधनों के विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी जांच पदाधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जोकि

तस्कर व्यापार की रोकथाम करने के लिये नियुक्त पदाधिकारियों को प्राप्त होते हैं तो ये अधिकार बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि सब-इंस्पेक्टरों को प्राप्त होते हैं । एक सब-इंस्पेक्टर के सामने उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह पूर्णरूपेण सही बात बता दे । उसे केवल एक वक्तव्य देना है ।

इसी प्रकार से इस विधेयक के अधीन किसी भी पदाधिकारी के सम्मुख होने वाली सारी प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया समझी जायगी परन्तु मेरा यह कहना है कि यह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया कदापि नहीं हो सकती ।

संविधान के अनुच्छेद २० में भी ये शब्द लिखित हैं :

"किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायगा ।"

अतः उपधारा (४) के ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद २० के विरुद्ध हैं ।

अतएव मेरा यह निवेदन है कि यदि आपने तस्कर व्यापार की रोकथाम करने वाले पदाधिकारियों को पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के समान ही अधिकार दे रखे हैं, तो उन्हें किसी भी व्यक्ति को सच्चा बयान देने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुह : मुझे इस बात की आशंका है कि मैं उन का यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को केवल एक बयान देने के लिये कहा जायगा, जो भले ही यह सत्य न हो तो इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा । भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९ के अधीन एक साक्षी को एक सच्चा बयान देना होता है, अन्यथा उसे दण्ड दिया जायगा । यदि उसे यह कहा जाय कि वह कोई भी बयान दे, चाहे वह सत्य हो अथवा असत्य, तब तो इस खण्ड का कोई मूल्य ही नहीं । मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र सचाई से इतना डरते क्यों हैं ।

सभापति महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव के ये दोनों प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री ए० सी० सामन्त (तामलुक) : नियम यह है कि एक बजे से ढाई बजे तक गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है । यहां पर विधेयक पर चर्चा हो रही है और इसके खण्डों के बारे में बहुत कम सदस्य मत दे रहे हैं ; क्या अन्य सभी चुप बैठे हुए सदस्य इनके प्रति तटस्थ हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

खण्ड १४ (नई धारा—१७८क, आदि का रखा जाना)

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> पृष्ठ ६ की पंक्ति ४६ में, "on the ground" ["इस आधार पर"] के स्थान पर "no reasonable grounds" ["उचित आधार पर"] शब्द रख दिये जायें ।

मेरा विचार है कि इस संशोधन से माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किये गये बहुत से सन्देह दूर हो जायेंगे और मुझे

[श्री ए० सी० गुह]

यह भी आशा है कि यह खण्ड स्वीकार कर लिया जायगा ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री बंसल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ ६ में,

पंक्ति ४८ के बाद निम्न अंश जोड़ा जाय :

"Provided that such persons shall be deemed to have discharged the burden if they prove that they paid full price in respect of the goods and that they had no reason to believe that they were smuggled goods."

["परन्तु ऐसे व्यक्तियों को निर्दोष माना जायगा, यदि वे ऐसा सिद्ध कर दें कि उन्होंने उस माल का पूरा मूल्य अदा किया है और उन के सामने इस बात को मानने का कोई कारण नहीं था कि वह चोरी-छिपे लाया गया माल है ।"]

इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि मेरा संशोधन निर्दोष व्यक्तियों का रक्षक है । अतः मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ ६, पंक्ति ४६ में, "smuggled goods" ["चोरीछिपे लाया गया माल"] के पश्चात् "and from the nature of goods and other attendent circumstances, reasonable belief or strong suspicion (amounting to a *pirima facie* case) arises that the goods have been smuggled".

["और वस्तुओं के स्वरूप तथा अन्य प्रकार की समवर्ती परिस्थितियों से (प्रत्यक्ष मामले के रूप में) उचित विश्वास अथवा भारी सन्देह उत्पन्न होता है कि मामान चोरी-छिपे लाया गया है ।"]

इस विधेयक के भार साधक माननीय मंत्री आज स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं कि साधारण मामलों में धारा १४ में दिये गये उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं ।

वह यह भी अनुभव करते हैं कि 'आधार' शब्द पर्याप्त नहीं है । वह कहते हैं कि यहां पर 'उचित आधार' होना चाहिये । परन्तु वे उचित आधार कौन कौन से हैं—इसके बारे में कौन निर्णय करेगा ? और फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि केवल 'आधार' के स्थान पर 'उचित आधार' शब्द रखे देने से ही क्या अन्तर पड़ जाता है ? अतः केवल 'आधार' के स्थान पर 'उचित आधार' रख देने से ही मामला सुलझ नहीं सकता ।

जहां तक माननीय मित्र श्री बंसल के संशोधन तथा अन्य व्यक्तियों के संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में वे माननीय मंत्री के ही जाल में फंसे हुए हैं । वे पहले ही ऐसा मान लेते हैं कि वह माल चोरीछिपे लाया गया है और तब अभियुक्त के बारे में जांच प्रारम्भ करते हैं । परन्तु वास्तव में यह तो अनीति

है । परिस्थितियों के बारे में श्री बंसल ने जो कहा है कि यदि वह ऐसा सिद्ध कर दें कि उसने यह माल ईमानदारी से खरीदा है तो उसे निर्दोष समझना चाहिये, मैं उनके इस कथन की सराहना करता हूं ।

अन्य संशोधनों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में विधि यह है कि जब भी चोरीछिपे लाये गये माल के सन्देह का कोई मामला किसी दण्डाधिकारी के सामने आता है तो दण्डाधिकारी को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या वह माल चोरीछिपे का है या नहीं । उसे इस बात को भी देखना होता है कि वह माल किस प्रकार का है । यदि वह ऐसा माल है जोकि बाज़ार में उपलब्ध नहीं है तो स्पष्ट है कि वह चोरीछिपे का माल है । इसके साथ ही साथ उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है जिन परिस्थितियों में वह माल पकड़ा गया है ।

ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि ज्यों ही ऐसा सिद्ध हो जाय कि अमुक माल चोरीछिपे लाया गया माल है तो वह माल जब्त कर लिया जाना चाहिये । माल जब्त करने का जेल भेजने से भी अधिक प्रभाव पड़ता है ।

अतः मेरा यह निवेदन है कि जब तक कोई मामला प्रत्यक्ष मामला न हो, तब तक उस व्यक्ति को अपनी सफाई पेश करने के लिये नहीं बलाया जाना चाहिये ।

अतः मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन है कि पहले ही ऐसा विचार कर लेना कि कोई माल चोरी का माल है और सम्बन्धित व्यक्ति अपराधी है, बड़ा अन्याय है ।

उन्होंने रेलवे सामान (अवैध कब्जा) अधिनियम का उल्लेख किया है । परन्तु यह कहने का क्या लाभ है कि प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । हम उस प्रतिवेदन में विश्वास नहीं रखते । हम वास्तव में यह चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों को व्यर्थ में ही तंग न किया जाय ।

माननीय मित्र ने इंग्लैंड का उल्लेख किया है । परन्तु भारत और इंग्लैंड की पुलिस में बहुत बड़ा अन्तर है । वहां पर पुलिस के सिपाही के वाक्य को वेद-वाक्य समझा जाता है, परन्तु यहां पर पुलिस सिपाही की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता । अतः परिस्थितियों में भारी अन्तर है ।

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय है । दण्ड-विधान का यह एक प्रमुख विषय है । सरकार प्रतिदिन इस प्रकार के विधेयक ले कर आती है जिनमें वस्तुतः सारे का सारा दोष अभियुक्त के सिर मढ़ने का प्रयत्न होता है । इससे सरकारी कर्मचारियों की कौशलहीनता स्पष्ट हो जाती है । मेरा यह निवेदन है कि आप इस प्रकार समस्या को नहीं सुलझा सकते ।

आखिर कितने वर्षों से समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम चल रहा है ? वर्ष १८७८ में यह अधिनियम पारित किया गया था । इस विधेयक द्वारा समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम में जो १८७८ में पारित हुआ था जो परिवर्तन किये जा रहे हैं वे निराधार हैं ।

इस समय या तो संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये अथवा पूरी चर्चा होने के लिये इसको इस समय छोड़ देना चाहिये ताकि सभा यह जान सके कि आया ये परिवर्तन आवश्यक हैं या नहीं ।

मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार के संशोधन को प्रारम्भ में ही अस्वीकृत कर देना चाहिये, क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है । निर्दोष सिद्ध करने का उत्तरदायित्व अमुक ढंग से पूरा किया जायगा, यह असंगत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

विषय है। विचारार्थ मुख्य विषय यह है कि क्या प्रमाण भार बदला जाना चाहिये। अतः मंत्री महोदय को इस समय इस खण्ड पर आग्रह नहीं करना चाहिये ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टेक चन्द : मैं न्याय और औचित्य की भावना से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह खण्ड १४ पर बहुत आग्रह करते हैं, जिसके बहुत बड़े परिणाम होंगे ?

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय इसे स्थगित करना चाहते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : फिर इसे राज्य सभा में पारित करवाने का समय नहीं रहेगा ।

श्री टेक चन्द : माननीय मंत्री के भाषण से प्रतीत होता है कि उनके परामर्श-दाताओं ने उन्हें ठीक मंत्रणा नहीं दी है। एक साधारण व्यक्ति का अफीम या रेलवे अथवा सेना के भण्डारों या टैलीग्राफ की तारों से कोई प्रयोजन नहीं होता । उसके घर में आयात की गई कोई न कोई वस्तु अवश्य होती है। यदि उस से पूछा जाय कि क्या वह वस्तु चोरी-छिपे लाई गई है, तो वह इस के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं दे सकता कि उस ने वह दुकानदार से खरीदी है या किसी मित्र से ली है। परन्तु इस विधि के अनुसार न्यायालय और दंडाधीश विवश हो जायेंगे और वह वस्तु पकड़ ली जायेगी तथा नब्बे प्रतिशत लोगों को दण्ड मिलेगा । जब नब्बे प्रतिशत लोगों को यह कठिनाई होगी तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास उस वस्तु के खरीदने की रसीद सदा रखने के लिये कहना उचित है ? अतः मेरी प्रार्थना है कि तक, न्याय, औचित्य और बद्धि भावना का यदि इस विधेयक से कुछ भी सम्बन्ध है तो खण्ड १४ पर मंत्री महोदय को आग्रह नहीं करना चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह इस सभा व सरकार का हितैषी है या नहीं, इस विधेयक का विरोध करना चाहिये। ऐसे मामले में अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर डालना गलत है। यह तर्क भी निराधार है कि अमुक अधिनियम में भी ऐसा उपबन्ध विद्यमान है ।

खण्ड टिप्पणी में परिवर्तन का यह कारण बताया गया है कि यह सिद्ध करना सदा सरल नहीं होता कि जो वस्तु पकड़ी गई है वह चोरी छिपे लाई गई वस्तु है । किसी निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी सिद्ध करना कठिन होता है। यदि सीमा-शुल्क वालों को यह सिद्ध करना कठिन है कि पकड़ी गई वस्तु चोरीछिपे लाई गई है तो क्या साधारण व्यक्ति को यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि यह चोरीछिपे लाई गई वस्तु नहीं है ?

मंत्री महोदय का तर्क बिल्कुल निराधार और प्रभावहीन है। उन्हें कांग्रेस के सिद्धान्तों और परम्परा के अनुसार चलना चाहिये । यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो कर्मचारियों को लोगों के दोषों को सिद्ध करने की अधिक सरलता देने के लिये कल नया विधेयक उपस्थित होने की संभावना है ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं पूर्व वक्ताओं से इस बात में सहमत हूं कि इस विधेयक को स्वीकार न किया जाय ।

हमने कल्याणकारी राज्य की घोषणा तो की है, परन्तु हमारा विधान ऐसा निषेधात्मक बनाया जा रहा है कि यह कल्याणकारी राज्य पुलिस राज्य में परिवर्तित होने जा

रहा है । यदि इस प्रकार की विधियां बनती रहीं, तो बहुत सी विधियां एक दूसरी विधियों से विरोधी हो जायेंगी ।

मेरी मूल आपत्ति यह है कि जब तक अभियोक्ता पर दोष सिद्ध करने का भार न डाला जाय, उसे अभियुक्त को अपना दोष सिद्ध करने के लिये कहने की शक्तियां नहीं मिलनी चाहियें ।

मुझे विश्वास है कि सभा के सब वर्गों के सदस्य खण्ड १४ का विरोध करते हैं । इस प्रकार के अवांछित विधेयक के परिणामों को मंत्री महोदय बाद में अनुभव करेंगे । अतः इस विधेयक पर विचार स्थगित कर देना चाहिये और इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री डाभी ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री डाभी : क्या किसी निर्दोष व्यक्ति के पास कोई चीज पकड़ कर उसके ऊपर प्रमाण भार डाल देना उचित है ? धारा १७८क की शब्दावली ऐसी है कि कोई भी अभियुक्त इस दायित्व को निभा नहीं सकता । इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें कि यदि अभियुक्त संतोषजनक रूप में यह बता दे कि उसके पास वह वस्तु अमुक ढंग से आई है तो यह समझना चाहिये कि उस का दायित्व पूरा हो चुका है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री को मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है जबकि यही शब्द इसी जैसे दूसरे विधेयक में आये हैं । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे पहले संशोधन को स्वीकार कर लें । यदि वह उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो दूसरे संशोधन को स्वीकार कर लें जो रेलवे भण्डार (अवैध कब्जा) विधेयक के खण्ड ३ के समान है ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं, जिन्होंने उस व्यक्ति पर साक्ष्य का दायित्व रखने का विरोध किया है, जिसके पास चोरी छिपे लाया गया माल बरामद होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चोरी छिपे माल का लाना रुकना चाहिये । किन्तु इस संशोधन से यह होगा कि बड़े बड़े आदमी, जोकि चोरी-छिपे माल मंगाते हैं, विधि सम्बन्धी कार्य-वाहियों की सहायता से अपने को बचा लेंगे और साधारण व्यक्ति, जिनको ऐसी सुविधायें नहीं हैं, फंस जायेंगे । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़–पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम) : एक शब्द मैं कहना चाहता हूं । जो व्याख्यान अभी हमने पंडित ठाकुर दास जी भार्गव का सुना और जो भाषण हमने इस सम्बन्ध में श्री टेक चन्द जी का सुना, और जितनी बातें यहां कही गई हैं, उनसे मुझको ऐसा लगता है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और समय इतना कम है कि जिस से न इस के ऊपर वादविवाद पूरी तरह से हो सका, न गवर्नमेंट के पक्ष को हम अच्छी तरह समझ सके और न इस हाउस में काफी सदस्य ही मौजूद हैं ताकि इस पर ठंडे दिल से विचार हो, और अगर वह आशंकायें ठीक हैं कि इस बिल के पास हो जाने से जनता को यह सारे कष्ट हो सकते हैं और लोगों को अनावश्यक असुविधा पहुंच सकती है तो मैं बहुत विनती के साथ माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसका विचार कुछ समय के लिये वह स्थगित करें और यह मामला दुबारा बहस के लिये आवे । इस बिल को जल्दी में स्वीकार कर देना मेरे विचार में अच्छा नहीं होगा, इस बात

[श्री अलगू राय शास्त्री]

को देखते हुए कि यहां पर जो बातें कही गई हैं वह काफी इसके विरोध में हैं और इससे जनहित को क्षति पहुंचने की पूरी सम्भावना है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में इस विधेयक के बारे में चर्चा आज समाप्त नहीं हो सकती । केवल दस मिनट शेष रह गये हैं ।

श्री **कानावड पाटिल** (अहमदनगर–उत्तर) : मैं यह नवेदन करना चाहता हूं कि समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत धारा १७८क के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है, वह पूर्णतः युक्तिसंगत है । यदि हम इस अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों को देखें, तो हम को पता चलेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन जो परीक्षण किये जाते हैं, वे यहां लागू नहीं होते, क्योंकि रेलवे सामान खुली जगहों में पड़ा रहता है और उसको चुरा कर ले जाना बहुत आसान है । इस अधिनियम के अन्तर्गत का प्रमाणभार, जोकि अभियुक्त पर डाला गया है, वह मेरी समझ में ठीक ही है, क्योंकि अभियुक्त को यह बताना आवश्यक है कि यह सम्पत्ति उस के कब्जे में किस प्रकार आई । जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैं सरकार का समर्थन करता हूं ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री **पाटस्कर**) मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जिसको माननीय सदस्य संभवतः स्वीकार कर लेंगे । खण्ड १४ की जो वर्तमान शब्दावली है, उसके सम्बन्ध म माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किये गये जितने तर्कों को मैंने सुना है, क्योंकि मैं बाद से आया था, उनका यह निष्कर्ष निकलता है । दाण्डिक मामलों में, स्वभावतः हो प्रमाणभार अभियुक्त पर नहीं होना चाहिये । यह सब सामान्य विधि है । यहां जो कुछ सोचा गया है, वह यह है । मान लिया जाये कुछ सामान चोरीछिपे ले जाया जाता है और वह सामान पकड़ा जाता है, तथा एक व्यक्ति सामने आता है और कहता है कि यह सामान चोरीछिपे नहीं ले जाया गया है, अपितु उसी का है । ऐसे मामले से सम्बन्धित इस उपबन्ध में कोई गलती नहीं है । जब कभी एक व्यक्ति सामने आ कर ऐसा दावा करता है, तो उस पर अपराधिक दायित्व सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठना । उसको तो यह सिद्ध करना जरूरी है ही कि जो कुछ सामान उस के कब्जे में है, वह चोरी छिपे नहीं लाया गया है, अपितु वैध रूप से प्राप्त हुआ है और इस प्रकार वह यह बतायेगा कि वह सामान उसको कहां से प्राप्त हुआ । केवल यह जानने के लिये ही कि उसको वह सामान कहां से प्राप्त हुआ, ऐसा किया जाता है । जब हम यह कहते हैं कि अभियुक्त पर ही प्रमाणभार होगा, तो उससे हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि हम उस पर कोई आपराधिक दायित्व थोप रहे हैं, अपितु इस संशोधन के द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि जहां ऐसा सामान पकड़ा जाये, जोकि चोरी छिपे से ले जाया गया मालूम पड़ता है और एक व्यक्ति उस सामान को अपना बताता है, तो ऐसे मामले में उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने यह सामान कहां से लिया । अतः इस सम्बन्ध में कि हम अभियुक्त पर प्रमाण-भार डालना चाहते हैं, जितने भी तर्क उपस्थित किये गये हैं, वे मेरी समझ में सही नहीं हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : जिस कठिनाई का हम अनभव कर रहे

हैं, वह इससे हल नहीं होगी। रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक में भी इसी प्रकार का एक उपबन्ध था, और सरकार ने उस सम्बन्ध में एक संशोधन स्वीकार किया था।

श्री ए० सी० गुह : पहले से ही इस सम्बन्ध में एक सरकारी संशोधन है और उसकी भाषा है "उचित आधारों पर"।

सरदार हुक्म सिंह : किन्तु "औचित्य" का निर्णय कौन करेगा ?

श्री ए० सी० गुह : रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक में आप ने "उचित संशय" शब्दों को स्वीकार कर लिया है।

सरदार हुक्म सिंह : इससे सम्पूर्ण दंड प्रक्रिया संहिता पर असर पड़ेगा। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय विधि मंत्री ने जो कुछ कहा है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री पाटस्कर : मैं कुछ और स्पष्ट रूप में कहूंगा। रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक की "उचित संशय" वाली शब्दावली ही के बारे में मुझे बताया गया था। किन्तु वहां वह धारा अर्थात् धारा ३ अपराध के सम्बन्ध में है। उस की शब्दावली इस प्रकार है :

> "यदि किसी व्यक्ति के पास रेलवे सामान की ऐसी कोई चीज़ मिलती है या यह सिद्ध होता है कि ऐसी चीज़ उसके कब्ज़े में थी, जिसके बारे में उचित रूपसे यह सन्देह किया जा सकता था कि वह चुराई गई है या अवैध रूप से प्राप्त की गई है और वह व्यक्ति सन्तोष-जनक ढंग से यह नहीं बता पाता कि उसको वह चीज़ कहां से प्राप्त हुई तो उसको पांच साल तक की कैद की सजा दी जा सकेगी....."

यह अधिक कठोर है। यदि हम यहां यह स्पष्ट कर दें—मैं नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में क्या करेंगे —किन्तु यदि यह स्पष्ट कर दिया जाता है....

डा० लंका सुन्दरम् : क्या आपसे परामर्श नहीं किया गया था ?

श्री पाटस्कर : वे जुर्माना इत्यादि नहीं रखना चाहते ; इसके लिये कोई अपराधिक दायित्व नहीं होगा। संभवतः मैंने इसको सावधानीपूर्वक नहीं देखा है— एक दूसरी धारा है जोकि इस को दंडनीय बनाती है। मैं केवल यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस अधिनियम का उद्देश्य व्यर्थ न हो, तथा मुख्यतः जिन आधारों पर इस बात की आलोचना की गई है कि प्रमाणभार अभियुक्त पर नहीं होना चाहिये, उनका उत्तर दिया जा सके। मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन करने पर उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। मान लिया जाये सरकार किसी सामान को अपने कब्जे में कर लेती है और उसके पश्चात् कोई आ कर कहता है कि ये चुराई हुई वस्तुएं नहीं हैं अपितु ये मेरी अपनी चीजें हैं जिन को मैंने यहां यहां से वैध रूपमें प्राप्त किया है। तो ऐसे मामले में प्रमाण भार उसी पर होना चाहिये। ऐसे मामलों में, कम से कम वहां, जहांकि कोई अपराधिक दायित्व नहीं है, हम उदार नहीं हो सकते। यदि यह स्पष्ट हो सके और यदि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट हो जायें कि यह दायित्व तभी एक व्यक्ति पर डाला जायेगा, जबकि उसके पास सामान पकड़ा जाता है और वह यह दावा

[श्री पाटस्कर]

करता है कि वह सामान उसी का है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी ।

इसके पश्चात्, जहां तक अपराधिक दायित्व का सम्बन्ध है, मुझे बताया जाता है कि इस सम्बन्ध में पहले से ही एक दूसरी धारा है । मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता । किन्तु यदि स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाण भार उस पर इसलिये नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि उसको अभियुक्त बनाया जा रहा है और इसलिये उसे स्वयं अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी चाहिये । मेरे विचार में माननीय सदस्य इस को स्वीकार करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस नई प्रस्थापना के सम्बन्ध में मेरा प्रथम सुझाव यह है कि जो कुछ सुझाव के रूप में कहा गया है, उसको जब तक लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक हम उस सम्बन्ध में कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते । साथ ही मैं साक्ष्य अधिनियम की धारा ११० का निर्देश करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जो चीज जिसके अधिकार में है, वही उस का वास्तविक स्वामी समझा जायेगा । यदि सरकार एक व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति छीन लेती है, तो केवल छीनने से ही उस का स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता, जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि वह सम्पत्ति चोरीछिपे से प्राप्त की गई है । इन परिस्थितियों में मैं माननीय विधि मंत्री और उनके साथी से यह निवेदन करता हूं कि वे हमें इस नये संशोधन को दिखा दें, ताकि हम उस पर विचार कर सकें ।

श्री ए० सी० गुह : मैंने इस को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि इस खण्ड का सम्बन्ध चीजों के पकड़ने से ही है तथा उसका अभियोग चलाने और चीज को जब्त करने से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : क्या चोरी छिपे से लाई गई वस्तुएं जब्त नहीं की जायेंगी ?

श्री ए० सी० गुह : जब्त की भी जा सकती हैं और नहीं भी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : क्योंकि विधेयक के लिये नियत किया गया समय समाप्त हो गया है, अतः इस को स्वतः ही स्थगित हो जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर नियत समय से अधिक चर्चा करने के उपरान्त इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अधिक उत्तम है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा, ६ अप्रैल, १९५५ को सभा में उपस्थित किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छब्बीसवें

प्रतिवेदन से सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा, ६ अप्रैल, १९५५ को सभा में उपस्थित किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राजनैतिक पेंशनों के बारे में संकल्प

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि भारत में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की सेवा करने के उपलक्ष में पुरस्कार स्वरूप दी गई सभी राजनैतिक पेंशनें तुरन्त बन्द कर दी जायें ।"

इस संकल्प पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह उन पेंशनों के सम्बन्ध में है, जो ब्रिटिश सरकार के निष्ठावान सेवकों, अर्थात् इस देश के विद्रोहियों को दी जाती हैं। ऐसा संकल्प तो सरकार को स्वयं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रस्तुत करना चाहिये था ।

प्रश्न यह नहीं है कि पेंशन के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है अपितु यह है कि उन द्रोहियों को पेंशन दी ही क्यों जाती है, जिन्हें अंग्रेजों ने अपना शासन स्थायी बनाने के लिये रखा हुआ था ।

इस प्रकार से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी राज्य का समर्थन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को अनुदानों के रूप में भूमि दे कर उन्हें कठपुतली बना लिया और इन्हीं लोगों ने भारत में ब्रिटिश-शासन को स्थिर रखने में अंग्रेजों की पूर्णरूपेण सहायता की थी ।

देश में जब कभी भी किसी व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी किया तो ब्रिटिश सरकार के इन क्रीत दासों ने उसे मिटा देने का प्रयत्न किया ।

अतः यदि आज स्वतंत्र होने के उपरान्त भी हम ऐसे देश द्रोहियों को पेंशनें देते रहेंगे, जिन्होंने सन् १७५७ में अथवा १८५७ में अथवा आज की बीसवीं शताब्दी के स्वातंत्र्य आन्दोलनों में राष्ट्र के साथ द्रोह किया था, तो यह वास्तव में हमारे लिये घोर लज्जा और अपमान की बात है । वे सभी देशद्रोही हैं, देश के शत्रु हैं । ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि उनकी पेंशनें रोक ली जायें । उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिये । कल ही इस सभा में इस बात का रहस्योद्-घाटन किया गया था कि रक्षा मंत्रालय का एक उच्च पदाधिकारी अपनी पेंशन के रूप में एक भारी राशि ले कर पाकिस्तान भाग गया है और वहां पर जा कर नौकरी करने लगा है । ऐसे देशद्रोही व्यक्तियों को तो कठोरतम दण्ड दिया जाना चाहिये ।

ऐसा कोई भी व्यक्ति वास्तव में, देश-द्रोही है जिसने इस देश में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में अंग्रेज़ों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे सहायता की थी अथवा स्वातंत्र्य आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया था । ऐसे व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं कि वे पेंशनें प्राप्त करें । उदाहरणतः, १८५७ के स्वातंत्र्य युद्ध में बिहार तथा उत्तर प्रदेश में क्रान्ति का संचालन करने वाले श्री बाबू कुंवर सिंह थे परन्तु उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी सारी-की-सारी सम्पत्ति जब्त कर ली गई और उन व्यक्तियों में बांट दी गई जिन्हों-ने उस समय अंग्रेजी-शासन की सहायता की थी, और वे लोग आज तक राजनैतिक पेन्शनें प्राप्त कर रहे हैं । हमारी राष्ट्रीय सरकार उन लोगों को पेंशनें दे रही है । लगभग १८८ ऐसे व्यक्ति आज पेंशनें प्राप्त कर रहे हैं । उनमें से तीन तो इंग्लैंड में हैं, एक तेहरान में और एक श्रीमान आगा

[डा० राम सुभग सिंह]

खान हैं जोकि लगभग सारे संसार पर छाये हुए हैं । आज की हमारी राष्ट्रीय सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह इस प्रकार की पेंशनें देना बन्द कर दे । इतना ही नहीं-सरकार को यहां तक करना चाहिये कि इन देश-द्रोहियों को जितनी भी भूमि अनुदान के रूपमें दी गई थी, वह वापस लेनी चाहिये और जितनी भी धन राशि पेंशनों के रूपमें अभी तक दी गई है---वह वापस मांगी जानी चाहिये ।

देश के कोने कोने में ऐसे अंग्रेज़ पदाधिकारियों की मूर्तियां लगी हुई हैं जिन्होंने हमारे स्वातंत्र्य आन्दोलनों को कुचलने का पूरा प्रयत्न किया था । इसके अतिरिक्त इन जीवित देशद्रोहियों को आज अन्य व्यक्तियों की भी अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जा रही हैं । ये बातें वास्तव में हमारे लिये अत्यन्त लज्जास्पद और अपमानजनक हैं । इससे शेष जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिये यह अत्यावश्यक है कि ऐसे देशद्रोहियों को दण्ड दिया जाये और उनकी पेन्शन बन्द कर दी जाय ; और ऐसे व्याक्तयों के नाम प्रकाशित कर दिये जायें, ताकि भारत की जनता उन्हें पहचान सके ।

अंग्रेज़ों से पारतोषिक प्राप्त करने वाले ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो आज भी हमारी सरकार में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त हैं । ऐसे लोगों के विषय में जनता को जानकारी प्रदान करनी चाहिये ताकि वे समझ सकें कि कौन कौन से व्यक्ति उनके मित्र हैं, और कौन कौन से उनके शत्रु । आज भी बहुत से देशों की नजरें भारत पर लगी हुई हैं, वे यहां पर अधिकार जमाने के लिये अपने अभिकरणों के द्वारा प्रचार करना चाहते हैं । अतः हमें इन सभी बातों के प्रति सावधान होना चाहिये ।

अतः मैं, अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे देशद्रोहियों को पुरस्कार में दी गई सम्पत्ति को वापस नहीं लेना चाहते, तो कम-से-कम इन की राजनैतिक पेन्शनों को बन्द कर दीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर--उत्तर-पश्चिम) : मुझे तो मालूम नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले मालूम हुआ---डा० राम सुभग सिंह के भाषण से---कि मीर जाफर के ख़ानदान को भी हमारी राष्ट्रीय सरकार पेन्शन देती है, इसलिये कि उसने कभी इस देश के साथ गद्दारी की थी, इस देश की आजादी को धोखा दिया था, इस देश के भाग्य की पीठ में छुरा मारा था । इसी समय मेरा ध्यान एक और आदमी पर चला गया । पटना जिला कचहरी में एक दिन मैं गया था । एक आदमी, जिसे मैं पहचानता था, नाम पीछे बताऊंगा, दफ्तर दफ्तर घूमता फिरता था, मामूली क्लर्क उस को दुत्कारते थे । मुझसे उस की मुलाक़ात हुई, पहले तो वह झेंप गया, पीछे से उसने अपने को संभाला और अपनी दास्तान बताई कि उस की अब क्या हालत है । उसने कहा कि जब मैं कोई भी काम कराने के लिये कचहरी आता हूं तो मुझसे लोग पैसा मांगते हैं, मुझे ठोकरें देते हैं । मेरी आज यह हालत है कि मेरे बच्चे और मेरे घर के लोग भूखों मरते हैं । वह आदमी आज भी पटना में पाया जाता है, पटना सिटी में कोई भी आदमी सवेरे जा कर उस को देख सकता है । अब तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ दिन पहले तक वह सवेरे मोटर स्टैन्ड पर खड़ा हो कर मुसाफ़िरों से मोटर का किराया वसूल करता

था। मालूम है वह कौन है ? जिस आदमी ने एक दिन हिन्दुस्तान को ही नहीं, सारी दुनियां को हिला दिया था, इसी भवन के ऊपर बम डाल कर, सरदार भगत सिंह का साथी, बटुकेश्वर दत्त ।

फिर मुझे याद आया, इसी हाउस में, दो तीन साल पहले की बात है, एक प्रस्ताव आया था कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शहादतें झेली थीं, मुसीबत उठाई थीं, उन को यह सरकार मदद करे । और हमारी सरकार की तरफ से उस प्रस्ताव का विरोध हुआ था । कहा गया था कि यह राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ है कि आजादी को लड़ाई में लड़ने वाले सरकार से पेंशनें मांगें । आज उसी की पृष्ठभूमि में यह बात यहां आती है कि अभी भी हमारी सरकार उन लोगों को पेन्शनें देती है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी । मैं मानता हूं कि एक लाख या डेढ़ लाख रुपया कोई बड़ी भारी रकम नहीं है जिसको कि इस सम्बन्ध में बांटा जाता है । लेकिन इसके पीछे जो राष्ट्रीय अपमान है वह बहुत बड़ा है । और इस पृष्ठभूमि में देखना होगा कि अभी तो हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया । मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी की पत्नी के बारे में जानता हूं । वह मेरे साथ एक ट्रेन में गई थी जबकि उस को बिना टिकट के यात्रा करनी पड़ी थी, चूंकि उस के पास पैसा नहीं था और रेलवे वालों ने उसको पकड़ लिया था । उसे कुछ मेरे दोस्तों की मदद से छोड़ा गया । और वह स्त्री वह थी जिस का पति सन् १९३२ में फांसी पर लटका दिया गया था, कोई बम चलाने के कारण किसी देशभक्ति के अपराध पर । एक तरफ यह हालत है कि अभी भी इस देश में हजारों ऐसे लोग हैं । मैं पूछता हूं कि अगर किसीने देश की आजादी के लिये अपनी जान दे दी और उस की बेवा स्त्री दर दर भीख मांगती फिरे तो यह राष्ट्रीय अपमान है या कि उसकी मदद करना राष्ट्रीय अपमान है ? हमारी राष्ट्रीय सरकार ने उस दिन वह प्रस्ताव नहीं माना था. लेकिन आज मुझ को पता नहीं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे । लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं वह यही कहेंगे कि आखिर यह कितनी बड़ी रकम है, बहुत छोटी रकम है और हमने फैसला कर लिया है कि जो पाने वाले लोग हैं जब वे मर जायेंगे तो उसको बन्द कर दिया जायगा । लेकिन यह बात योंही नहीं होगी । थोड़े से लोगों के लिये यह फैसला हुआ है कि उनकी जिन्दगी भर उन को पेन्शन मिलेगी, उनके मर जाने के बाद वह बन्द हो जायेगी । लेकिन बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनको यह पेन्शन सब दिन मिलती रहेगी । जिन लोगों ने अपना राज्य अंग्रेज सरकार के हवाले कर दिया था, जो लोग उनके सीधे खानदान में हैं उन-की पेन्शनें नहीं बन्द की जायेंगी । जिन लोगों ने कहीं मन्दिर बनवा कर, या कहीं मस्जिद बनवा कर, जिनको चेरिटेबुल काम कहते हैं, बहाना खड़ा कर लिया है, धोखा खड़ा कर लिया है, उनकी पेन्शन भी नहीं बन्द होंगी । यह सिर्फ ८८ हजार या १ लाख रुपये की बात नहीं है । मैं तो समझता हूं कि इस मामले को पूरी जांच की जाये, और वह जांच यह हो कि देश भर में कितने आदमियों को ऐसी पेन्शनें दी जाती हैं । आज देश भर में हजारों अंग्रेजी राज्य के पुराने अफसरों के घरों को तरह तरह की पेन्शनें बांटी जाती हैं । मैं खुद जानता हूं ऐसे अफसरों को जो १९४२ की लड़ाई में मारे गये, इसलिये मारे गये कि उन्होंने देश की आज़ादी के खिलाफ़ तलवार उठाई थी और देश की आजादी के लिये उनकी गरदनें काट डाली थी । आज उनके बच्चों को जिन्दगी भर की पढ़ाई का खर्चा और

[श्री एम० पी० मिश्र]

उनके खानदानों को पेन्शनें, और ऐसी ही हज़ारों और पेन्शनें होंगी जो उनको बांटी जाती हैं ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : गांधी जी ने कहा था "अपने शत्रु से प्रेम करो ।"

श्री एम० पी० मिश्र : क्या उन्होंने कहा था, "अपने पापों से प्रेम करो ?" कहा जाता है कि अंग्रेज़ी राज्य के साथ हमने एक समझौता कर के आज़ादी ली । लेकिन यह बात गलत है । हमने समझौता कर के आज़ादी नहीं ली, हमारी आज़ादी के पीछे तीस वर्षों की लम्बी लड़ाई है, एक शानदार लड़ाई है जिसमें हजारों नहीं, लाखों आदमी बरबाद हुए, हज़ारों ने जानें दीं, और हज़ारों घर बरबाद हुए । एक आध नहीं, दरजनों मिसाल मैं पेश कर सकता हूं सदन के सामने कि उन लोगों के बाल बच्चे, बीबी और औरत जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जानें दीं, जिनके कारण आज देश में तिरंगा झंडा लहराता है, जिनके चलते यह सरकार है और हम और आप यहां पर हैं, आज मारे मारे फिरते हैं, उनको लोग दुत्कारते हैं और भगा देते हैं, और हम उन लोगों को पेन्शनें देते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी को कभी अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था । यह ठीक है कि हम लोगों ने अंग्रेजों से कुछ समझौता किया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि १९४७ में जाते समय अंग्रेजों ने हमसे यह शर्त भी स्वीकार करा ली थी कि तुम यह पेन्शन देते रहोगे । अगर यह बात सच है तो हमारे दातार साहब हमें बतायेंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेजों ने यह शर्त भी कराई थी तो बहुत सम्मान के साथ हम कहेंगे कि अंग्रेज़ एक शानदार जाति है और अंग्रेज़ जाति को समझना चाहिय कि दुनिया में और हिन्दुस्तान में दो सौ साल तक उसने बहुत जुल्म किया, वह उस के इतिहास का एक बहुत बड़ा पाप है और उस पाप को धोने के लिये उसको इस बात से सहमत होना चाहिये कि यह तमाम पेन्शनें बन्द कर दी जायें । तो मैं कहूंगा कि आज यह इस देश के ऐसे लोगों के लिये भी लज्जा की बात है जोकि इस तरह की पेन्शनें लेते हैं । इसके मुक़ाबले में तो भूख से मरना अच्छा होगा कि वह और उन के खानदान के लोग इस पाप के लिये पैसा लें, इसलिये पैसा लें कि उनके पूर्वजों ने, कि उन्होंने कभी देश की आजादी के साथ गद्दारी की थी ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़–पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम) : यह तो ठीक है ।

श्री एम० पी० मिश्र : एक और चीज है जोकि सन् १९४७ में अंग्रेजों के साथ एक समझौते के तौर पर हुई थी और वह है हमारे आई० सी० एस० अफसरों की बड़ी मोटी तनख्वाहें । हमारी सरकार, हमारा संविधान उन तनख्वाहों को छू नहीं सकता है । अंग्रेज़ों ने उस दिन यह चिन्ता नहीं की कि सारे के सारे अंग्रेज़ अफसर रातों रात भगा दिये गये । उस वक्त अंग्रेजों को यह चिन्ता नहीं थी कि अंग्रेज अफसर यहां रखे जायें । एक रात म ही जितने अंग्रेज़ थे और दूसरे अफसर थे, वह यहां से हटा दिये गये, सिर्फ वही अंग्रेज यहां रह गये जिनका रखना जरूरी समझा गया । लेकिन अंग्रेजों ने यह शर्त कराई कि वह हिन्दुस्तानी आई० सी० एस० अफसरों को, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां रहने में मदद की थी तनख्वाह न घटें । मैं समझता हूं कि ये मोटी तनख्वाह भी बहुत हद तक उन्हीं राजनैतिक पेन्शनों की कोटि में समझी जानी चाहिये जिन की बाबत यह प्रस्ताव आया है । अभी हाल

में मैंने एक समाचार पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बड़े अफ़सरों को एक व्यक्तिगत खत लिखा था कि आप अपनी रजामन्दी से अपनी यह तनख्वाहें घटा दीजिये। वैसा ही खत पहले उन्होंने नरेशों को लिखा था, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और इस दूसरे खत का भी कोई नतीजा नहीं निकला, पंडित जी की अपील का भी कोई नतीजा जो उन्होंने आई० सी० एस० अफसरों से की थी, नहीं निकला।

इस समय मुल्क में परिवर्तन हो रहा है। इसी पार्लियामेन्ट ने पास किया कि यह देश समाजवादी ढांचे पर निर्मित होगा। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि टक्सेशन एनक्वायरी कमीशन ने इस बात का सुझाव दिया है कि सरकारी तनख्वाहों में १ और ३० से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये। अगर कम से कम तनख्वाह एक चपरासी की ५० रुपया होनी चाहिये तो इस देश में बड़े से बड़े अफ़सर की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा १,५०० रुपया होनी चाहिये।

आई० सी० एस० अफसर ४-४ हज़ार रुपया तनख़्वाहें पाते हैं। उनसे अपनी तनख्वाह में कमी करने की अपील की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे अपील करते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज देश में महान् परिवर्तन हो रहे हैं, जमीनें बंट रही हैं और बड़े बड़े टैक्सेज़ लगाये जा रहे हैं और कुछ उद्योगों का नेशनलाइजेशन हो रहा है। धन का वैषम्य घटाया जा रहा है। मतलब यह कि चन्द खानगी लोगों के पास जो एकत्रित धन पड़ा है उसको उनसे लेकर राष्ट्र के उत्थान के कामों में लगाया जा रहा है। ऐसे युग में जब हमारा देश समाजवादी समाज की स्थापना के हेतु प्रयत्नशील है, तब इन आई० सी० एस० अफसरों द्वारा मोटी मोटी तनख़्वाहें लेते रहना कुछ मुनासिब नहीं जंचता। अंग्रेज़ जब यहां से जाने लगे थे तो उन्होंने अपने देश की ओर नहीं देखा कि स्वयं इंग्लैंड में सरकारी तनख्वाह का अन्तर १ और १२ का है। अगर कमसे-कम तनख्वाह १ रुपया है तो ज्यादा से ज्यादा १२ रुपया है। इसी तरह स्कैंडेनेवियन देशों में १ और ३ का अन्तर है जबकि हमारे देश में, जहां इसी लोकसभा ने समाजवादी समाज की स्थापना का प्रस्ताव पास किया था, सरकारी तनख्वाह म १ और २५० गुने का अन्तर है, मतलब यह कि कमसे-कम तनख्वाह अगर एक शख्स की यहां पर १ रुपया है तो ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह २५० रुपया है। २५० गुने का अन्तर है। राष्ट्रपति की तनख्वाह में और चपरासी की तनख्वाह में आप हिसाब लगा कर इसको देख लीजिये। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जबकि इस चोज को बदलना चाहिये। आई० सी० एस० अफसर इस हाउस की आवाज नहीं सुनते और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील भी उन्होंने अनसुनी कर दी है। इसलिये इस हाउस को कोई कार्यवाही करनी होगी जिसके जरिये उनकी तनख्वाह घटाई जाय जोकि न सिर्फ समाजवादी दृष्टिकोण से ज्यादती है बल्कि देश के आत्माभिमान पर एक ठेस है और देश की आजादी का तकाजा है कि उनकी तनख्वाहों को घटाया जाय। मैं तो समझता हूं कि इन अफसरों के आत्मसम्मान के लिये जरूरी है कि वे मोटी तनख्वाहें न लें। जो वे इसलिये पाते हैं कि एक ज़माने में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की मदद की थी और उस हुकूमत को हिन्दुस्तान में कायम करने में अपना कन्धा लगाया था। उन्हें स्वयं अपने आत्मसम्मान के खातिर अपनी तनख्वाह कम कर देनी चाहिये और उतनी तनख्वाह लेनी चाहिये जितनी बम्बई गवर्नमेंट ने तय की है। टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी ने कहा है कि इस देश में १५०० रुपये से

[श्री एम० पी० मिश्र]

ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये ठीक १५०० रुपये, ऐसा उसने नहीं कहा है लेकिन उसने कहा है कि ३० गुने से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये, उसके मानी यह हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसी की तनख्वाह १५०० से अधिक नहीं होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार इन पहलुओं पर विचार करेगी और देश के लोग भी विचार करेंगे और इसके अनुकूल जल्द से जल्द कार्यवाही की जायगी ।

श्री **पुन्नूस** (आल्लप्पि) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं ? यदि वह इसे स्वीकार करते हैं तो इसमें चर्चा की कोई बात पैदा नहीं होती । अब चूंकि सभी सदस्य इस पर एकमत हैं, अतः हम अगला संकल्प ले सकते हैं । (अन्तर्बाधायें)

श्री अलगूराय शास्त्री : यह मामला ऐसा नहीं है कि जिस को मिनिस्टर महोदय स्वीकार कर लें तो इस पर बात खत्म कर दी जाय । थोड़ा प्रकाश इस पर पड़ना चाहिये, ताकि यह मालूम हो कि भारत की जनता किस तरीके से इसके बारे में सोचती है ....

श्री **बोगावत** (अहमदनगर दक्षिण) : हमें सभा को यह बताना चाहिये कि क्यों इस प्रकार की आवश्यकता है । तो इस बात की आवश्यकता है कि इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिये ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रगट करना चाहते हैं ।

श्री **एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं । यह वास्तव में, कितनी लज्जा की बात है कि आज स्वतंत्रता के उपरान्त भी ऐसे व्यक्तियों को पेन्शनें दी जा रही हैं, जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया था ।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज़ों से यह शासन प्राप्त किया गया था तो क्या उस समय ऐसा करार किया गया था कि ऐसे देश-द्रोहियों को भारत सरकार पेन्शनें देती रहेगी ?

इन देश-द्रोहियों ने देश में होने वाले स्वातंत्र्य-आन्दोलनों को कुचलने में अंग्रेज़ों की पूरी सहायता की थी । ये लोग सत्याग्रहियों को पकड़वाने में पुलिस की पूरी सहायता करते रहे हैं । ये लोग गुप्त विभाग को जानकारी दे कर पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं, और आज भी वे सरकार से पेन्शनें प्राप्त कर रहे हैं । देश के लिये अपना सर्वस्व न्योच्छावर करने वाले राजनीतिक पीड़ितों के लिये तो थोड़ी सी राशि मंजूर की गई है, परन्तु इन देश-द्रोहियों के लिय इतनी भारी राशि मंजूर की गई है । क्या यह अन्याय नहीं है ?

माननीय मंत्री ने ऐसा बताया है कि ५,६०१ व्यक्तियों को राजनैतिक पेन्शनें दी जा रही हैं । ऐसे लोगों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्पष्टतः कहता है कि इनकी पेन्शनें बन्द कर दी जायें । होना तो यह चाहिये था कि स्वतंत्रता के उपरान्त—१५ अगस्त, १९४७ के बाद—एक दम ही ये पेन्शनें बन्द कर दी जातीं ।

पेन्शनें बन्द न करने का एक कारण मुझे यह दीखता है कि सरकार स्वयं अभी तक राजप्रमुखों और भूतपूर्व राजाओं को अनुदान दे रही है । श्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं ऐसा कहा करते थे कि ये राजा लोग ही वास्तव में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने वाले हैं । परन्तु आज उन्हीं राजप्रमुखों और

भूतपूर्व शासकों को पेन्शनें और भत्ते दिये जा रहे हैं ।

अतः इन देश-द्रोहियों की न केवल पेन्शनें बन्द कर दी जायें, अपितु वह धन भी वापस मांगा जाय जो उन्होंने १५ अगस्त, १९४७ के उपरान्त सरकार से प्राप्त किया है ।

हम यह चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में स्पष्टतः घोषणा करे कि इस सम्बन्ध में वह उचित कार्यवाही करेगी । सारा देश आज इस प्रस्ताव का समर्थन करता है ।

अतः मैं, अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ऐसे लोगों को, जिन्होंने राष्ट्र को धोखा दिया था, पेन्शनें देती रहेगी तो जनता इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगी । अतः मैं इस प्रस्ताव का पूर्ण-रूपेण समर्थन करता हूं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : इस प्रस्ताव से हमें अपने देश भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर मिलता है । अभी हमारे मित्र श्री एम० पी० मिश्र जी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि क्यों हमारी सरकार एक दूसरी सरकार ने जो वायदे और प्रतिज्ञायें की थीं उनको पूरा कर रही है । मुझे इसमें उतना आश्चर्य नहीं होता । मुझे तो इस में आश्चर्य होता है कि जो लोग ऐसी पेन्शनों से लाभ उठा रहे हैं वे कैसी मरी हुई आत्मायें हैं । मुझे अपने आजमगढ़ इलाके में दुबरी क्षेत्र की घटना मालूम है कि कैसे जो राजपूत सात पट्टियों में बैठे हुए थे उन में से छः पट्टियों की सारी सम्पति जब्त कर ली गई और वह सारी जायदाद एक लखनऊ के अंग्रेज़ को दे दी गई और फिर वह जायदाद उस अंग्रेज़ ने किसी दूसरे के पास तीन लाख रुपये में बेच दी । मैं उसका नाम लेना अनावश्यक समझता हूं । मुझे उसका नाम मालूम है लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह नाम मैं रिकार्ड पर लाऊं । इस तरीके देश से भक्तों के साथ किये गये दुर्व्यवहार और उनसे छीनी गई सम्पति का जो आज देश में उपभोग किया जा रहा है और हमारी सरकार भी करा रही है, मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन पर एक कलंक है और एक बहुत बुरा उदाहरण है । इस कलंक की मर्यादा को हम जितनी जल्दी समाप्त कर दें उतना ही यह अच्छा होगा । हमें यह मर्यादा स्थापित करनी चाहिये कि देश के हित में जो लोग लड़ते हैं और जो लोग उन पर जुल्म करते हैं उनका अहित करने की चेष्टा हमें करनी चाहिये । अगर हम ऐसा नहीं करते तो लोगों में देश-द्रोह की भावना पैदा होती है जिसको बढ़ने से हमें रोकना चाहिये । मैं यह उचित समझता हूं कि सरकार इन पेन्शनों को बन्द कर दे और ऐसा करने में उसके रास्ते में कोई बाधा उपस्थित नहीं करेगा । जो सरकार प्रतिज्ञायें करती है उनको पूरा करना उसका कर्तव्य है । मगर जो सरकार उस सरकार के स्थान पर आये जिस सरकार ने देश-द्रोह को प्रोत्साहन दिया था उसका यह कर्तव्य नहीं कि वह पिछली सरकार की प्रतिज्ञाओं का पालन करे । मुझे याद है कि लाला लाजपत राय को जहां रखा गया वहां से जो मुसलमान सिपाही थे उनको भी हटा लिया गया था और उनकी जगह पर दूसरे गोरे सिपाहियों को उनकी देखभाल करने के लिये रखा गया था । उस समय की सरकार विश्वास नहीं करती थी और उसकी एंग्लो-इंडियन मनोवृत्ति थी और वह सब को शंका की दृष्टि से देखती थी । जो लोग देश को मुक्त कराने का आन्दोलन कर रहे थे उस आन्दोलन को कुचलने के लिये वह हमारे ही देश में से ऐसे लोग निकालती थी जो धन के लोभ से, जायदाद के लोभ से, सम्पति के लोभ से उस स्वतंत्रता के आन्दोलन का गला घोंटने

[श्री अलगू राय शास्त्री]

को तैयार थे । हमारे देश भक्तों को जोकि अभी भी जेलों में थे उनको इस सरकार ने आकर मुक्त किया । अब इस सरकार को अपनी पहली सरकार के काले कारनामों को धोना है । आजमगढ़ में ही लोहरा गांव में जो कुछ हुआ उस का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है । वहां पर जिस वृक्ष के ऊँचे टीले पर लटका कर लोगों को फांसी दी गई थी वह वृक्ष आज भी वहां मौजूद है । वहां पर बड़े बड़े सुन्दर युवकों को एक एक कर के फांसी पर लटका दिया गया था । उन की जायदादें छीन ली गई थीं । मदुराय का बाग जहां कुवर सिंह की फौजों में और अंग्रेजों के सिपाहियों और सैनिकों में जो युद्ध हुआ था उसका दृश्य भी आज मेरी आंखों के सामने है । इन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने देख कर आज भी मैं रोमांचित हो उठता हूं कि किस तरह से एक ओर देश की आज़ादी की खातिर लोग लड़ रहे थे और किस तरह उनको कुचला जा रहा था ।

जबसे अंग्रेज साम्राज्यशाही इस देश में आई तबसे ही उसने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया । मीर जाफर के खिलाफ मीर कासिम को रखा और इसी तरह से एक के खिलाफ दूसरे को रखा । देश की राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिये, देश में अपना आतंक जमाने के लिये, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिये उसने नागरिकों को प्रलोभन दिये और इस तरह से उसने अपने काम निकाले ।

तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस बहस के फलस्वरूप हमारे शब्द जिनके कानों में पहुंचगे वे स्वयं ही वह सम्पत्ति जोकि उनको स्वतंत्रता के आन्दोलन को कुचलने के लिये मिली है, जो जायदाद उनको दी गई है या जो पेन्शन वे पा रहे हैं वे अपने आप उसका त्याग करेंगे । मैं नहीं चाहता कि सरकार कानून बना कर उनको इन चीजों से वंचित करे क्योंकि आज ही मैं विनोबा भावे जी के उस भाषण को पढ़ रहा था जोकि उन्होंने भूदान के सम्बन्ध में दिया है । उन्होंने कहा है कि सरकार कानून द्वारा ज़मीन का मसला हल कर सकती है लेकिन यदि हृदय परिवर्तन के साथ यह भूमि दान देने का काम चलता है तो उससे मानवता उज्ज्वल होती है और ऊंची होती है । मैं समझता हूं कि आज हमारे इस विवाद का परिणाम यह होगा कि वे लोग जो पेंशन इत्यादि पा रहे हैं वे स्वेच्छा से ही उनका त्याग कर देंगे । यदि वे ऐसा नहीं करते तो समाज को दूषित होने से बचाने के लिय सरकार को अविलम्ब यह काम करना चाहिये और इसे कानूनन बन्द कर देना चाहिये ।

डा० सुरश चन्द्र (औरंगाबाद) : डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं कि देश-द्रोहियों को पेंशनें नहीं दी जानी चाहिये । मैं व्यक्तिगत उदाहरण दे कर आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं जर्मनी में आजाद हिन्द फौज में था, तो वहां पर जिन जिन व्यक्तियों ने हमें गिरफ्तार किया था, जो हम पर गोली चलाने के लिय तैयार थे आज वे ही व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं ।

मैं कई बार इस सभा में यह निवेदन कर चुका हूं कि आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को, उन की सेवाओं के कारण, पेन्शनें दी जायें, परन्तु इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । देश की स्वतंत्रता के लिये मातृभूमि की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्योच्छावर करने वाले इन देश-

भक्तों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार, वास्तव में, लज्जास्पद और अपमानजनक है । और दूसरी ओर देश-द्रोहियों को हर प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं–उन्हें पेन्शनें दी जा रही हैं । देशभक्तों पर अत्याचार करने वाले देश-द्रोही आज ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ हैं । मैं यह समझता हूं कि यह घोर अन्याय है ।

भारतीय सेना का इतिहास लिखने के लिये तो एक भारी धन-राशि मंजूर कर दी गई है, परन्तु स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये कोई धन-राशि मंजूर नहीं की गई है । बिना धन की सहायता के इस इतिहास के सम्बन्ध में खोज कसे की जा सकती है ?

हम हैदराबाद के उन अनेक देश-द्रोहियों को आज भी पेन्शनें दे रहे हैं जिन्होंने स्वातंत्र्य आन्दोलन के समय देश को धोखा दिया था ।

अतः मैं इस प्रस्ताव का बलपूर्वक समर्थन करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं कि इन व्यक्तियों की पेन्शनें बन्द कर दी जायें ।

श्री बोगावत : डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत हुआ यह प्रस्ताव एक सीधा सा प्रस्ताव है । हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम गृह मंत्री, लोह-पुरुष सरदार पटेल ने भारत से सामन्तशाही को सर्वथा उन्मूलित करने का प्रयत्न किया था । उसके उपरान्त उन्हें ऐसे व्यक्तियों की पेन्शनें बन्द करने का कार्य करना था जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया था । यह कितनी लज्जास्पद बात है कि उन देश-द्रोहियों को आज भी पेन्शनें अदा की जा रही हैं जिन्होंने मातृभूमि के साथ द्रोह किया था और देशभक्तों को धोखा दिया था । उदाहरणार्थ पूना में आज भी एक ऐसा व्यक्ति एक ऊंचे स्थान पर आरूढ़ है जिसके पूर्वजों ने सर्वप्रथम पूना के किले पर आ कर ब्रिटिश-झण्डा लहराया था और अंग्रेजी राज्य स्थापित किया था । इसी प्रकार से और भी न जाने कितने द्रोही हैं जो आज मजे लूट रहे हैं । मंत्रालय का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों की खोज करे ।

यह कितने दुःख की बात है कि आज भी ५,६०० ऐसे व्यक्तियों को पेन्शनें मिल रही हैं जिन्होंने अपनी ही मातृभूमि के साथ द्रोह किया था ।

अतः मैं बलपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि ऐसे देश-द्रोहियों की पेन्शनें शीघ्रातिशीघ्र बन्द कर दी जानी चाहिये और उन लोगों के वंशजों को जिन्होंने इस देश की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, कुछ-न-कुछ पेन्शन अवश्य दी जानी चाहिये ।

श्री आर० आर० शास्त्री (ज़िला कानपुर –मध्य) : जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं डाक्टर साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित किया है । अभी तक जितने भी भाषण हुए, वे सभी इस प्रस्ताव के समर्थन में हुए और अधिकांश भाषण कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए । मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि जो कुछ इस सभा के अन्दर कहा गया है, उसका माननीय मंत्री पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो कुछ मैं अपने देश का वातावरण देखता हूं उस से मेरा दिल यह कहता है कि यह प्रस्ताव शायद इस सभा में पास नहीं हो सकेगा और यह मैं इसलिये कहता हूं कि जो मुझे आज सबसे बड़ी शिकायत है वह यह है कि हम लोग जनता की हमदर्दी की बात तो बहुत करते हैं लेकिन जब उसके लिये

[श्री आर० आर० शास्त्री]

कुछ काम करने का वक्त आता है तो हम नहीं कर पाते । आज हमारे देश की खूबी यही है कि कोई सज्जन खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल बहुत दर्द कर रहा है और किसी का प्रस्ताव के बारे में खून तक खौलने लगा है, लेकिन मुझे शक होता है कि जब वोटिंग का वक्त आयेगा तो कहीं ऐसा न हो कि जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में भाषण किये हैं, उनके हाथ कांपने लग जाय और वह इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट तक न दें । मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले सज्जनों से और खास तौर पर इस प्रस्ताव को पेश करने वाले डा० राम सुभग सिंह से भी अपील करूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है, सारी सभा आपके साथ है,केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विरोधी पक्ष के सभी लोग आप के प्रस्ताव के साथ हैं और हमारी केवल एक ही आप से प्रार्थना है कि जरा हिम्मत से काम लीजिये और आप इस मौके पर जो शहीदों के सम्बन्ध में बहस कर रहे हैं, तो उस प्रस्ताव को किसी भी हालत में वापिस न करें और सारी सभा सरकार को इस बात के लिये मजबूर करे कि वह इस प्रस्ताव को पास करे । कितने ताज्जुब की बात है और सचमुच हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में देश-द्रोहियों को पेन्शनें दी जायें और देश-भक्तों के परिवारों को दो-दो कौड़ी के लिये मारे-मारे फिरना पड़े । मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ और दुःख हुआ जिस वक्त डाक्टर साहब ने श्री बटकेश्वर दत्त के सम्बन्ध में बतलाया कि उनकी क्या दशा है, मैं भी उन दिनों लाहौर में था और मुझे भी सरदार भगत सिंह और इनके साथ काम करने का मौक़ा मिला और सचमुच मैं नहीं जानता था कि आज बटकेश्वर दत्त की ऐसी हालत होगी, सरकार के लिये यह शर्म का विषय है और हमारे देश के लिये भी बड़ी शर्म की बात है कि जो लोग अपनी जान को हथेली पर ले कर मुल्क की आजादी के लिये लड़े, आज वह इस तरीके से बाजार में खड़े हो कर मामूली से मामूली काम करते फिरें, लेकिन जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं अभी तक यह चाहता था कि या तो कोई माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलते या शुरू शुरू में माननीय मंत्री ने ही अपने विचार प्रकट कर दिये होते तो शायद हम लोगों को कुछ अपनी बात कहने में आसानी होती । मैं बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर माननीय मंत्री इस प्रस्ताव के खिलाफ क्या बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा अन्दाज़ है और जैसा कि और मौकों पर हुआ करता है कि हमारी सरकार को सदैव इस बात की चिन्ता रहती है कि हम कोई काम ऐसा न करें जिसके वास्ते दुनिया हमको बुरा कहे । अगर हम कहते हैं कि राजा, महाराजाओं की पेन्शनें बन्द कीजिये तो सवाल होता है कि यह नीति अच्छी मालूम नहीं होती है, दुनिया कहेगी कि जो वायदा किया है, उसको नहीं निभाते, और वायदे के खिलाफ बात की है । इसी तरह जब हम प्रस्ताव रखते हैं कि विदेशी लोग हमारे देश में इतनी पूंजी लगाये हुए हैं, उससे देश को बचाना चाहिये और आपका हाथ उसकी तरफ़ उठना चाहिये तो सवाल पैदा होता है कि नहीं यह चीज़ उचित नहीं मालूम होती है, दुनिया क्या कहेगी कि इन्होंने विदेशियों की पूंजी पर हाथ लगाया है । जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाया, और जिन आई० सी० एस० वालों ने हिन्दुस्तान के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया उनके लिये कोई बात कही जाती है तब यह कहा जायगा कि संविधान हमारे मुल्क में

रोड़े अटका रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आज इस सभा के अन्दर भी कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, सारे देश में बहुत सी जगह उन का बहुमत है, किसने उन के हाथ को रोका है, वह संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, आज भी संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिये अगर आप का दिल साफ है तो आप देशभक्तों को पेन्शन दें और देश-द्रोहियों की पेन्शनें बन्द कर दीजिये, कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जो आपके हाथ को आज रोक सके, केवल आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ हृदय में आप महसूस करते हैं, उसको करने की क्षमता होनी चाहिये । लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि हमारे देश के अन्दर क्यों ऐसी बातें होती हैं, उनमें हमारा कुछ खयाल नहीं होता है । मैं तो अभी अभी नई दिल्ली में आया हूं लेकिन सभापति जी मैं आपसे सच बतलाऊं कि मेरा तो दिल रोता है जब मैं इस संसद् भवन के आसपास उन साम्राज्यवादियों की मूर्तियां स्थापित देखता हूं । नई दिल्ली में जहां कहीं आप चले जाइये, आपको देशभक्तों की मूर्तियां नजर नहीं आयेंगी, सड़कों के नाम भी उन साम्राज्यवादियों के नाम पर लिखे मिलेंगे जिन्होंने कि हमारे देश को गुलाम बनाया, क्या सभा ने कभी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और क्या इससे हम देशवासियों की भावना को चोट नहीं पहुंचती है ? मेरे दिल को तो यह सब देख कर बहुत तकलीफ पहुंचती है और सभा का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

जब मुझे रूस और चीन जाने का मौका मिला तो सब से अधिक मुझे अपने देश की याद तब आती थी जब मैं चीन में घूमता था और देखता था कि वहां की सभी सड़कों के नाम वहां के देशभक्तों के नाम पर थे और जगह जगह देशभक्तों की फोटो लगी हुई देखीं और देशभक्तों की मूर्तियां बनी हुई देखीं, और तब मेरे दिल में प्रश्न उठता था कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है कि कहीं पर सरदार पटेल की फोटो लगी हो तो कहीं पर चन्द्रशेखर आज़ाद, और शहीदे-आज़म सरदार भगत सिंह की तसवीरें लगी हों और कहीं पर सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति स्थापित हो, क्यों न इन साम्राज्यवादियों की मूर्तियों को हटा कर अपने देशभक्तों की मूर्तियों को स्थापित किया जाय । आज केवल उन देशभक्तों की याद में आंसू बहा लेने और उनके सम्बन्ध में बातें करने मात्र से काम नहीं चलेगा, आज हमारे देशभक्तों को हमारे आंसुओं और लम्बे लम्बे भाषणों की जरूरत नहीं है, आज तो उन के लिये अमली कदम उठाने की जरूरत है । मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिये, इससे सभा का सम्मान बढ़ेगा और आखिर में फिर मैं सभा से अपील करता हूं कि किन्हीं वजूहात से या दलीलें पेश कर के अगर मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें तो आखिर में मैं डा० राम सुभग सिंह से कहूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को प्रेस करें और उसको वापस न लें और उन माननीय सदस्यों से भी अपील करूंगा जिन्होंने कि इस प्रस्ताव के समर्थन में भाषण किये हैं कि वह इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दें और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहां सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक जो उनके दिल में है उस को दबाना नहीं चाहिये । जहां देशभक्तों और शहीदों का सवाल है, वहां मैं आशा करता हूं कि कोई भी इस तरह का पार्टी की आज्ञा मानने का सवाल नहीं आयेगा, इस तरह की बाधा नहीं आयेगी, न उनके सामने पार्टी के अनुशासन का सवाल आयेगा

[श्री आर० आर० शास्त्री]

और मुझे आशा है कि जो वास्तव में, आप के दिल में है उसको आप अपने मत से व्यक्त करेंगे और उम्मीद है कि यह सभा इस प्रस्ताव को पास करके अपने गौरव को बढ़ायेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव वास्तव में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ।

राजनैतिक पेन्शनों का प्रश्न उठाया गया है । मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने स्वातंत्र्य आन्दोलन के समय देश के साथ द्रोह किया था पेन्शनें देना नीति से गिरी हुई बात होगी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्बन्ध में कोई काम न करना अन्याय होगा ।

मेरे चुनाव क्षेत्र में भी एक ऐसी राजनैतिक पीड़ित की मां है जिसका बेटा भी स्वतंत्रता का सेनानी था । वह औरत खेतों से दाने चुन कर अपनी जीविका चला रही है । अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन लोगों से धन ले कर उन लोगों को देना चाहिये जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है । मैं उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं समझता ।

वेतनों में कमी कर देने के बारे में भी कुछ कहा गया है । सभा के सभी सदस्य इस बात का समथन करेंगे कि यदि हमें समाज को समाजवादी ढांचे के आधार पर बनाना है तो हमें सबसे छोटे और सबसे बड़े लोगों के वेतनों की असमानता को दूर करना पड़ेगा ।

राजप्रमुखों के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई हैं । यह राजप्रमुख राष्ट्रीय निर्माण में सहायता नहीं कर रहे हैं । उन की पत्नियां राष्ट्रीय आन्दोलनों को उखाड़ने का प्रयत्न करती फिरती हैं । हमारी नैतिक प्रतिज्ञा चाहे कुछ भी रही हो पर जहां पर देशभक्ति और देश-द्रोह का प्रश्न पैदा होता है हमें सभी प्रकार के वचनों और प्रतिज्ञाओं को ठुकरा देना चाहिये । अतः शीघ्र-से-शीघ्र हमें इस प्रश्न को तय करना चाहिये । राजनैतिक और प्रादेशिक पेंशनें प्राप्त करने वालों की संख्या पिछले ८ या ९ महीनों में लगभग तीन हजार कम हो गई है, क्योंकि वह शीघ्रता से नष्ट हो रहे हैं । पर अन्य लोगों को भी बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और उन्हें बहुत दिन जीवित रहना है, अतः उनके लिये भी कुछ किया जाना चाहिये ।

फिर, यह भी कहा गया कि इंग्लैंड स्थित कुछ लोगों को पेन्शन दिये जाते हैं । पर यह राजनैतिक पेन्शन उसी श्रेणी के नहीं हैं । राजकुमारी बम्बा सदरलैण्ड, राजकुमारी विक्टर दिलीपसिंह, मुरशदाबाद के दिवंगत नवाब के पुत्र की विधवा और टीपू सुल्तान के पौत्रों को मिलने वाली पेन्शनें तो राजनतिक पेन्शनें अवश्य हैं पर उनकी श्रेणी वह नहीं है जिसके सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं । अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इन मामलों में अवश्य कुछ करे ।

बड़े दुःख की बात है कि हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों को दण्ड देने वाले, उन्हें कारावास और मृत्यु दण्ड देने वाले अब भी इधर-उधर घूम कर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्र-हितैषी कार्य नहीं ।

अतएव, मैं गृहमंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन मामलों की छानबीन करने के लिये एक समिति नियुक्त करें और ऐसे देश-द्रोहियों को दी जाने वाली पेन्शन को बन्द करे ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : यह बड़े गर्व की बात है कि सभा के सभी

लोगों ने राजनैतिक पेन्शनों का विरोध किया है। मैं भी इसका विरोध करता हूं। राजनैतिक पेन्शनें एक पूर्वनिश्चित योजना और नीति के अनुसार दी जाती हैं। मेरे राज्य में एक पुलिस पदाधिकारी को जिसने १९४२ में मिदनापुर में जनता पर बहुत अत्याचार किया था अब एक और ऊंचा पद दिया गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को जिन्होंने ब्रिटिश शासन में जनता पर अत्याचार किया था, सेवा में रखा जाता है और उनकी पदोन्नति होती है क्या राजनैतिक पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की यही कसौटी है। मैं डा० राम सुभग सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह संकल्प पेश किया। कि इस प्रकार राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन देना सामन्तशाही का प्रतीक है अतः हम चाहते हैं कि उसे बन्द कर दिया जाय। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह स्पष्ट रूपसे हमें आश्वासन दे अथवा इस संकल्प को सभा द्वारा पारित हो जाने दे।

श्री रघुबीर सहाय (जिला एटा–उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व) : मैंने डा० राम सुभग सिंह साहब का प्रस्ताव कई मर्तबा पढ़ा और मैं ने इस बात की कोशिश की कि मैं इस का समर्थन करूं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस का समर्थन नहीं कर सकता।

जितने भाषण मैंने यहां पर सुने, अपनी बेंचों की तरफ़ से और अपोजीशन की तरफ से, वे काफी भावुक भाषण थे, काफी जोरदार व्याख्यान लोगों ने दिये, यहां तक कि हमारे बाज बाज दोस्तों का तो खून उबलना शुरू हो गया। मैं ने भी इस बात की कोशिश की कि मेरे खून में भी कुछ गर्मी आये, लेकिन चेयरमैन साहब, अभी तक कोई गर्मी आती हुई मुझे नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि मेरे सामने महात्मा गांधी का जो ३५ साल का सबक है उस का सारा इतिहास आ गया है। मैं इन तमाम तकरीरों को सुन कर यह सोच रहा था कि क्या गांधी जी का जमाना सब भूल गये। क्या सफेद टोपी पहनने वाले और उन की तारीफ़ करने वाले सारा इतिहास भूल गये, क्या आज सारा इतिहास बदल गया ? आज बिल्कुल दूसरे लहजे में तकरीरें हो रही हैं। यह चीजें मेरे सामने आने की वजह से मेरे खून में गर्मी नहीं आ रही है।

सन् २० और १९ में जब महात्मा गांधी ने नान कोआपरेशन शुरू किया, उस वक्त से सन् ४४ तक, जब तक कि हम लोग जेलों में गये, उस वक्त तक हम से यही कहा कि, "भाई ब्रिटिश रूल की मुखालिफ़त करो, उन के सिस्टम की मुखालिफ़त करो, लेकिन अंग्रेज़ों की मुखालिफ़त मत करो"। बराबर उन्होंने रात दिन हम को यही सबक़ सिखाया और इसी सबक़ को सीख कर हम लोग आगे बढ़ते गये। हर लड़ाई में हम गांधी जी के साथ रहे। हर लड़ाई में हम ने कुर्बानियां कीं, लाखों आदमियों ने, लाखों स्त्रियों ने, बहिनों ने और भाइयों ने, न मालूम क्या क्या मुसीबतें उठाईं। लेकिन उन की भावना यही रही कि हमारा देश आज़ाद हो और अंग्रेज़ यहां से जायें, और खुशी की बात है कि सात साल पहले जबकि अंग्रेज़ों ने हम को पावर दी तो इस खूबी और खूबसूरती के साथ दी कि यह न सिर्फ़ हिन्दुस्तान के लिये बल्कि सारी दुनिया के लिये एक मिसाल है। उस वक्त यहां पर खून का एक क़तरा तक नहीं गिरा, और उसी का नतीजा है कि आज हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के दरम्यान इस तरह की दोस्ती है। वह लोग यहां आते हैं, तो उन की खातिर तवाज़े होती है। यहां के लोग इंग्लैंड जाते हैं तो उन की वहां खातिर तवाज़े होती है। दोनों मुल्कों

[श्री रघुबीर सहाय]

में दोस्ताना ताल्लुक़ात बने हुए हैं । तो ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि क्या आज हमारे लिये गड़े मुर्दे उखाड़ना मुनासिब है ? (अन्तर्बाधा) मैं आप से कहता हूं कि अगर यह ग़ुस्सा दिखाना है, तो सब से ज्यादा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ़ दिखाना चाहिये था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही लोगों को ऐसा करने पर मजबूर किया । जब से अंग्रेज़ यहां पर आये तो उन्होंने किस किस तरीक़े से अपनी ताक़त बढ़ाने की कोशिश की ? किस तरीक़े से अपनी हुकूमत को बढ़ाया ? कछ लोग लालच में उन के साथ हो गये, कुछ मोह में उन के साथ हो गये, कुछ अपनी तरक्क़ी के लिये उन के साथ हो गये, और कुछ न जाने किन किन भावनाओं से उन के साथ हो गये, और इस तरह से अंग्रेज़ों की ताक़त बढ़ती गई । क्या हम जितने कांग्रेस वाले हैं, हम लोगों ने जिन्होंने ३५ साल तक मूवमेंट में हिस्सा लिया, हम को क्या हमारे लीडर्स ने अंग्रेज़ों से नफ़रत करना सिखाया ? बल्कि महात्मा गांधी तो पहली बड़ी लड़ाई में साउथ अफ्रीका से एम्बुलेंस की टोली ले कर इंग्लैंड गये थे और उन्होंने दुनिया के सामने कहा था कि हम को इंग्लैंड की मदद करनी है । उस समय तिलक महाराज ने हम से कहा था कि गवर्नमेंट की मदद करो । महात्मा गांधी ने जब अपना नान कोआपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने स्वराज्य की मांग को गवर्नमेंट के सामने नहीं रखा था । उस वक्त उन्होंने कहा था "रेक्टीफ़िकेशन आफ़ पंजाब रांग, एंड रेक्टीफ़िकेशन आफ़ खिलाफ़त" । उस वक्त उन से कहा गया कि आप स्वराज्य की मांग अंग्रेज़ों के सामने रखिये । लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने इन चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने नहीं रखा । तो यह जितने हमारे पुराने नेता थे यह अंग्रेज़ों की मदद करते रहे हैं । आज जिन लोगों को एक आना, और दो आना और ६ आना पेन्शन मिल रही है उन्होंने न जाने किन हालात में, किस लालच में अंग्रेज़ों का साथ दिया होगा । और फिर मैं आप से कहूं कि मुहरें तो लुटें और कौड़ियों पर लड़ाई । पिछला बजट जो हमारे सामने पेश किया गया, मैंने उस के फ़िगर्स देखे हैं । उन से मालूम पड़ता है कि पोलीटिकल पेन्शन्स एक लाख कुछ हज़ार के बराबर दी जा रही हैं । लेकिन, जनाब, राजा महाराजाओं को पांच करोड़ से ज्यादा प्रिवी पर्स के रूप में दिया जा रहा है । क्या इन लोगों ने बिटिश गवर्नमेंट की मुखालिफ़त की थी ? क्या इन्होंने हमारे मूवमेंट में हमारी मदद की थी । लेकिन उन को हम ख़ुशी से दे रहे हैं । आप के रिज़ोल्यूशन में कहीं पर भी यह बात नहीं आई है कि उन की पेन्शनें बन्द की जायें, या जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े उन को मदद दी जाय । अगर आप यह कहते तो एक चीज़ होती । लेकिन जितना आप का रिज़ोल्यूशन है उसी के अन्दर अपने को कनफ़ाइन कर के मैं यह चीज़ें कह रहा हूं । (अन्तर्बाधा)) क्या राजा महाराजाओं ने कांग्रेस मूवमेंट की मदद की थी कि आप उन को पेन्शनें दे रहे हैं ।

जिस वक्त मुल्क को आज़ादी मिली और मुल्क का पार्टीशन हुआ उस वक्त ५५ करोड़ रुपया निकाला गया था कि यह पाकिस्तान के लिये है । लेकिन जो उस वक्त के वाक़यात हुए, जो उस वक्त के हादसे हुए, हमारे पोलिटिकल लीडर्स ने मुनासिब समझा कि पाकिस्तान को जो यह ५५ करोड़ रुपया देना है, उस को रोक लिया जाय क्योंकि उन का बर्ताव हमारे साथ दोस्ताना नहीं है और वह रुपया काश्मीर में हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल किया जायगा, लेकिन महात्मा गांधी हमारे इस ऐक्शन

से सहमत नहीं हुए और उन्हों ने उस के लिये फ़ास्ट किया और आखिर में हम को पचपन करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना पड़ा, इसी तरह ५ करोड़ रुपया सालाना प्रिवी पर्स में चला जाता है, ज़मींदारों और ताल्लुक़ेदारों को जिन की ज़मींदारियां ले ली गई हैं, उन को सरकार द्वारा मुआविज़ा दिया जा रहा है, आप के रेज़ूलेशन में कहीं यह बात नहीं है कि इन को मुआविज़ा न दिया जाय, आप के प्रस्ताव में कहीं यह बात नहीं है कि इन को प्रिवी पर्स न दी जाय, कहीं यह बात नहीं है कि ५५ करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को दिया गया वह वापिस लिया जाय लेकिन यह जो पोलिटिकल पेन्शन की तौर पर १ लाख, २९ हज़ार और ९ सौ रुपया रक्खा गया है तो हमारे मित्र इस क़द्र भड़क रहे हैं और उन का खून उबल रहा है, मैं उन से विनती करूंगा कि ऐसी छोटी बातों में मत पड़िये, अपने शानदार इतिहास को सामने रखिये और अपना बड़प्पन मत छोड़िये और कोई छोटी बात मत कीजिये क्योंकि यह बिलकुल ग़लत बात होगी और अगर कहीं हम इस तरह की छोटी छोटी बातों में जैसे कि यह पेंशन का मामला है, दख़ल दें तो आज तो हम हुकूमत पर हैं, कल को अगर कोई दूसरी हुकूमत हमारी जगह पर बरसरे इक्तदार आती है, अगर कहीं हमारे ये कम्युनिस्ट भाई हुकूमत में आ गये तो यह कहेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो वायदे किये थे वह सब खत्म किये जाते हैं और जिन लोगों ने कांग्रेस की मदद की है उन सब को निकाल कर बाहर कर दें, तो मेरे कहने का मंशा यह है कि हम उन की पेन्शनों को रोक कर एक तरीक़ा दिखा देंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने जो बातें की हैं वह सब ख़त्म हो जाती हैं, उस के सारे वायदे भी ख़त्म हो जाते हैं, तो यह चीज़ उचित नहीं होगी और यह अच्छा असर नहीं डालेगी और इस तरीक़े से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता कि पिछली बातों को भुला दिया जाना चाहिये और अपने दोस्त डा० राम सुभग सिंह को मेरा मशविरा यह है कि इस प्रस्ताव को ख़ामोशी के साथ वापिस ले लें और उन को श्री राजा राम शास्त्री की बातों में इश्तियाल में नहीं आना चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : यह जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह लाये हैं उस के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि जब यह पेन्शनें ग्रान्ट की गई थीं उस वक्त ज़माना दूसरा था, उस वक्त यहां पर विदेशी हुकूमत का शासन था और उस ने यह काम किया था लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह ज़रूरी है कि आखिर वह चीज़ जोकि ग़ैर वाजिब तरीक़ों से उन लोगों को दी गई, उस को आज क़ायम रक्खें या न रक्खें । जबकि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके और इस तरह की बातें यहां पर चली आ रही हैं, मान लीजिये कि हम को पचास हज़ार या साठ हज़ार रुपया देना पड़ रहा है, सवाल इस का नहीं है कि हम इस को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बल्कि देखना यह है कि इस को जारी रखना आज के ज़माने में ठीक भी है या नहीं, इस की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है । मैं आप से यह भी अर्ज़ कर दूं कि जब देश के सामने इस तरह के मामले आते हैं तो देश के सामने बहुत सी चीज़ें रहती हैं, बहुत से हमारे वायदे रहते हैं और बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जिन पर कि सरकार को चलना पड़ता है । मैं तो, सभापति जी, आप के द्वारा मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह जो प्रस्ताव है इस पर वे विचार करें, और सोचने के बाद इस निर्णय पर आयें कि हमारे देश में ऐलान हो कि फलां साल या फलां रोज़ से हम इन पेन्शनों को बन्द कर देंगे, यह ठीक चीज़ होगी, क्योंकि हम आप के साथ भी बांधना नहीं चाहते, आखिर को सलतनत उन को

[सरदार ए० एस० सहगल]

ही चलानी है और जो आज़ादी आई है उस को ठीक तरह से बरक़रार रख कर देश का कामकाज चलाने का भार उन के सिर पर है, इसलिये मैं चाहूंगा कि वह इस प्रश्न पर पूरी तरह सोच विचार कर के निर्णय करें ।

सभापति जी, आप देखेंगे कि सन् १८५७ के बलवे से ले कर, जिस को कि बलवे का नाम दिया जाता है, लेकिन दरअसल में पूछा जाय तो वह देश की स्वतंत्रता के लिये पहली लड़ाई थी जो भारतवर्ष में उत्तर से ले कर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी हिन्दुस्तान के लोग थे चाहे वह आप के फ़ौज के नौकर थे या दूसरे सब ने मिल कर इस बात का प्रयास किया कि विदेशी हुकूमत के पैर यहां से उखड़ जायें और उस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी ने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी लेकिन विदेशी शासन सत्ता के नीचे रहना स्वीकार नहीं किया । मराठा पेशवाओं की हिस्ट्री हमारे सामने है, उन्हों ने अंग्रेज़ों से लड़ता मंज़ूर किया लेकिन उन की दासता स्वीकार नहीं की और इसीलिये आज हिस्ट्री में और उन प्रदेशों में जहां यह लड़ाइयां हुई हैं आज भी कहा जाता है कि "ख़ूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी" । वह देश के लिये लड़ी और आख़िर में देश के लिये मरी । मैं पूछना चाहता हूं कि जो इतनी बहादुरी से लड़ी, आज उस के ख़ानदान वालों को क्या मिल रहा है ? मैं तो सभापति जी, आप की मार्फ़त अपने मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस क़िस्म के जो देशभक्त लोग हमारे देश में हुए हैं, आप उन के ख़ानदान वालों के लिये पेन्शन रखिये, जो उन के ख़ानदान वाले आज मौजूद हैं उन की आप मदद कीजिये, और ऐसे लोग जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तान में क़ायम करने में मदद की, उन के पेन्शनों के मामलों के सम्बन्ध में आप जांच करें और तहक़ीक़ात करने के बाद आप उन को बन्द करें । आप के पास में नाभा महाराज का केस है जिन को कि इसलिये तख़्त से उतारा गया कि वह उस वक़्त की सलतनत के सामने आंख से आंख नहीं मिला सकते थे और इसलिये उन को वहां से निकाल कर के दूसरे लोगों को बैठाया गया, इस तरह के नाइंसाफ़ी के आप के देश में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं और आप को चाहिये कि आप जिन के हक़ मारे गये हैं और जिन के साथ नाइंसाफ़ी की गई है उन के साथ आप इंसाफ़ करें और साथ ही जिन लोगों ने अंग्रेज़ी सलतनत को यहां हिन्दुस्तान में बरक़रार रखने में मदद की, उन लोगों के सम्बन्ध में तहक़ीक़ात करें और इस प्रस्ताव की भावना की क़द्र करते हुए शीघ्र से शीघ्र कोई निर्णय करें और जनता को बतलायें कि हम यह करेंगे । इन शब्दों के साथ जो मेरे भाई यह प्रस्ताव लाये हैं, मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं डा० राम सुभग सिंह से प्रार्थना करूंगी कि वह इस संकल्प को वापस कर लें । हमारी सरकार प्रजातंत्रात्मक सरकार है । हमें सरकार में पूर्ण विश्वास रखना चाहिये । हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति का अनुसरण कर रही है ।

अपनी वैदेशिक नीति में भी हम शान्ति के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं । हम किसी राष्ट्र को अपना शत्रु नहीं समझते । यदि हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र हमारे देश में रहे तो हमें ऐसा संकल्प पेश नहीं करना चाहिये, जिस के कारण किसी भी सरकार के अधीन काम करने में लोग भयभीत हों । कुछ लोग जो पहले ब्रिटिश शासन की सेवा

में थे, हमारी वर्तमान सरकार के बड़े भक्त हैं। हम ने उन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त किया है और हम उन पर विश्वास भी करते हैं।

मैं डा० रामसुभग सिंह से अपील करूंगी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि कर्मचारियों का विश्वास सरकार पर से उठ न जाये।

श्री पुन्नूस : गांधी जी ने अपराधों और अपराधियों की अवश्य क्षमा की है पर पर देशद्रोहियों को उन्हों ने कभी भी क्षमा नहीं किया। अतः इस प्रसंग में उन का नाम लिया जाना उन का सब से बड़ा अपमान है।

यदि आप राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा का पालन करना चाहते हैं तो इस बुरी प्रथा को रोकिये क्योंकि हमें अपने वचनों का पालन करना है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री **दातार**) : इस संकल्प के समर्थन में जो बहुसंख्यक मत प्रगट किये गये हैं, उन पर मैं ने आदर एवं सतर्कता से ध्यान दिया है। इस संकल्प को जो ज़ोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है उस सम्बन्ध में मेरे पास सभा को आश्वासन देने के लिये गृहमंत्री ने मुझे यह कहने का अधिकार दिया है कि इस सारे मामले पर विचार किया जायेगा तथा सरकार सभा में पुरजोर शब्दों में व्यक्त किये गये मतों के आधार पर नीति अपनाने पर विचार करेगी।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किन परिस्थितियों के अधीन ये पेन्शनें मंजूर की गईं, तथा किन परिस्थितियों के अधीन हम इन्हें कुछ और वर्षों तक जारी रख रहे हैं।

सत्ता प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर १९४९ में तथा पुनः १९५१ में विचार किया गया। सरकार ने यह नीति अपनाई कि यद्यपि कुछ मामलों में पेन्शनों को जारी रखना आपत्तिजनक है फिर भी न्यूनताकारक परिस्थितियों के फलस्वरूप सरकार ने उदार तथा सहृदय दृष्टिकोण अपनाया कि इन पेन्शनों को, न हमेशा के लिये, न पीढ़ी-दर-पीढ़ी के लिये, प्रत्युत केवल पेन्शन पाने वाले व्यक्ति के जीवन काल तक ही जारी रखा जाय। सरकार ने १९४९ तथा १९५१ में इन पेन्शनों के सम्बन्ध में यही किया था। कुछ अन्य प्रकार की पेन्शनें भी हैं। उन सभी को राजनैतिक पेन्शनें कहते हैं किन्तु एकीकरण के फलस्वरूप राजाओं को मिलने वाली निजी थलियों से इन का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम विलयन, एकीकरण अथवा पूर्ण रूप से इन अधिकार-क्षेत्रों में अपने दावों को छोड़ने के फलस्वरूप विभिन्न भूतपूर्व शासकों को ५ करोड़ से अधिक रुपया दे रहे हैं। इन परिस्थितियों के अधीन इस करार के बदले में हम ने भारत संघ के अन्तर्गत आने तथा समस्त अधिकारों को छोड़ने का इक़रार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अधीन भारत सरकार का काफ़ी उदार रवैया रहा जिस से वह उन्हें पांच करोड़ पचपन लाख रुपये की निजी थैली देने को सहमत हो गई। यही हम आज भी कर रहे हैं।

किन्तु इस मामले में यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि किन परिस्थितियों के अधीन हम ने समय की महती आवश्यकता को सामने रख कर, विभिन्न राजाओं द्वारा अधिकृत विशाल राज्य-क्षेत्र को भारत संघ के अन्तर्गत लाने के फलस्वरूप ५ करोड़ से अधिक रुपये दे दिये। इस कार्य को भारत सरकार की महान राजनीति मर्मज्ञता, भारत की एकता के लिये एक उज्ज्वल कार्य तथा भूतपूर्व राजाओं के प्रति एक उदार कार्य समझा जाना चाहिये।

[श्री दातार]

यहां हम व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग से सम्बन्धित हैं, जिन में से कुछ व्यक्तियों पर पेन्शन ग्रहण करने वालों के विरुद्ध हुई आलोचनायें न्यूनाधिक रूप में उपयुक्त रीति से लागू होती हैं । इन में से अधिकांश पेन्शनों की मंजूरी गदर के पश्चात् दी गई थी । ब्रिटिश सरकार ने इसे गदर कहा था, किन्तु अगले दो वर्षों के दौरान कुछ पुस्तकें, हमारे देशवासियों द्वारा उन दिनों किये गये कार्यों पर पर्याप्त प्रकाश डालेंगी और तब हमें उन दिनों की घटनाओं का पुनर्निर्धारण करना होगा । मैं इस का अनुमान नहीं लगाना चाहता कि इन पुस्तकों के लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, किन्तु हम इस समय, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सौ वर्ष पूर्व के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस प्रकार से उपस्थित किया जाय । इस आन्दोलन का परिणाम कुछ भी हुआ हो ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि जिन्हों ने उन का समर्थन किया वे कुछ पेन्शनों के हक़दार हैं इसलिये ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी पेंशनें दीं जोकि क्रमशः घटती जा रही हैं । इस बात का ध्यान रखिये कि वे अब उतनी नहीं हैं जितनी कि १८५७ अथवा १८६० में थीं । वे क्रमशः समाप्त हो रही हैं । हमें अन्य परिस्थितियों का भी ध्यान रखना है । इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि अधिकांश पेन्शनें प्राप्त करने वालों ने भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी , अथवा उन्हों ने तत्कालीन विदेशी शासकों की सहायता की थी । जिन व्यक्तियों को ये पेन्शनें मिली थीं उन्होंने इन का जीवन पर्यन्त उपभोग किया तत्पश्चात् वे मर गये । उन के वंशज इन पेंन्शनों के बहुत कम अंश का उपभोग कर रहे हैं । यह समझने की कृपा करें कि इस वर्ग के पेंन्शनों की राशि बहुत कम है । कुछ मामलों में तो पेंन्शन ६० रुपये से भी कम है । केवल मानवीय सहानुभूति के कारणों से ही पेन्शन पाने वालों के वंशजों को यह राशि दी जा रही है, जिन में संतान-हीन विधवायें भी हैं । सरकार ने सब से अधिक ध्यान इन पेन्शनों को अक्स्मात् बन्द करने के परिणामों पर दिया है । इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि इन पेन्शनों की स्वीकृति के चाहे कुछ भी कारण रहे हों, हमें एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ये देशद्रोहियों के वंशज हैं । कुछ भी हो--वे वंशज हैं तथा जब १९५० या १९५१ से उन्हें मिलने वाली पेन्शन पर विचार किया गया तो सरकार को यह ज्ञात हुआ कि उन में से अधिकांश व्यक्ति सम्पन्न परिस्थितियों में नहीं हैं : वे दरिद्र तथा अभावग्रस्त वर्ग के हैं, जिन्हें मूल पेन्शन स्वीकृत हुई थी । वे लोग बहुत पहले मर चुके हैं । इन परिस्थितियों में सरकार को बहुत उदारतापूर्वक विचार करना पड़ा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व से गलत अथवा सही किसी भी कारण से ये परिवार पेन्शनों का उपभोग कर रहे हैं तो क्या यह उपयुक्त, न्यायोचित एवं उदारतापूर्ण होगा कि इन परिवारों की वर्तमान दरिद्रता को देखते हुए इन की पेनशनें तत्काल बन्द कर दी जाय, अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा को देखते हुए तथा इन व्यक्तियों को वर्तमान अवस्था पर उदारता दिखाते हुए, कोई दूसरा निश्चय किया जाय । इस प्रश्न पर १९४९ तथा १९५१ में दो बार विचार किया गया । सरकार ने यह मार्ग अपनाया कि पेन्शन पाने वाले के जीवित रहते हुए ये पेन्शन बन्द न की जाये । सरकार ने संकल्प प्रस्तुत करने वाले अभिप्राय को व्यावहारिक रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्थात् सरकार ने इस वर्ग को पेन्शनों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया कि पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मृत्यु

के उपरान्त ये पेन्शनें सदव के लिये बन्द हो जायेंगी । ऐसे व्यक्ति अधिक नहीं हैं । में सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ वर्षों के दौरान ये पेन्शनें स्वयं ही व्यपगत हो जायेंगी ।

हमें इन बातों को उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहिये जैसाकि हमारे कुछ भूले गए भारतवासियों ने किया था । अपने उत्कर्ष के समय भी हमें उदार रहना चाहिये, और यथासम्भव उदार होना चाहिये ।

इस समय पेन्शन पाने वाले देशद्रोही नहीं हैं, अपितु देशद्रोहियों के वंशज हैं । आप को भारत जैसे गरीब देश में इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि इन परिवारों को आय का वह छोटा सा स्रोत छीन कर इन्हें दर दर का भिखारी बना देना कहां तक उचित है । यहां पर प्रश्न का नैतिक पहलू उपस्थित होता है सरकार ने विचार कर के यह निश्चय किया है कि जहां तक राजनैतिक पेन्शनें विशेष रूप से अंग्रेजों के पक्ष में की गई सेवाओं का प्रश्न है, ये आज से ही नहीं किन्तु वर्तमान पेंशने पाने वाले की मृत्यु पर बन्द कर दी जायेंगी ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा था कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार होगा । अब वह अपना ही विरोध कर रहे हैं ।

श्री दातार : मैं केवल परिस्थितियों का उल्लेख कर रहा हूं । मैं सरकार जो कुछ भी करेगी उस का पूर्वनिर्णय नहीं कर रहा हूं । मैं केवल प्रश्न के दोनों पहलुओं को सुझा रहा हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री दातार : हम ने जो कुछ भी १९४९ व १९५१ में किया, मैं उस का समर्थन कर रहा हूं । तब इस प्रश्न पर विचार करके मेरे द्वारा कहे गये उक्त आधारों के अनुसार ही हल ढूंढा गया था । सभा में सदस्यों ने जो बातें ज़ोर दे कर कही हैं, उन के प्रकाश में ये कारण कहां तक वैध हैं । इन बातों पर सरकार को विचार करना होगा क्योंकि सरकार को सभा की इच्छाओं का यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक आदर करना है । अन्य बातों को यहां नहीं लाना चाहिये क्योंकि जैसा में कह चुका हूं, धन-राशि बहुत कम है ।

श्री भगवत् झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : यह सिद्धान्त का प्रश्न है, न कि राशि का ।

श्री दातार : मैं सिद्धान्त के प्रश्न पर भी आता हूं । जहां तक धन राशि का सम्बन्ध है यह ६६,००० रुपये से कुछ अधिक है । इस में से श्री आगा खां ने १२,००० रुपये छोड़ दिये हैं । ५,१०० रुपये की धन राशि तो वैसे ही लटकी पड़ी है क्योंकि इन पेन्शनों के प्राप्त कर्ता पाकिस्तान चले गये हैं । अवशेष धन मौजूद है । उस में अधिकांशतः बहुत छोटी राशि हैं । इसलिये मैं ने सभा को यह बताया था कि ये राशियां बहुत छोटी हैं । सभी व्यक्तियों को कुल केवल ४९,००० रुपये मिलते हैं ।

श्री एम० पी० मिश्र : एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि इस वर्ग के अधीन ५ या ६ लाख रुपये दिये जाते हैं । केवल मीर जाफ़र के परिवार को २ लाख रुपये दिये जाते हैं ।

श्री दातार : वर्तमान संकल्प केवल उन्हीं राजनैतिक पेन्शनों से सम्बन्ध रखता है जोकि अंग्रेज़ों की सेवा के पुरस्कार स्वरूप मिली हैं । कुछ पेन्शनें एक अधिनियम के अधीन मिली हैं । कुछ पेन्शनें, सम्पत्तियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कि अब हमारे अधीन हैं, अधिकार कर लेने पर मिली हैं । कुछ मामलों में शासकों की कुछ पूंजी, राज्य

[श्री दातार]

कोष में स्थानान्तरित कर दी गई और जिसे हम राजनैतिक पैन्शन कहते हैं। वह केवल लोगों के वंशजों को मिलने वाला ब्याज है।

सूरत के नवाब तथा अवध के नवाब, इत्यादि भूतपूर्व शासक भी हैं। कुछ मामलों में ब्रिटिश सरकार ने उन की सम्पत्ति ली थी। वह सम्पत्ति हमारे पास भी है दूसरे वर्गों के व्यक्तियों की सम्पत्तियां भी ली गई थीं। उन्हें राजनैतिक पेन्शनें दी जा रही हैं क्योंकि उन की सम्पत्ति ली गई है। यह प्रतिकर के रूप में ही हुआ है। इस प्रकार आप देखेंगे कि दूसरे वर्गों की पेन्शनें या तो प्रतिकर के रूप में हैं अथवा मुफ्त दी गई हैं। सभी मामलों में कुल योग २० लाख रुपये होगा जहां तक भूतपूर्व शासकों की प्रथम श्रेणी का सम्बन्ध है—'भूतपूर्व' शब्द उन शासकों के सम्बन्ध में समझा जाना चाहिये जोकि अंग्रेजी शासन के स्थापित होने पर शासक नहीं रहे—सरकार इस राशि को यथासम्भव कम करने की इच्छुक है। सरकार ने इन भूतपूर्व राजाओं के सम्बन्धियों एवं आश्रितों के सभी भत्ते बन्द कर दिये हैं। केवल भूतपूर्व शासकों के मूल परिवारों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों तथा वंशजों को ये पेन्शनें दी जायेंगी। जहां तक उन राशियों का सम्बन्ध है जो मन्दिर और मस्जिद जैसी कुछ पूर्व संस्थाओं और सार्वजनिक संस्थाओं को स्वीकृत की गई थीं, सरकार ने यह जानने की नीति अपनाई है कि जिन प्रयोजनों के लिये अनुदान दिये गये थे, क्या उन्हें पूरा किया जा रहा है, और क्या मन्दिरों और मस्जिदों के संधारण पर उस राशि का उपयोग किया जा रहा है। अतः आप देखेंगे कि इन सभी राजनैतिक पेन्शनों को सरकार शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना चाहती है। समस्त जीवन भर ऐसी पेन्शन देने की प्रक्रिया को हम ने समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया है।

श्री एम० पी० मिश्र : उन के जीवन की समाप्ति की आकांक्षा करने की अपेक्षा उन की पेंशनें बन्द करना अच्छा है।

श्री दातार : हम उन के जीवन समाप्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री इन लोगों के प्रति अनोखी दया बरत रहे हैं।

श्री दातार : गांधी जी की विचारधारा के अनुसार यह उचित प्रकार की दया है। पर, निःसन्देह, यहां पर इस बात का कोई महत्व नहीं है ; हमें इस बात में गांधी जी का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे मित्रों ने गांधी जी के कार्यों का समर्थन किया।

श्री पुन्नुस : आप समझते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते।

श्री दातार : ऐसी कोई बात नहीं कि सभा गांधी जी से परिचित नहीं पर कभी कभी विचित्र समर्थकों द्वारा समर्थन प्राप्त होने पर महान व्यक्तियों को अपना मुंह छिपाना पड़ता है।

मैं चर्चा को अधिक समय तक जारी नहीं रखना चाहता। मैं इस संकल्प के प्रस्तावक, अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि सरकार विशेष रूप से सभा में प्रकट किये गये विचारों के प्रकाश में पुनः सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी। सरकार सम्पूर्ण प्रश्न की छानबीन करेगी और एक ऐसा उचित निश्चय करेगी जो सभा के लिये संतोषप्रद होगा।

डा० सुरेश चन्द्र : तो क्या हम यह समझें कि यह राजनैतिक पेन्शनें इन लोगों के जीवन पर्यन्त चलती रहेंगी ?

श्री दातार : मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पहले ही बता चुका हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस बहस-मुबाहिसे में मुझे छोड़ कर १२ व्यक्तियों ने भाग लिया और उन में से दो सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और वे दोनों सदस्य बहुत बुज़ुर्ग हैं और उन लोगों की मैं बहुत ज्यादा क़द्र करता हूं ।

श्री रघुबीर सहाय ने कहा कि हम लोग अपनी सभ्यता को और अपने इतिहास को देख और उस के नाम की दुहाई दे कर और गांधी जी के नाम पर भी उन्हों ने कहा कि इस प्रस्ताव में जो जो विचार हैं यह हम लोगों की नीति के अनुकूल नहीं है ।

जहां तक गांधी जी की बात है, हम तो गांधी जी के वालंटियर हैं, अलबत्ता श्री रघुबीर सहाय हम लोगों के बहुत बुज़ुर्ग नेता हैं, गांधी जी के बहुत नज़दीक पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेरी पहुंच उतनी दूर तक नहीं है लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूंगा कि अच्छा यह होगा कि गांधी जी के नाम को यहां न लाया जाय ।

अब जहां तक सभ्यता और इतिहास का सवाल है, मैं यह साफ़ कह देना चाहता हूं कि भारत का इतिहास राणा प्रताप, शिवा जी, कुंअर सिंह और झांसी की रानी का इतिहास है, न कि मीर जाफ़र, जयचन्द और मानसिंह सरीखे विश्वासघातकों और देशद्रोहियों का, यदि बाबू रघुबीर सहाय को जयचन्द, मीर जाफ़र के इतिहास से प्रेम है तो वह बड़े शौक़ से प्रेम करें और उन की पूजा करें, लेकिन मैं तो कम-से-कम उन की क़द्र नहीं करूंगा । मैं तो उसी इतिहास और सभ्यता की क़द्र करूंगा जो राणा प्रताप, शिवा जी, कुंअर सिंह और झांसी की रानी का इतिहास है । बाबू रघुबीर सहाय को हाउस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिये । दुनिया इस चीज़ को मानती है कि जवाहरलाल जी गांधी जी के उत्तराधिकारी हैं । अभी जवाहरलाल जी कल या परसों गाड़िया लुहारों के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश के सिलसिले में चित्तौड़ गये थे, उन के अलावा हमारी इस सभा के बहुतेरे सदस्य भी उस उत्सव में भाग लेने गये थे लेकिन बाबू रघुबीर सहाय ने पता नहीं कि वहां जाने का कष्ट किया या नहीं ।

श्री रघुबीर सहाय : मैं वहां नहीं गया ।

एक माननीय सदस्य : उन को गाड़ी में जगह नहीं मिली ।

डा० राम सुभग सिंह : यदि उन को देश के सच्चे इतिहास से प्रेम होता तो गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल नेहरू ने वहां चित्तौएगढ़ जा कर चारों ओर से बैलगाड़ियों में आने वाले उन गाड़िया लुहारों के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति दिखलाई, उस से उन को कुछ सबक़ सीखना चाहिये, मैं मानता हूं कि श्री रघुबीर सहाय हमारे बुज़ुर्ग नेता हैं लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद बुज़र्गियत में नई चीज़ के सीखने की भावना नहीं रहती है । ख़ैर इस चीज़ को मैं यहीं पर छोड़ता हूं ।

एक दूसरी हमारी श्रद्धेय श्रीमती जयश्री न कहा कि हम लोगों की पालिसी गांधी जी के बताये सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिये और उन्हों ने साउथ अफ़्रीका के उस पठान का भी ज़िक्र किया जिस ने गांधी जी को शुरू में मारा था लेकिन बाद में गांधी जी की सेवा की, तो उन सदस्या महोदया को भी मैं वही बात कहूंगा, हालांकि उतने कठोर शब्दों में नहीं कहूगा । जिस पालिसी की बात वे करती हैं, मैं समझता हूं कि वह पालिसी को समझती नहीं हैं कि आखिर यह है क्या चीज़ । मैं उन को बताऊं

[डा० राम सुभग सिंह]

कि यह पेंशन देने वाली पालिसी इस गवर्नमेंट की तो हुई नहीं है, वह पालिसी इस गवनमेंट की है ही नहीं, यह चीज़ तो उसे ब्रिटिश गवनमेंट से उधार में मिली है, उस गवनमेंट से मिली है जो इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी, अगर हमारे ये दोनों बुजुग उस ब्रिटिश गवनमेंट की पेन्शन की पालिसी को जारी रखना चाहते हैं तो लाचारी है, दोनों बुजुर्ग हैं, मैं कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकता हूं लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि उन को ज़रा ज़माने के तेवर को समझना चाहिये, अंग्रेज़ी राज्य के ज़माने में इन का जन्म हुआ, उसी के शासनकाल में उन्हों ने अपनी जवानी गवाई, अब अगर उसी ज़माने में वे अपना बुढ़ापा भी गवाना चाहते हैं तो शौक़ से गवायें, हमें उस में कोई ऐतराज़ नहीं है ।

अब मैं ज़रा अपने मंत्री महोदय की तरफ़ आता हूं । मंत्री महोदय ने हमें अच्छी तरह से इतिहास समझा कर बतलाया कि किन परिस्थितियों में हमें इस चीज़ को मानना पड़ा और किन परिस्थितियो में यह पेन्शनें दी जा रही हैं, बाद में उन्हों ने यह भी कहा कि हाउस की इच्छा को जानते हुए वे इस विषय में कुछ सुधार करेंगे ।

अब मैं एक दो शब्द अपने साथियों श्री राजा राम शास्त्री और श्री साधन गुप्त के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । उन लोगों को यह डर हुआ कि शायद यह प्रस्ताव प्रेस नहीं किया जायगा और वापिस लिया जायगा । मैं उन से कहना चाहूंगा कि हम अपने को किसी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट से कमज़ोर नहीं समझते, साथ ही जहां तक पार्टी के अनुशासन का सम्बन्ध है, उस का भी पालन करेंगे लेकिन मैं अपने उन साथियों से कहूंगा कि शायद उन्हों ने यह समझा नहीं है कि एक प्रस्ताव का आखिर उद्देश्य क्या होता है । उस रेज़ोलूशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार को ज़रा चोट दी जाय कि जो धारा प्रवाह है उस को वह समझे और समझ कर उस के अनुसार काम करे और रेज़ोलूशन में जो डिमांड है उस को एक्सेप्ट करे लेकिन अगर मंत्री महोदय एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस से हमारे श्रद्धेय शास्त्री जी को घबराना नहीं चाहिये और अपने बुज़ग को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर उस के लिये लड़ने का मौक़ा आया तो मैं लड़ने में उन से आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा, श्री साधन गुप्त को भी मैं यही बात कहूंगा ।

अब मंत्री जी ने जो यह कहा कि तरह तरह की पेन्शनें दी जाती हैं, तो उन के बाप, दादा ट्रेटर थे, ये लोग तो नहीं हैं, तो मैं उन से कहूंगा कि आप क्यों नहीं जा कर इस बारे में पता लगाते । शर्मा जी ने कहा कि इनक्वायरी कीजिये कि वे लोग कहां तक आप के सोशलिस्टिक पेटर्न आफ़ सोसाइटी में फ़िट हो सकते हैं और अगर ऐसा सम्भव हो तो उन पेन्शनरों को बजाय पेन्शन देने के काम धंधे पर लगाइये, और कहीं नहीं तो अपने यहां चपरासी ही रख लीजिये और सब मामला हल हो जाता है, अगर आप को सचमच में उन से मुहब्बत है तो उन को पार्लियामेंट में झाड़ू देने के काम पर रख लीजिये, पेन्शनें क्यों देते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि सभी चीज़ों पर जो यहां राय ज़ाहिर की गई, उस पर गम्भीरता से विचार किया जायगा । मैं तो चाहता था कि आज इस प्रस्ताव के बहस के समय बड़े मंत्री महोदय उपस्थित होते और वह भी सुनते कि हाउस की इस सम्बन्ध में क्या राय है और यहां पर इस तरह की परिपाटी डालनी चाहिये कि जब कोई इस क़िस्म का महत्वपूण प्रस्ताव विचाराधीन हो तो

हाउस में कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर हो ताकि वह जान जायें कि हाउस की क्या भावना है, अगर वह मौजूद नहीं रहेंगे तो वह यहां पर धारा प्रवाह को नहीं समझेंगे और मौके में उन को धोखा होगा, आज बड़े मंत्री महोदय की अनुपस्थिति बहुत खटक रही है, क्योंकि छोटे मंत्री साहब तो आखिर उतना ही बोल सकते हैं जितना कि वह बोलने के अधिकारी हैं, जितना उन को अधिकार दिया गया है, उतना ही बोल सकते हैं, तनिक भी उस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, ज़रा भी उस में जोड़ या घटाव नहीं कर सकते ह, इसलिये यह आवश्यक था कि बड़े मंत्री महोदय यहां मौजूद रहते। वे नहीं आये, इस का मुझे बहुत दुःख है और मैं चाहूंगा कि कोई भी कबिनेट मिनिस्टर इस तरह से ग़ैरहाज़िर न रहा करे, लेकिन इन मंत्री महोदय की अवस्था और बीमारी को देखते हुए महसूस करता हूं कि उन को आराम मिलना चाहिये, इसलिय मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन इतना ज़रूर महसूस करता हूं कि अगर माननीय पन्त जी यहां पर होते तो हम लोगों की बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ लेते और कुछ और अधिक आश्वासन देते लेकिन चूंकि वह यहां पर नहीं थे और छोटे मंत्री महोदय उस हद तक नहीं समझ सके और जितना उन को कहन का अधिकार था वही उन्हों ने कहा। अब मंत्री जी ने जो अपील की है मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, हम उस पार्टी को बिलांग करते हैं, और वह हम लोगों के नेता हैं। उन्हों ने जो मुझ से प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया है, तो मैं उस को टालूंगा नहीं और मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लिये लेता हूं लेकिन मैं मंत्री महोदय से इतना निवदन ज़रूर करूंगा कि वह अपने बड़े मंत्री महोदय को इस हाउस के दृष्टिकोण से अवगत करा देंगे और जल्द से जल्द ऐसे ट्रेटस और देशद्रोहियों की पेन्शनों को बन्द करवा देंगे। अब यदि आप को मुहब्बत है कि उन को खाने का कष्ट महसूस हो रहा है और उन को खान को नहीं मिल रहा है तो उन से आप कहीं ज़मीन में हल चलवायें या और कोई काम करवायें।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस लेना चाहते हैं। क्या सभा उन्हें ऐसा करने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : हां।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : सत्ता में मतैक्य नहीं है। अतः मैं इस संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

> "इस सभा की राय है कि भारत में ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों की सेवा करने के उपलक्ष में पुरस्कार स्वरूप दी गई सभी राजनीतिक पेन्शनें तुरन्त बन्द कर दी जायें।"

संकल्प के पक्ष में इक्कीस सदस्यों ने मत दिया। संकल्प के विपक्ष में बहुत से सदस्य थे अतः संकल्प अस्वीकृत हुआ।

बाटों और नापों के बारे में संकल्प

श्री अच्युतन (कोंगनूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

> "इस सभा की राय है कि सरकार को सम्पूर्ण देश में एकरूप बाटों और नापों को चलाने के लिये और अन्ध बाटों और नापों

[श्री अच्युतन]

के रखने और प्रयोग में लाने पर दण्ड देने के लिये आवश्यक कार्य-वाही करनी चाहिये ।"

यह एक साधारण संकल्प है और मुझे आशा है सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे । बाट और नाप हमारी आर्थिक गतिविधियों और आदान-प्रदान के साधन हैं ।

पुराने जमाने में भूमध्यसागरीय देशों, मिश्र और बेबीलोनिया में कुछ बाट और कुछ नाप थे । पर वह बाट और नाप वैज्ञानिक और प्रणालीबद्ध नहीं थे । बाट या नाप वास्तव में विक्रेता और क्रय करने वाले के बीच एक निश्चित सापेक्ष विचार है । १३वीं शताब्दी में भी इम्पीरियल प्रणाली प्रचलित थी । १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में भी यूरोप के कुछ देशों में मीट्रिक प्रणाली प्रचलित थी और फ्रांस में तो १६७० में दशमलव प्रणाली पर विवाद चला था । १८वीं शताब्दी में यूरोप में पौंड पर आधारित तौल के ३९१ पैमाने थे और फुट पर आधारित २८२ पैमाने थे । १८४० में फ्रांस ने मीट्रिक प्रणाली के अतिरिक्त अन्य सब प्रणालियों को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया और अब पचास से अधिक देशों ने दशमलव पद्धति को अपना लिया है तथा संसार की तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या वाणिज्यिक तथा अन्य कार्यों में उस का प्रयोग कर रही है ।

इंग्लैंड की पद्धति की व्यवस्था काउन्टियों तथा बरोज के द्वारा किया जाता था परन्तु उस के प्रमाप संसद् द्वारा निर्धारित किये गये थे । यद्यपि यह लोग शाही पद्धति का प्रयोग शताब्दियों से कर रहे हैं फिर भी वे अपनी पद्धति से सन्तुष्ट नहीं हैं । १९४९ में इस की जांच की गई थी और यह निष्कर्ष निकला था कि शाही पद्धति यद्यपि ख़राब नहीं है फिर भी यदि कोई परिवर्तन करने की अवश्यकता समझी जाये तो दशमिक पद्धति अपनाई जाये । अमरीका में भी पहले शाही पद्धति चलती थी । अपनी आवश्यकता के अनुसार उस ने कुछ परिवर्तन किये परन्तु उस ने और अधिक कुछ नहीं किया । इसलिये राज्यों ने इस विषय पर अपने विधान बनाये । कनाडा में सारा काम केन्द्र द्वारा किया जाता है, वही प्रमाप निर्धारित करता है और वही प्रशासन करता है । आस्ट्रेलिया में केन्द्र प्रमाप निर्धारित करता है और सूबे प्रशासन करते हैं ।

हमारे देश में १८०१ से, जबकि केन्द्रीय विधान सभा भी नहीं थी, कितनी ही समितियां नियुक्त की गईं और कितने ही प्रयत्न किये गये । पांच पांच दस दस वर्ष में एक के बाद एक समितियां बैठती रहीं और इसी बात की सिफ़ारिश करती रहीं कि दशमिक पद्धति अपनाई जाये । पहले विधान, अर्थात् रेगुलेशन संख्या सात, १८३३ के द्वारा रुपये की तौल १८० ग्रेन निर्धारित की गई । १८६७ में एक समिति ने अंग्रेज़ी प्रमाप की सिफ़ारिश की और सरकार ने किलोग्राम की परिभाषा करने वाले और दशमिक पद्धति को अपनाने वाला एक अधिनियम १८७० में पास किया । परन्तु सैक्रेटरी आफ़ स्टेट ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, इसलिये उस के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं निकाली गई । इसी प्रकार सरकार ने १९३९ में एक अधिनियम पास किया जिस में ग्रेन तथा उस के गुणनफलों की परिभाषा की गई थी । परन्तु जैसी स्थिति थी वैसी ही बनी रही कोई सुधार नहीं किया गया । वर्तमान संविधान में हम ने बहुत सोचविचार के बाद यह निर्धारित किया है कि बाटों और मापों का मान निर्धारित करना मानक

संघ का कृत्य होगा । राज्यों को प्रशासन संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे । चार पांच वर्ष पूर्व हम ने प्रस्ताव पास किया था । उस के पश्चात् राष्ट्रीय योजना समिति ने इस पर विचार किया ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य और अधिक समय लेंगे ?

श्री अच्युतन : हां ।

सभापति महोदय : तो वह बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—I-II ⅄ ᐸ—57 LSD—000